खण्ड-166, अंक-5
शुक्रवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1877
(2 मार्च, 1956 ई0)

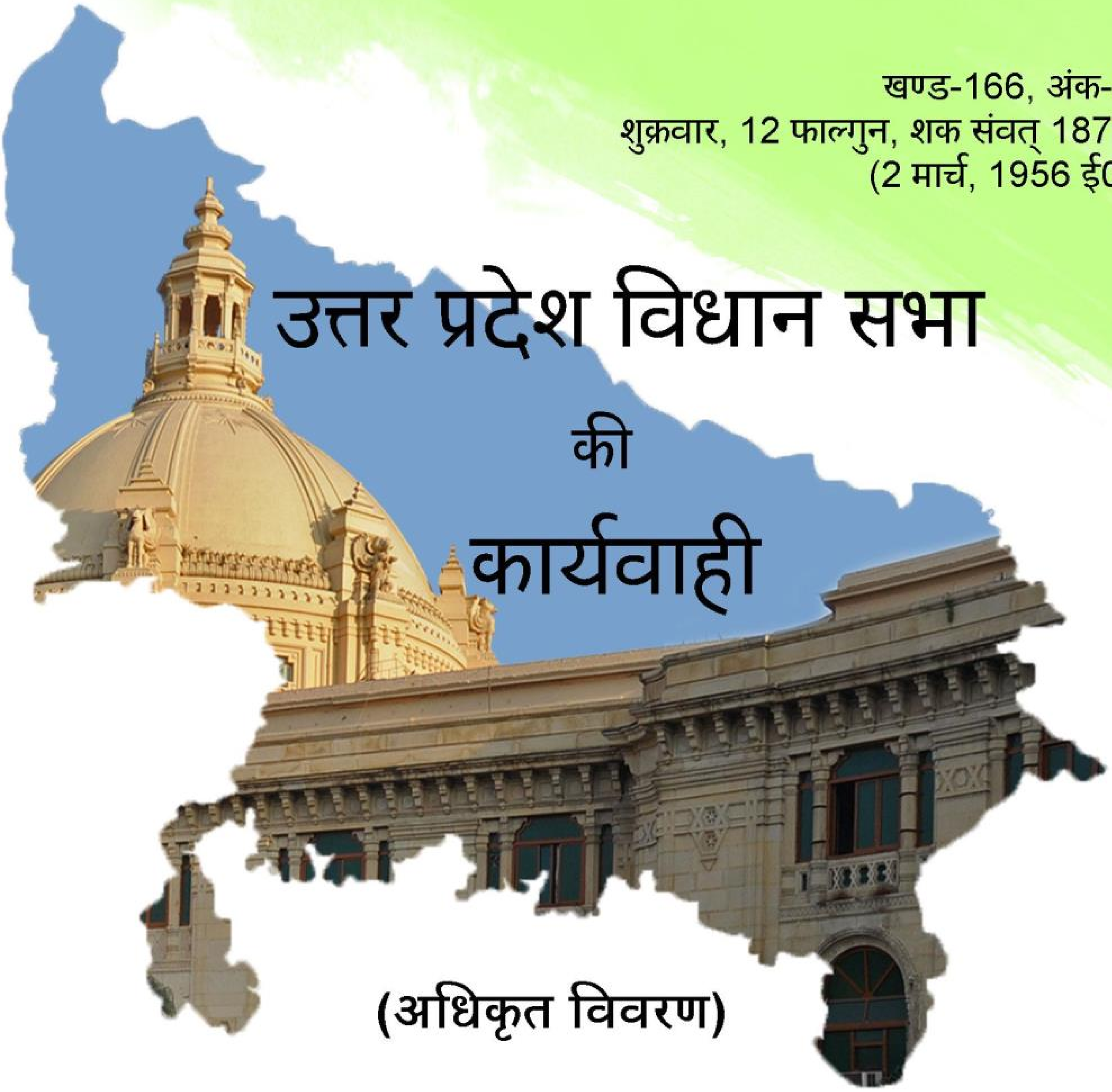

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 166 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

---

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE LIBRARY
25 JUL 1956
UTTAR PRADESH

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

---

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

## उपस्थित सदस्यों की सूची (३३७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसेन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री

चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वद्य, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री

बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्श सिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

---

# प्रश्नोत्तर

## शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### पंचायती अदालतों की चुनाव सम्बन्धी तहसील एडवाइजरी कमेटियों में विधायकों को लेने का सुझाव

**१—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—क्या सरकार बतायेगी कि न्याय पंचायत के पंचों के चुनने के लिये जिलाधीश की राय देने वाली तहसील एडवाइजरी कमेटियों में क्या सरकार कौंसिल के सदस्यों व पार्लियामेंट के सदस्यों को भी लेने पर विचार कर रही है ?

**स्वशासन उप मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)**—इस प्रकार का सुझाव सरकार के सामने उपस्थित किया गया है।

**श्री गजेन्द्रसिंह**—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कमेटियां कब तक बन जायंगी ?

**श्री कैलाश प्रकाश**—इस पर विचार हो रहा है और आशा है कि शीघ्र ही बन जायंगी अगर बनायेंगे तो।

**श्री गजेन्द्रसिंह**—इन कमेटियों में जिलों के स्तर पर कौन-कौन से मेम्बर होंगे और तहसील के स्तर पर कौन-कौन से मेम्बर होंगे ?

**श्री कैलाश प्रकाश**—अभी प्रश्न ही विचाराधीन है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि कमेटी बनायेंगे या नहीं बनायेंगे।

**श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)**—क्या न्याय मंत्री इस व्यवस्था पर भी विचार करने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभाओं के जरिये ही अदालत पंचायतों के सदस्यों का चुनाव हो ?

**श्री कैलाश प्रकाश**—जी नहीं। इस पर तो विचार हो नहीं सकता क्योंकि अधिनियम में यह स्पष्टतया लिखा हुआ है कि वह नामजद होंगे, चुनाव की उसमें कोई व्यवस्था ही नहीं है।

**श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)**—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार ने इस तरह का आदेश जिला अधिकारियों के पास भेजा है कि एडवाइजरी कमेटी का बहुमत निर्णय जो हो, उसको वह अवश्य मानें ?

**श्री कैलाश प्रकाश**—जी नहीं। ऐसा कोई आदेश नहीं गया।

**श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)**—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने अभी हाल में एक खास पार्टी के कुछ सज्जनों की एक सब-कमेटी बना रखी है जो कि इस बात पर परामर्श देगी कि किस प्रकार परामर्शदात्री समितियों का संगठन किया जाय ?

**मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—अध्यक्ष महोदय, किसी खास पार्टी के अन्दर क्या होता है उसकी जानकारी क्या इस सदन को हो सकती है जाब्ते से और उसकी बाबत क्या कोई सवाल पूछा जा सकता है ?

**श्री अध्यक्ष**—उन्होंने सरकार के लिए कहा है, पार्टी के लिए नहीं।

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—सरकार किसी पार्टी को कैसे नियुक्त कर सकती है ?

**श्री अध्यक्ष**—वह तो ठीक है उसका यही जवाब सरकार दे सकती थी।

**श्री ब्रजभूषण मिश्र** (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मंत्री जी के पास कोई ऐसी आपत्ति आयी है कि विधायक लोग इस कमेटी में न रखे जायं ?

**श्री कैलाश प्रकाश**—सरकार के पास कोई ऐसी आपत्ति नहीं आयी।

**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)—क्या यह सच है कि बहुत से तहसील कमेटियों के मेम्बरों को यह सूचना मिल चुकी है कि वह मेम्बर चुने गये हैं ?

**श्री कैलाश प्रकाश**—सम्भव है कि मिल चुकी होगी। किस्सा यह है कि यहां से एक आदेश भेजा गया था कि इन पंचायतों के पंचों को चुनने की प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जिला मैजिस्ट्रेट हैं। उनकी सलाह के लिए एक कमेटी नियुक्त भी की गयी थी। लेकिन सब बाद को अब रोक दिया गया है और उस पर पुनः विचार हो रहा है।

**श्री शिवनाथ काटजू** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार जिलाधीशों को इस प्रकार से कोई आदेश देने का विचार रखती है कि वह चुनाव करते वक्त खास क्वालिफिकेशन या योग्यता के ऊपर ध्यान दें ?

**श्री कैलाश प्रकाश**—मैं निवेदन कर चुका हूं कि अभी यह सब विषय, कमेटी बने भी, रहे भी, विचाराधीन है। जहां तक योग्यताओं का सम्बन्ध है, वह नियम में दी हुई है कि उम्र तीस वर्ष की होनी चाहिए और वह पढ़े लिखे होने चाहिए। यह योग्यता है जिस योग्यता के पंच चुने जायंगे।

**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिलाधीशों से ऐसी कोई सलाह सरकार द्वारा मांगी गई है जिसमें यह कहा गया है कि पंचायतों के मेम्बरों के चुनने के लिये जिलाधीश, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन और उस क्षेत्र के एम० एल० एज० की कमेटी बने ?

**श्री कैलाश प्रकाश**—मैं इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं। इस तरीके के आदेश गये हुए थे कि इन पंचों को नामजद करने के लिये जिलाधीश प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होगा। उनको सलाह देने के लिये एक कमेटी नियुक्त की थी जिस कमेटी में विधान सभा के सदस्य और चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे। उनको यह भी अधिकार था कि वह कमेटी अपने आपको तहसीलवार उपसमितियों में बांट ले और तहसील-वार उपसमितियां बंटती हैं तो उन उपसमितियों में एस० डी० एम०, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और सम्बन्धित विधान सभा के सदस्य होंगे। ऐसा आदेश गया हुआ था। किन्तु उन सब चीजों को रोक दिया गया है क्योंकि पुनः यह प्रश्न विचाराधीन है और जब विचार हो चुकेगा तो उपयुक्त आदेश भेजे जायंगे।

## बस्ती से बढ़नी स्टेशन तक तौल का कांटा न होना

**२—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि बस्ती जिले में बस्ती से बढ़नी स्टेशन तक पचासों मील तक कोई कांटा (weighment centre) नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—(क) यदि प्रश्न का तात्पर्य बस्ती और बढ़नी के बीच के उस कम से कम दूरी वाले सीधे रास्ते से है जिस पर रेलवे लाइन नहीं है तो यह सही है कि उस रास्ते पर कोई weighment centre नहीं है।

(ख) इस रास्ते पर किसी वेमेन्ट सेंटर का खोला जाना व्यावहारिक नहीं है।

## सार्वजनिक निर्माण विभाग के सुपरवाइजर के सम्बन्ध में पूछताछ

**३—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वर्क सुपरवाइजर्स यूनियन सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन और सड़क) की ओर से कोई आवेदन-पत्र उन्हें हाल में प्राप्त हुआ है?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जी नहीं।

**४—श्री गंगाधर मैठाणी—यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या थीं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्न नहीं उठता।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सुपरवाइजर्स की जो यूनियन है वह विभाग द्वारा स्वीकृत है या नहीं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अभी नहीं है।

श्री गंगा धर मैठाणी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो सुपरवाइजर्स पी० डब्ल्यू० डी० में वर्क कर रहे हैं ये टेम्पोरेरी होते हैं या परमानेन्ट?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अभी टेम्पोरेरी हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो सुपरवाइजर्स हैं इनमें से कितने तीन साल के पहले से नियुक्त हैं और उन्हें क्यों परमानेन्ट नहीं किया गया?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इनमें से अधिकांश ४६-४७ से हैं और अभी तक परमानेन्ट नहीं किया गया इसलिये कि अभी तक यह काडर परमानेन्ट बेसिस पर नहीं रखा गया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो सुपरवाइजर्स पी० डब्ल्यू० डी० में काम करते हैं ये लोग कभी ओवरसीयर्स भी बनाये जा सकते हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसकी बाबत विचार हो रहा है। कमेटी बनाई गई है जो इस प्रश्न पर भी विचार करेगी।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कभी विभाग में इन लोगों को ओवरसियर का आफ़िशियेटिंग वर्क भी दे दिया जाता है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ओवरसियर्स की सहायता करने के लिये कुछ ट्रेनिंग के लिये लोगों को दिया था इनमें से जो अच्छे समझे गये थे उन लोगों ने असिस्टेंट ओवरसियर का काम कुछ दिन तक किया।

## बनारस संस्कृत कालेज से मध्यमा तथा शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों का हाई स्कूल तथा इन्टर की परीक्षा में बैठने का अधिकार वापस लेना

**५—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि शिक्षा परिषद् यू० पी० ने अपने अध्याय ७, विनियम १३ के अनुसार संस्कृत कालेज, बनारस से मध्यमा और शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों का केवल अंग्रेजी विषय से हाई स्कूल ऐण्ड इंटर की परीक्षा में प्रवेश पाने का अधिकार छीन लिया है ? यदि हां, तो किन-किन कारणों से ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—सदस्य महोदय ने प्रश्न में विनियम का संदर्भ ग़लत दिया है। विनियम ७, अध्याय १३ तथा १४ होना चाहिये जिसे बोर्ड ने रद्द कर दिया है और जिसके फलस्वरूप संस्कृत कालेज, बनारस की मध्यमा तथा शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण छात्र केवल अंग्रेजी विषय लेकर हाई स्कूल तथा इन्टर की परीक्षा नहीं दे सकते। उक्त विनियम केवल भाषा अध्यापकों की सुविधा के लिये था, जिनके लिये कुछ काल पूर्व तक नियुक्ति के लिये आवश्यक था कि अन्य योग्यता के साथ अंग्रेजी में हाई स्कूल भी पास हों। आवश्यकता न रहने के कारण उक्त विनियम विलोन कर दिये गये।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त विनियम के अधीन अध्यापकों के अतिरिक्त अन्य जो बनारस संस्कृत कालेज से मध्यमा और शास्त्री थे उनको भी हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में बैठने का अधिकार था ?

डाक्टर सीताराम—उनको भी था।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री महोदय यह कृपापूर्वक बतलायेंगे कि जो लोग अध्यापक नहीं थे, उन लोगों को इस परीक्षा में बैठने से क्यों वंचित कर दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)—इसलिये कि जब यह नियम बोर्ड ने बनाया था तो केवल लैंग्वेज टीचर्स की सुविधाओं के लिये बनाया था और अब चूंकि लैंग्वेज टीचर्स के लिये यह जरूरी नहीं है अंग्रेजी जानना, इसलिये वह हटा दिया गया और जब वह नियम लागू था तो और लोग भी बैठ सकते थे लेकिन वह नियम बनाया गया था केवल अध्यापकों की सुविधा के लिये।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किसी भी परीक्षा में जो लोग बैठते हैं वह इसी उद्देश्य से बैठते हैं कि उनको राजकीय सर्विस मिलेगी ?

श्री हरगोविंद सिंह—अब यह तो परीक्षार्थी ही बता सकते हैं कि किस लिये बैठते हैं।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री महोदय को यह मालूम है कि बहुत से ऐसे संस्कृत के विद्वान हैं जो कि अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस आधार पर क्या सरकार उन्हें हाई स्कूल, इंटर और अन्य परीक्षाओं में बैठने की इजाजत देगी ?

श्री हरगोविंद सिंह—हां। वह तो नियम है कि कोई भी प्राइवेट बैठ सकता है उसमें बशर्ते कि एर्थ क्लास कभी पास किये हो और दो वर्ष उसको बीत गए हों।

## तारांकित प्रश्न

## आजमगढ़ जिले के हायर सेकेंडरी स्कूलों की इमारतों की मरम्मत के लिये अनुदान की मांग

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के किन-किन हायर सेकेन्डरी स्कूलों को गत सन् १९५५ की बाढ़ से इमारतों को हानि पहुंची है ?

**डाक्टर सीताराम**—तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी आगे पृष्ठ २८८ पर)

*२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रत्येक स्कूल की ओर से भवनों के पुनः निर्माण एवं मरम्मत के लिये कितने-कितने रुपये की मांग प्रस्तुत हुई है?

**डाक्टर सीताराम**—संलग्न तालिका के कालम नं० ३ में स्पष्ट है।

(देखिये नत्थी आगे पृष्ठ २८८ पर)

*३—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई है अथवा की जाने वाली है?

**डाक्टर सीताराम**—अभी तक कुछ सहायता नहीं दी गई है। मामला सरकार के विचाराधीन है। आशा है, अनुदान वितरण की राजाज्ञा बहुत शीघ्र ही निर्गत होगी।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विद्यालयों की ओर से जितने रुपये की मांग आयी है उतने ही रुपये प्रदान किये जायेंगे या उनमें कमी बेशी होगी?

**श्री हरगोविंद सिंह**—अब यह तो विचाराधीन है। जितना रुपया उपलब्ध है और जितनी इनकी जरूरत है अगर सब उसमें अंट जायगा तो सब दे दिया जायगा नहीं तो उसी अनुपात में कुछ कमी कर दी जायगी।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस तालिका के अलावा और बहुत से आजमगढ़ के स्कूल हैं जिनके प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आये हैं?

**श्री हरगोविंद सिंह**—जिन स्कूलों के प्रार्थना-पत्र आये थे उनकी जांच कराई गई थी और जांच के बाद वहां के डी० आई० ओ० एस० ने यह सूची भेजी है कि इतने का लास हुआ है।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज आज्ञा मार्च के पहले दे दी जायगी?

**श्री हरगोविंद सिंह**—जी हां।

## हायर सेकेंडरी स्कूल चक्के, जिला जौनपुर, को अनुदान की आवश्यकता

*४—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने हायर सेकेन्डरी स्कूल, चक्के, जिला जौनपुर, को अभी तक कोई ग्रान्ट देने की कृपा क्यों नहीं की?

**डाक्टर सीताराम**—विद्यालय ने अभी तक किसी भी अनुदान के लिये आवेदन-पत्र विभाग को प्रस्तुत नहीं किया है।

## स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने के लिये सिटी मैजिस्ट्रेट, लखनऊ, को महिलाओं के प्रार्थना-पत्र

*५—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष लखनऊ नगर में जिला अधिकारियों को कितनी स्त्रियों ने स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

**श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)**—सन् १९५५ में लखनऊ नगर में सिटी मैजिस्ट्रेट को स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने के लिये १२७१ महिलाओं से प्रार्थना-पत्र मिले थे। उन प्रार्थना-पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

*६—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या सरकार ऐसी स्त्रियों की सहायता करने के लिये किसी योजना पर विचार कर रही है? यदि हां, तो वह योजना क्या है?

**आचार्य जुगलकिशोर**—निराश्रित स्त्रियों के रहने और उनको काम देने के लिये सरकार प्रयत्नशील है।

**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिकांशतः प्रार्थना-पत्रों में किस प्रकार की शिकायतें की गयी थीं?

**श्री अध्यक्ष**—१२७१ संख्या है, तो क्या आप ५००–६०० के बारे में पूछना चाहते हैं?

**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—मैं दूसरा प्रश्न पूछे लेता हूं। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन प्रार्थना-पत्रों में किस प्रकार की शिकायतें की गयी थीं?

**आचार्य जुगलकिशोर**—घरेलू झगड़े के कारण थे।

**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन प्रार्थना-पत्रों पर अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है?

**आचार्य जुगलकिशोर**—अदालतों के द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही करने का नियम नहीं था, इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

**श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)**—क्या सरकार उन कारणों को रोकने पर विचार कर रही है कि जिसके कारण ऐसी शिकायतें समाज में दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं?

**आचार्य जुगलकिशोर**—इसके बारे में कोई इस प्रकार की जांच तो नहीं की जा रही है कि क्यों बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसी कोशिश की जा रही है कि ऐसी स्त्रियों को आसरा देने का कोई प्रबन्ध हो जाय।

**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन प्रार्थना-पत्रों को समाज-हित की दृष्टि से निरुत्साहित करने के लिये कोई कानून सरकार बनायेगी?

**आचार्य जुगलकिशोर**—समाज कल्याण विभाग द्वारा जो कुछ भी सहायता ऐसे व्यक्तियों को दी जा सकती है, यदि वे इसके योग्य हों, तो दी जायगी, इस बात की कोशिश की जा रही है।

## व्यापारिक कर्मचारी यूनियन, हल्द्वानी की मांग

*७—**श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)**—क्या सरकार के पास व्यापारिक कर्मचारी यूनियन, हल्द्वानी की यह मांग आई है कि Shop and Commercial Establishment Act को हल्द्वानी शहर में भी लागू किया जाय? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

**आचार्य जुगलकिशोर**—(क) जी हां।

(ख) यह मांग अभी हाल में ही सरकार के पास आई है और उनके विचाराधीन है।

*८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि Shop and Commercial Establishment Act के अधीन उपबन्धों के उल्लघंन स्वरूप पिछले दो वर्षों में कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर—सन् १९५३ में ७३० तथा सन् १९५४ में ९४७ व्यक्तियों को दण्ड दिया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शाप्स ऐंड कामर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट कितने शहरों में लागू किये जाने का विचार है और क्या उन शहरों की सूची में हल्द्वानी शहर भी शामिल है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसके ऊपर तो विचार हो रहा है लेकिन कितने शहरों पर और लागू किया जाय यह इस वक्त नहीं बताया जा सकता। हां, लगाने का सवाल हमारे सामने है और किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन व्यक्तियों को पिछले दो वर्षों में दण्ड दिया गया इनमें से कितनों को जुर्माने किये गये और कितनों को सजाएं ?

आचार्य जुगलकिशोर—मैं तो समझता हूं सिर्फ जुर्माने ही किये गये। सन् ५३–५४ में जो सजा दी गयी, उनमें जुर्माने के अलावा और कोई सजा नहीं दी गयी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस प्रकार के जुर्माने से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

आचार्य जुगलकिशोर—सन् १९५३ में १४,८३३ रुपया और सन् १९५४ में २१,६३५ रुपया।

## प्रदेशीय हरिजन सहायक बोर्ड में नवीन सदस्यों की नामजदगी

*९—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय हरिजन सहायक बोर्ड में कुछ सदस्य और नामजद किये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*१०—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन सज्जनों को नामजद किया गया है उनके चुने जाने का आधार क्या है ?

डाक्टर सीताराम—मुख्यकर पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के विचार से सरकार ने अपने विवेकानुसार उन सज्जनों को नामजद किया है जो हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के उत्थान के कार्य में रुचि रखते हैं अथवा जिनसे इस कार्य में सहायता मिलती है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार ने हरिजन बैकवर्ड क्लासेज़ वेल्फ़ेयर बोर्ड के नियम में कोई परिवर्तन किया है ? यदि हां, तो उसके कांस्टीट्यूशन में क्या परिवर्तन किया गया ?

श्री हरगोविंद सिंह—नियम में तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया है लेकिन जहां तक नामजदगी का प्रश्न है उसमें अवश्य परिवर्तन किये गये हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार को २३ जनवरी, १९५६, के गज़ट का पता है जिसमें कि इस कार्य का नियम भी बदला गया है और नामजदगी किये जाने वालों के लिये जो विशेषताएं रखी गयी हैं उनमें भी परिवर्तन किया गया है ?

श्री हरगोविंद सिंह—वह तो आप जानते ही हैं कि जो परिवर्तन किया गया है।

**राजा वीरेन्द्र शाह** (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री कृपा कर के बतलायेंगे कि हरिजन बोर्ड में कितने हरिजन हैं और कितने पिछड़ी जाति के लोग हैं ?

**डाक्टर सीताराम**—१४ परिगणित जाति के और ४ पिछड़ी जाति के।

**श्री वीरेन्द्रपति यादव**—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बैकवर्ड क्लासेज वेलफ़ेयर बोर्ड में इस विधान सभा के कोई पिछड़े वर्ग के सदस्य पश्चिमी जिलों से नहीं हैं?

**श्री हरगोविंद सिंह**—वह तो आप लिस्ट देख लीजिये। पूर्वी-पश्चिमी तो आप ही जानते होंगे कि कौन हैं लेकिन इसमें ४ आदमी हैं।

**श्री रामदास आर्य** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी ने इस बोर्ड के चुनाव में यह भी ध्यान रखा है कि सूबे के हर डिवीजन से प्रतिनिधित्व हो जाय ?

**श्री हरगोविंद सिंह**—हां, इस बात का प्रयत्न किया गया है और जहां तक सम्भव हुआ रखे गये।

**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बुंदेलखंड से भी इस बोर्ड में कोई प्रतिनिधि है ? यदि नहीं तो, क्यों ?

**श्री हरगोविंद सिंह**—जी हां, उधर से भी हैं।

**श्री जयपाल सिंह** (जिला सहारनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बोर्ड की पालिसी क्या है और क्या बोर्ड में जो डिसीशन पिछले दिनों लिये गये हैं उनको पूरा करने के लिये यह सरकार क्या कर रही है ?

**श्री अध्यक्ष**—यह नामजदगी का प्रश्न था; इसमें पालिसी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

**श्री मदनमोहन उपाध्याय**—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे कि जो पिछड़ी जाति के लोग इस बोर्ड में रखे गये हैं उनके नाम सदन के सामने पढ़ देंगे ?

**डाक्टर सीताराम**—पिछड़ी जाति के हैं श्री प्रभु दयाल, एम० एल० ए० (बस्ती), श्री श्यामलाल, वकील, बनारस, श्री तेलूराम, सहारनपुर, और श्री निजामुद्दीन, इलाहाबाद।

*११—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—[१२ मार्च, १९५६, के लिये प्रश्न १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१२-१४—**श्री झारखंडे राय**—[१६ मार्च, १९५६, के लिये स्थगित किये गये।]

## सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों को सहायता देने के नियमों में परिवर्तन का विचार

*१५—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या राज्य सरकार इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि सेकेन्डरी और हायर सेकेन्डरी स्कूलों को सहायता देने के सिद्धान्त में परिवर्तन किया जाय ? यदि हां, तो वह क्या है ?

**डाक्टर सीताराम**—जी हां, कुछ सुझाव विचाराधीन हैं। परन्तु उन पर जब तक अन्तिम निर्णय न हो जाय कुछ कहा नहीं जा सकता।

**श्री जोरावर वर्मा**—क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि वे क्या कारण हैं जिनके कारण नये खुले हुये स्कूलों को सरकार मदद और ग्रांट दे रही है और जो पुराने हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं उनको मदद नहीं दे रही है ?

**श्री हरगोविंद सिंह**—नये पुराने के आधार पर ग्रान्ट नहीं दी जाती है। जो शर्तें हैं उनको चाहे थोड़े दिनों का खुला स्कूल हो या बहुत दिनों का हो जो भी पूरा कर देते हैं उन्हीं को अनुदान दिया जाता है।

**श्री जोरावर वर्मा**—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो शर्तें होती हैं उन्हीं के आधार पर संस्थाओं को रेकगनीशन मिलता है या बिना उन शर्तों के पूरा किये ही रेकगनीशन मिल जाता है ?

**श्री हरगोविंद सिंह**—यह जरूरी नहीं है कि रेकगनीशन मिल जाने पर अनुदान अवश्य मिल जाय।

*१६—**श्री जोरावर वर्मा**—[२३ मार्च, १९५६, के लिये स्थगित किया गया।]

## असहाय और अशक्त व्यक्तियों के लिये विपन्न-गृह निर्माण-योजना

*१७—**श्री अनन्त स्वरूप सिंह** (जिला फतेहपुर) ( अनुपस्थित )—क्या सरकार राज्य में लूलें, लंगड़े, अन्धे एवं अपाहिजों की संख्या जानने के लिये आंकड़े इकट्ठा करने का कार्य कर रही है ?

**आचार्य जुगलकिशोर**—जी हां। कबाल शहरों, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, आगरा तथा कानपुर के नगरपालिका प्रशासकों द्वारा उनके क्षेत्रों में असहाय, वृद्ध एवं अशक्तों का पर्यवेक्षण का प्रबन्ध इस वर्ष किया जा रहा है।

*१८—**श्री अनन्तस्वरूप सिंह** (अनुपस्थित)—अगर हां, तो क्या सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में एक Destitute House कायम करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

**आचार्य जुगलकिशोर**—प्रत्येक जिले में तो नहीं किंतु चार बड़े शहरों में अशक्तों के लिये होम तथा वर्क हाउस खोलने का प्रबन्ध हो रहा है।

*१९—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर )—[२३ मार्च १९५६, के लिये स्थगित किया गया।]

## बुलन्दशहर जिले में रूरल यूनिवर्सिटी खोलने के लिये श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा द्वारा प्रदत्त भूमि

*२०—**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार को कोई पत्र तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के ग्राम नगला नगली, नलगड़ा, चौगानपुर व हल्दौनी में रूरल यूनिवर्सिटी खोलने के सम्बन्ध में लिखा है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

**डाक्टर सीताराम**—जी हां। भारत सरकार ने प्रदेशीय सरकार को सितम्बर, १९५५, में लिखा था कि सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर, के श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ने भारत सरकार को कथित गांवों में स्थित अपनी भूमि वहां एक शिक्षा संस्था खोलने के हेतु दान स्वरूप देने का प्रस्ताव किया है जो भारत सरकार के विचाराधीन है। साथ ही भारत सरकार ने यह भी लिखा था कि श्री शर्मा से कुछ देय रकमों की वसूली के लिये होने वाला नीलाम यदि सम्भव हो तो रोक दिया जाय जब तक भारत सरकार उक्त भूमिदान प्रस्ताव पर निर्णय न कर ले।

*२१—**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त यूनिवर्सिटी को भूमि किस-किस गांव से कितनी-कतनी बीघा मिली है ?

**डाक्टर सीताराम**—जहां तक इस सरकार को ज्ञात है, कोई भूमि अभी तक नहीं दी गई ।

**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह देय रकम कितनी है प्रदेशीय सरकार की इनके जिम्मे जिसके सम्बन्ध में नीलाम किया जा रहा है ?

**श्री हरगोविंद सिंह**—मेरा खयाल है १७ हजार के लगभग है ।

**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि यह भूमि जो भारत सरकार को रूरल यूनिवर्सिटी खोलने के लिये दी जा रही है उसमें से काफी जमीन पूज्य विनोबाजी को भी दी जा चुकी है और काफी जमीन लड़कियों के नाम भी है ?

**श्री हरगोविंद सिंह**—विनोबा जी को दी गयी या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसकी पत्रावली देखने से कम से कम मेरी समझ में तो यह आया कि चूंकि वह कर्जा किसी तरह से दे नहीं रहे हैं तो वह जमीन भारत सरकार को भी लिख रहे हैं कि आप रूरल यूनिवर्सिटी के लिये ले लीजिये, विनोबा जी को भी दिया होगा और जो जमीन पर कर्जा है उसको वह देना नहीं चाहते और कई बार मांगने के बावजूद भी नहीं दे रहे हैं । यह सन् ४९ का कर्जा है जो आज तक दिया नहीं है और जमीन दे रहे हैं ।

**श्री रामकुमार शास्त्री** (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जो जमीन यूनिवर्सिटी के लिये दी जा रही है उसका क्या रकबा है ?

**श्री हरगोविंद सिंह**—रकबा तो पूरा नहीं बता सकते लेकिन चार गांवों में वह जमीन है और उस पर कर्जा भी है ।

**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या मंत्री जी को विदित है कि जो विचार गवर्नमेन्ट का इन चार गांवों में रूरल यूनिवर्सिटी खोलने का है वहां बाढ़ भी आती है ?

**श्री हरगोविंद सिंह**—इसकी इत्तिला मुझे नहीं है, मुमकिन है बाढ़ आती हो ।

*२२-२३—**श्री गोवर्धन तिवारी** (जिला अल्मोड़ा)—[२३ मार्च, १९५६, के लिये स्थगित किये गये ।]

*२४—**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—[ ६ अप्रैल, १९५६, के लिये स्थगित किया गया ।]

## राज्य के बेरोजगारों की सूची की मांग

*२५—**श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट**—क्या सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारों की कोई सूची तैयार करने की व्यवस्था की है ? यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है ?

**आचार्य जुगलकिशोर**—जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में बेरोजगारी की योजना किस आधार पर बन रही है ?

**आचार्य जुगलकिशोर**—वह इसी आधार पर बन रही है कि जहां तक हो सके बेकारी को दूर किया जाय ।

**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट**—क्या सरकार बतला सकती है कि बेरोजगारी बढ़ रही है या घट रही है ?

**श्री अध्यक्ष**—आपका प्रश्न यह नहीं था। आप तो सूची तैयार करने के बारे में तथा संख्या पूछ रहे हैं। इसमें घटने बढ़ने का सवाल नहीं है; यह चीज इससे उत्पन्न नहीं होती है।

**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह ऐसी सूची तैयार करना जरूरी समझती है या नहीं। यदि हां, तो कब तक बनाने का विचार रखती है ?

**आचार्य जुगलकिशोर**—इस समय कोई ऐसा विचार नहीं है कि ऐसी सूची बनाई जाय, लेकिन सूचनार्थ इतना बतला देना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन की ओर से कोशिश की जा रही है कि जितनी सूचना इकट्ठी हो सके वह करे।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार के स्टैटिस्टिक्स विभाग का यह विचार है कि प्रदेश के शहरी और देहाती क्षेत्र में कोई सेन्ट्ल सर्वे कराये ?

**आचार्य जुगलकिशोर**—इस समय तो ऐसा कोई विचार नहीं है।

**श्री रामेश्वर लाल**—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बेकारों की गणना कराने का सरकार का विचार क्यों नहीं है ?

**आचार्य जुगलकिशोर**—इसलिये कि यह समस्या इतनी बड़ी है कि बहुत से कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी और इतनी बड़ी सूची बन जायगी जिसको गवर्नमेन्ट पूरा नहीं कर सकती है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि बेकारी की समस्या का हल उद्योग-धंधों की तरक्की करके किया जाय।

**श्री मदनमोहन उपाध्याय**—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बेकारी की समस्या का हल जो सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में करने जा रही है, उनमें पढ़ी-लिखी लड़कियां भी शामिल हैं या नहीं जो नौकरी ढूंढ़ रही है ?

**श्री अध्यक्ष**—यह स्पष्ट नहीं होता है कि पढ़ी-लिखी लड़कियों से आपका क्या मतलब है; फिर से आप अपना प्रश्न स्पष्ट कर दें।

**श्री मदनमोहन उपाध्याय**—अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में बहुत-सी पढ़ी-लिखी लड़कियां हैं जो नौकरी ढूंढ़ रही हैं। सरकार जब अनइम्प्लायमेन्ट की बात करती है तो केवल पुरुषों की बात करती है। इसलिये मैं पूछ रहा हूं कि इसमें पढ़ी-लिखी लड़कियों को शामिल किया गया है या नहीं।

**आचार्य जुगलकिशोर**—हमारे संविधान में कोई ऐसा भेद नहीं है अगर काम मिल सकता है तो उसके लिए स्त्री भी जा सकती है और पुरुष भी जा सकता है।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**—बेकारी के संबंध में किसी विशेष जनगणना के अभाव में सरकार बतलायेगी कि जो आंकड़े बजट में दिये गये हैं वह कहां से प्राप्त किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, बेकारी किसको कहते हैं इसकी डेफीनीशन क्या हो इसके संबंध में जो हमारे देश का पैनल आफ इकोनोमिस्ट्स है वह और डाक्टर महालनवीस का जो विख्यात सेन्टर है स्टैटिस्टिक्स का यह दोनों बहुत जोरों से विचार कर रहे हैं। अभी तक कई महीने गौर करने के बाद भी इसकी कोई ठीक परिभाषा नहीं वे बना सके हैं। इसका कारण यह है कि हमारे यहां देहात में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पूरी तरह से अनइम्पलायड नहीं कह सकते, वे पारशियली इम्पलायड हैं, तो उनको इम्पलायड में रखा जाय या अनइम्पलाइड में, यह समस्या बड़ी कठिन है। लेकिन माननीय नारायणदत्त जी ने जो सवाल किया उसका जवाब तो कठिन नहीं है। मोटे तौर से यह अंदाजा है कि हमारे यहां बेरोजगारों की संख्या काफी है जिनको हमें रोजगार देना है। अनुमान यह है कि बहुत से लोगों को इम्पलायमेन्ट मिल जायगा। यही एक आधार है जिस पर प्लानिंग कमीशन ने अन्दाजा किया है कि दस मिलियन यानी सौ लाख आदमियों को रोजगार मिल जायगा। हम जो पंचवर्षीय योजना में रख रहे हैं वह इसका १/६ है यानी करीब १३ लाख के होगा। यही हमारे बजट का आधार है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि केन्द्रीय सरकार या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की ओर से हमारे प्रदेश के कुछ गांवों में लाक्षणिक जांच-पड़ताल बेकारी के विषय में की जा रही है या की गई है? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी उस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे?

आचार्य जुगलकिशोर—मुझे इसकी सूचना नहीं है, लेकिन संभव है कि कुछ यूनिवर्सिटीज की तरफ से इस तरह की जांच हो रही हो। इसका पूरे तौर से मुझे पता नहीं है।

*२६-२७—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—[२३ मार्च, १९५६, के लिये स्थगित किये गये।]

## हरिद्वार में आल पार्टीज ऐन्टी टैक्स कमेटी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री झारखंडे राय जी ने भेजा है। वह इस प्रकार है :—

"पवित्र तीर्थ स्थान हरिद्वार में आगामी अर्धकुम्भ से संबंधित लगे नये मेला टैक्स के विरुद्ध निर्मित आल पार्टीज ऐन्टीटैक्स कमेटी के कार्यकर्ताओं की कल, तारीख १-३-५६ को, गिरफ्तारी से उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार हेतु सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

और इस गिरफ्तारी के संबंध में मेरे पास उन्होंने एक तार भेजा है जो उन्होंने प्राप्त किया है। उसमें लिखा है कि—

"KUMBH FAIR COMMITTEE HARDWAR WORKERS ARRESTED RAISE QUESTION IN ASSEMBLY."

कहीं गिरफ्तारी हो जाय और वह तार कर दें कि "हम लोग गिरफ्तार हो गये या कुछ लोग गिरफ्तार हो गये इसलिये असेम्बली में उक्त सवाल उठा देना चाहिये।" इसका आधार इसी प्रकार का तार और इतना ही है। इसके अलावा मैं इसको निश्चित भी नहीं समझता हूं और अर्जेन्ट भी नहीं समझता हूं। यानी यह इतना आवश्यकीय नहीं प्रतीत होता कि इसके लिये तत्काल ही सदन का कार्य

रोक कर इस पर विचार किया जाना आवश्यक हो। एक और भी बात है कि बजट जारी है और ६ तारीख को जब सामान्य प्रशासन पर विचार होना है उसमें यह प्रश्न जब तक कि माननीय सदस्य और अधिक जानकारी प्राप्त कर लेंगे उपस्थित कर सकते हैं। इन कारणों से मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि यह इस समय उपस्थित किया जाय।

## १९५६–५७ के आय-व्ययक में विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

**श्री अध्यक्ष**—वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये आय-व्ययक के अनुदानों के लिये प्रस्ताव उपस्थित होंगे। इसके पूर्व कि मैं कोई अनुदान उपस्थित करने के लिये मंत्री जी से कहूं मैं नेता विरोधी दल से भी पूंछूंगा कि इनमें से कौन से अनुदान वह चाहते हैं कि जिनके ऊपर विशेष वाद-विवाद हो और उसके लिये क्या-क्या समय वह चाहते हैं।

**श्री मदनमोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, हम लोग चाहते हैं कि आज सूचना मंत्री के अनुदान ले लिये जायं, ९,१० और ४३। मैं चाहता हूं कि ९ और १० एक साथ पहले ले लिये जायं और ४३ अलग से लिया जाय। पहले दोनों के लिये ३ घंटे का समय हो और बाकी समय अनुदान ४३ के लिये रहे।

**श्री अध्यक्ष**—बाकी दो दिन हैं। दूसरे अनुदानों के लिये आप क्या करना चाहते हैं?

**श्री मदनमोहन उपाध्याय**—बाकी के लिये सुझाव मैं उस दिन दूंगा।

**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह तीनों अनुदान एक साथ ले लिये जायं और समय इनमें पूरा दिन रहे। यह एक दूसरे से मिले जुले हैं और जिसको जिस विषय में कहना हो वह कह सकता है।

**श्री अध्यक्ष**—(श्री मदनमोहन उपाध्याय से) आपको सहूलियत किसमें है?

**श्री मदनमोहन उपाध्याय**—हमको सहूलियत अलग-अलग होने में है। कुछ रेवेन्यू एकाउन्ट से खर्च होते हैं और कुछ कैपिटल एकाउन्ट से।

**श्री अध्यक्ष**—तो इसमें पहले दो में ३ घंटे का समय रहेगा, अनुदान संख्या ९ और १० में, और यह एक साथ लिये जायेंगे और अनुदान संख्या ४३ जो शेष समय रहेगा, उसमें उस पर विचार किया जायगा।

**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान २९ फरवरी के नवजीवन और स्वतंत्र भारत में छपे हुये विवरण की तरफ दिलाना चाहता हूं....

**श्री अध्यक्ष**—वह आप इस वक्त उपस्थित नहीं कर सकते। अब बजट के सम्बन्ध में मैंने चर्चा शुरू कर दी है। अगर उसके पहले प्रश्नों के समाप्त होते ही आप इसको उपस्थित करते तो मैं सुन लेता। अब उसके सम्बन्ध में आप चर्चा नहीं कर सकते।

**मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रार्थना करनी थी और वह यह है कि ६,७,८ तारीख को इसमें शिक्षा, सामान्य प्रशासन, पुलिस और जेल रखा गया है। इसमें पहले शिक्षा को रखा गया है और बाद को सामान्य प्रशासन, पुलिस और जेल को रखा गया है। अगर किसी को असुविधा न हो तो सामान्य प्रशासन, पुलिस और जेल को पहले ले लिया जाय और शिक्षा को बाद में ले लिया जाय।

**श्री अध्यक्ष**—मैं कार्यक्रम में उसका क्रम बदल दूंगा। नोटिस बदलने की आवश्यकता नहीं है। उस रोज ६ तारीख को कार्यक्रम में इसको पहिले रखवा दूंगा।

**श्री अध्यक्ष**—अब वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्तावों पर विचार होगा ।

## १९५६–५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ९—लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है) तथा अनुदान संख्या १०—लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८—सिंचाई और स्थापना पर व्यय

**सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)**—मान्यवर, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९—लेखा शीर्षक १७, १८ और १९–ख के अन्तर्गत राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्यों के लिये ३,८२,८३,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०—लेखा शीर्षक १७,१८,१९ और ६८, के अन्तर्गत सिंचाई स्थापना पर व्यय के लिये ३,५८,४८,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

मान्यवर, यह दोनों अनुदान जिनको मैंने आपकी आज्ञा से इस भवन के सन्मुख प्रस्तुत किया है वह सिंचाई विभाग की स्थापना व्यय से और रखरखाव के व्यय से सम्बन्ध रखते हैं। आनेवाले स्थापना के व्यय में और रखरखाव के व्यय में जो वृद्धि हुयी है उसे आपकी आज्ञा से इस सदन के सामने थोड़ा स्पष्ट कर देना आवश्यक है । गत वर्ष ३,५६,७३,००० रुपये की मांग अनुदान संख्या ९ के अधीन इस सदन ने स्वीकार की थी । इस वर्ष उसमें २६ लाख रुपये की वृद्धि हुयी है । इस वृद्धि का मुख्य कारण तो यह है कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो निर्माण-कार्य हुये हैं उनमें नहरों की लम्बाई बढ़ी है और नलकूपों की संख्या भी बढ़ी है । सिंचाई विभाग की ओर से आपकी आज्ञा से जो पुस्तिका यहां पर बांटी गयी है उसको यदि माननीय सदस्य देखेंगे तो उनको इस बात का अनुमान लग जायगा कि पिछले ५ वर्षों के बीच जो कार्य हुये हैं उनसे कई हजार मील नहरों का विस्तार हुआ है और कई हजार नलकूपों की संख्या बढ़ी है । स्वभावतः जब नहरों का विस्तार हुआ और नलकूपों की संख्या बढ़ी तो उनके रख-रखाव का भी खर्चा बढ़ेगा। इसमें हमारी गंगा नहर पर गंगा शताब्दि के अवसर पर जो पुल बनाने को तय किया गया उसका खर्चा भी सम्मिलित है । साथ ही साथ ट्यूबवेल्स की संख्या बढ़ने से बिजली के चार्जेज भी बढ़े हैं, उसका खर्चा भी सम्मिलित है । इसके सिवाय कृषि इंजीनियरिंग विभाग के सिंचाई विभाग में विलीन होने के कारण उसके कारखाने जो सिंचाई विभाग में आये, जैसे मेरठ और बरेली, इसके साथ ही साथ रुड़की का कारखाना भी आया, उनके कारण भी खर्चा बढ़ा है । इस प्रकार हमारे स्थापना व्यय में वृद्धि हुयी है जिसकी तफसील बजट के सम्बन्ध में वितरित किये हुये साहित्य में दी हुयी है । स्थापना पर जो व्यय पड़ा है, मान्यवर, वह करीब-करीब ६४ लाख रुपये के है । इस व्यय को पड़ने का मुख्य कारण तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की वह योजनायें हैं जिनका कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में आरम्भ होगा और जिसके लिये स्थापना के व्यय में करीब ४० लाख के वृद्धि होती है । वह योजनायें क्या हैं ? उन पर कदाचित जब अनुदान संख्या ४३ पर यह सदन विचार करेगा तो आपकी आज्ञा से कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा । संप्रति इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इस ६४ लाख की बड़ी रकम में से करीब ४० लाख स्थापना व्यय उन योजनाओं पर होगा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अगले वर्ष से आरम्भ होने वाले कार्यों को करने के लिये स्टाफ रक्खा गया है ।

दूसरी एक रकम इसमें पेंशनरी चार्जेज की है। एक रकम इसमें मेरठ, रुड़की, बरेली और झांसी के कारखाने जो हमें मिले हैं, उनके ऊपर स्थापना के व्यय की है। इसके अतिरिक्त जो साधारणतः वृद्धि कर्मचारियों सम्बन्धी व्यय की है, उसके सम्बन्ध में, मैं समझता हूं, वास्तव में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। हमने कुछ अपने डिवीजन्स के कार्यकर्ताओं को, जो बहुत दिनों से टैम्पोरेरी चले आते थे, स्थायी किया है। इस विभाग की सदैव से यह राय रही है कि अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाय। सदन की नीति के अनुसार और सरकार की भी इस नीति के अनुसार अवश्य ही अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने से कार्य और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार धीरे-धीरे अस्थायी पदों को स्थायी करने की चेष्टा की गयी है। गतवर्ष भी की गयी और इस वर्ष भी। जैसा कि बजट के साहित्य में जिक्र है उनको स्थायित्व प्रदान करने की चेष्टा की है। हमारा रुड़की का रिसर्च इंस्टीट्यूट अस्थायी आधार पर चल रहा था उसको भी स्थायित्व प्रदान किया है तथा उसके विस्तार करने की चेष्टा की गयी है। रिसर्च इंस्टीट्यूट की कितनी आवश्यकता हमारे प्रदेश में है यह कई बार इस सदन में बताया गया था। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य उसकी उपयोगिता के बारे में भलीभांति जानते हैं। जितने कार्य का विस्तार हुआ है, जितनी नयी योजनायें चल रही हैं नये-नये कार्य देश में होते चले जा रहे हैं उनके लिये रिसर्च का इंस्टीट्यूट न केवल आवश्यक है प्रत्युत अनिवार्य है। उससे काम में सहूलियत भी होती है और अनुभव भी होता है कि जो योजनायें चल रही हैं उनकी प्रौढ़ता और उपयोगिता किस सीमा तक है और साथ ही साथ हमने उनके परामर्श से बहुधा देखा भी है कि हमारी योजनाओं के खर्चों में कमी हो गयी है। इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हमारे प्रदेश में तो आवश्यकता थी ही। आज हमारा यह रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर भारत की मुख्य संस्थाओं में से एक है और इसके पास न केवल हमारे प्रदेश, प्रत्युत अन्य स्थानों के और दूसरे प्रदेशों के भी बहुत से काम आते रहते हैं। रेलवे डिपार्टमेंट, दूसरे प्रदेशों को और भारत सरकार को भी उसने सहायता प्रदान की है। उसकी योजना बन गयी है जिसका उल्लेख बजट के साहित्य में है। उसका खर्च सायल रिसर्च हाइड्रालिक्स और जितने उसके अन्तर्गत काम होते हैं उनके विस्तार किये जाने पर बढ़ा है। उनके अलावा इलाहाबाद में बेलन कैनाल डिवीजन महोबा डिवीजन, प्रतापगढ़, बस्ती और आजमगढ़ डिवीजन में हमने इस सबको स्थायित्व किया है क्योंकि यह काम पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर एक छोटी-सी बात है उसे मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में तारघरों की एक बड़ी व्यवस्था है। हमारी नहरें जो चलती हैं उनपर तारघर बने हुये हैं और हमारा अलग से टेलीग्राम्स का प्रबंध रहता है जैसे कब कहां पानी खुल गया, कहां बन्द हो गया, कहां से पानी अधिक आ गया इन तमाम चीजों का विभाग को पूरा हाल भेज सकते हैं और उसकी व्यवस्था चलती रहती है। कदाचित् १८९९ में जो तारघर के हमारे कर्मचारी थे वे स्थायी बना दिये गये थे परन्तु न जाने किस कारण से जो पियन्स हमारे तारघर के थे जिनकी तादाद लम्बी चौड़ी थी उनको स्थायी तो बना दिया गया, लेकिन उनका पद पेंशनेबिल नहीं किया गया। वे नानपेंशनेबिल थे। यह व्यवस्था आज ५०, ६० वर्षों से थी। इस बार इस विभाग के इन कर्मचारियों को जो बहुत निम्न स्तर के कर्मचारी थे जिनका पद पेंशनेबिल नहीं था उन्हें हमने इस बजट के द्वारा पेंशनेबिल बना दिया। इस प्रकार स्थापना पर रखरखाव का जो खर्चा बढ़ा है उसका मैंने संक्षेप में उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि इस अवसर पर कदाचित् अधिक समय न लूं। माननीय सदस्यों को इसके सम्बन्ध में जो टीका हो उसे सुन लूं और फिर और जो कुछ विशेष बातें सिंचाई विभाग वगैरह की विस्तार से करनी होंगी वह जब अनुदान संख्या ४३ पर विवाद होगा तो मैं उपस्थित करूंगा। बैठने के पूर्व इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारे देश के इतिहास में यह एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज से पांच वर्ष पूर्व राष्ट्र ने अपने उत्थान और विकास के लिये

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

एक महती यात्रा आरम्भ की थी। आज वह प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात आगामी मास से होने जा रहा है। यह एक संधिकाल है जब देश में एक नये युग का आविर्भाव और आरम्भ होने जा रहा है। मेरी ऐसी धारणा है, मान्यवर, कि हमारे इस प्राचीन देश के इतिहास में कदाचित् हजारों वर्षों में कभी ऐसा समय आया नहीं था जबकि बड़े भारी जन राज्य की स्थापना हुयी हो और उस राज्य ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और उस राष्ट्र ने अपने को मुक्त करने के बाद अपने उत्थान और विकास का इतना महान् प्रयास किया हो। हमारे देश में सुन्दर युग भी रहे और पतन के युग भी रहे, पर यह विशेष युग इस राष्ट्र के इतिहास में उपस्थित हुआ है जिसमें जनसमुदाय, जनशक्ति, जन राज्य अपने विकास और उत्थान के लिये और सैकड़ों वर्षों की पराधीनता के कारण जो उत्तराधिकार में उसे दुर्दशा और कलंक प्राप्त हुआ हो उसका परिहार करने के लिये इतना महान् प्रयास किया हो। आज से पांच वर्ष पूर्व हमने कोई यात्रा प्रारम्भ की और बड़ी सीमा तक उसने सफलता प्राप्त की। हमारे प्रदेश में सिंचाई विभाग ने जो थोड़ा-सा समय और थोड़ा-सा अवसर उसे मिला उसमें उसने अपनी शक्ति भर इस प्रदेश की सेवा करने की चेष्टा की। नम्रतापूर्वक मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग ने जो कुछ इससे बन पड़ा है अपने प्रदेश की जनता की सेवा में कुछ बात उठा नहीं रखी। आज चार वर्ष पूर्व हमारे उत्तर प्रदेश में जितनी नहरें थीं, मैं समझता हूं कि करीब करीब २५ फीसदी उनके मीलों में वृद्धि हुयी है। अगर करीब १९,००० मील नहरें प्लान के आरम्भ करने के पूर्व थीं तो आज मार्च सन् १९५६ तक २३,२४ हजार मील नहरें आप पायेंगे। २३०० ट्यूबवेल इस प्लान के पहले हमारे प्रदेश में थे वह ५००० से ऊपर हो जायेंगे। इसके सिवा, मान्यवर, सिंचाई विभाग के ऊपर और काम भी प्रतिवर्ष बढ़ता गया है। न केवल योजना का कार्य बल्कि दूसरे विभागों का कार्य भी और दूसरे काम भी उसके अन्तर्गत चलाये गये हैं। सन् ५२ में हमारे प्रदेश में फूड प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट था जिसके एक चीफ इंजीनियर अलग थे। उस समय हमारे यहां कृषि इंजीनियरिंग का एक विभाग था जिसके एक चीफ इंजीनियर थे। सिंचाई का विभाग था। जब यह नया विभाग बना तो सिंचाई के सम्बन्ध में जितने विभाग थे सारे के सारे सिंचाई विभाग में विलीन किये गये। कृषि इंजीनियरिंग विभाग भी विलीन हुआ, फूड प्रोडेक्शन का विभाग भी विलीन हुआ, उनके सारे काम इस विभाग के ऊपर आये। योजना का कार्य उनके ऊपर था ही। इसके सिवा सिंचाई विभाग अपने प्रदेश के बिजली घरों के निर्माण-कार्य में भी संलग्न हुआ। पथरी का पावर हाउस, शारदा का पावर हाउस, यह सब इस विभाग के द्वारा बनाये गये। आज सोहावल, मैनपुरी, गोरखपुर और मऊ के ये सारे पावर हाउसेज को यह विभाग बनाता चला जा रहा है। कालोनाइजेशन का सारा काम इस विभाग के ऊपर हुआ। एन० ई० एस० ब्लाक और कम्युनिटी प्रोजेक्ट की इमारतों को बनाने का जितना काम था, नहरों के निर्माण का जितना काम था वह सब इस विभाग के द्वारा हुआ। इसके अलावा रूरल वाटर सप्लाई जो एल० एस० जी० डिपार्टमेंट का काम था वह भी इस विभाग के जिम्मे हुआ। इस प्रकार, मान्यवर, इस विभाग के ऊपर काम आते गये। और यथाशक्ति उस काम का निर्वाह करने की चेष्टा विभाग की ओर से होती गयी, बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या यहां उत्पन्न हुयी जिससे यहां असीम हानि हुयी, बाढ़ का अलग से विभाग बना, अलग योजना बनी, अलग उसका काम हुआ और करीब ४–५ करोड़ की योजनायें उसके लिये आयीं और वह काम भी इसी विभाग के द्वारा हुआ और साथ ही छोटे-छोटे ड्रेनेज आदि के कार्य भी उसी के ऊपर आये। आज सिंचाई विभाग की ओर से कृषि इंजीनियरिंग विभाग की एक वर्कशाप भी चल रही है जोकि हमारे प्रदेश की वर्कशाप का एक उत्कृष्ट नमूना है और जिस के द्वारा इस प्रदेश की सेवा बहुत अच्छी तरह से हो रही है, वहां हमारा बाहर का काम भी आ रहा है वर्कशाप में करने के लिये और आज इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे कारखानों में जहां घाटा ही घाटा होता था अब लाभ भी होने लगा है। तो इन तमाम कार्यों को देखते हुये और उनके विस्तार को देखते हुये, स्थापना के ऊपर और हमारे रखरखाव के ऊपर जो पिछले सालों में वृद्धि हुयी है और हो रही है वह मैं समझता हूं अधिक नहीं है। मैं

सौभाग्य मानता हूं कि ऐसे युग में जबकि देश एक नयी मंजिल की ओर बढ़ रहा है और एक अध्याय की समाप्ति उसने की है जबकि अपनी प्लान का स्वरूप न केवल विकास का ही स्वरूप रहा, बल्कि वह स्वरूप तमाम देश की सामूहिक और मौलिक रचना की ओर अग्रसर हो रहा है, उस अवसर पर अपने इस प्रदेश के एक उत्कृष्ट बजट के एक छोटे से अंग के रूप में इन अनुदानों को प्रस्तुत करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ उसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और मुझे आशा है कि हमारी त्रुटियों और सीमाओं को देखते हुये, हमारे जो बन्धन रहे हैं, परिमिततायें रही हैं उनको देखते हुये इस विभाग ने जो कार्य किया है उस पर यह प्रदेश गौरव कर सकता है और भविष्य में इस माननीय सदन की ओर से जो सुझाव और विचार हमें मिलेंगे उनसे लाभ उठाने का हम प्रयत्न और प्रयास करते रहेंगे। इन थोड़े से शब्दों के साथ में आपकी आज्ञा से इन अनुदानों को स्वीकृति के लिये सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—(श्री नारायणदत्त तिवारी से) आप कितना समय लेंगे?

**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—यही १५–२० मिनट लूंगा।

**श्री अध्यक्ष**—तो १५ मिनट आप के लिये और जो और सदस्य बोलेंगे उनके लिये ७ मिनट।

* **श्री नारायणदत्त तिवारी**—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत दोनों अनुदानों के अधीन १–१ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। सामान्यतः सिंचाई विभाग में किसी भी प्रकार की कटौती का प्रस्ताव करना उचित नहीं प्रतीत होता। हमने भी इस बात की पूरी चेष्टा की कि हम इस सम्बन्ध में कोई ऐसी स्थिति ला सकें कि सामान्य वाद-विवाद की जरूरत न पड़े और कटौती के प्रस्ताव उपस्थित न हों। मैं माननीय मंत्री जी की इस उक्ति से पूर्णतः सहमत हूं कि अब एक नए युग का आरम्भ हो रहा है या होने की संभावना है लेकिन इस युग की जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व हमारे ऊपर क्या है और किस कार्यक्रम और पद्धति के अनुसार हमें इस युग में अपना उत्तरदायित्व पूरा करना है इसलिये अवश्य मैं कुछ कहने की गुंजायश समझता हूं। मैं यह समझता हूं कि जहां तक माननीय मंत्री जी और उनकी सरकार की इच्छा का सम्बन्ध है उनकी इच्छा यह अवश्य है कि सिंचाई या इसी प्रकार के काम प्रदेश में अधिक से अधिक हों और विकास के कार्य अधिक से अधिक हों। लेकिन प्रश्न तो यह है कि जो कुछ भी हम पिछले वर्षों में जो बजट में व्यवस्था करते आ रहे हैं क्या उसका समुचित उपयोग हुआ है, क्या स्थापना का व्यय जितना रहा है, क्या कामों की प्रगति को देखते हुए उसमें कोई वांछनीय वृद्धि तो नहीं हुई है, क्या ऐसा तो नहीं हुआ है कि जिन लक्ष्यों को हमने निर्धारित किया था उन लक्ष्यों की सही मानी में प्राप्ति तो नहीं हुई है, क्या ऐसा तो नहीं हुआ है कि जो आंकड़े हमारे सम्मुख विभाग द्वारा किये जाते हैं वह हमारी सफलताओं की एक मृगमरीचिका तो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं, ये सब बातें हमें और माननीय मंत्री जी को सोचना है। इस दृष्टिकोण से जब हम इस बजट को देखते हैं और इसकी पृष्ठभूमि और प्रगति को देखते हैं तो जरूर कुछ बातें निवेदन करनी पड़ती हैं। जहां तक बड़ी-बड़ी योजनाओं का सम्बन्ध है, राम गंगा डैम, या माताटीला का दूसरा स्टेज, या सारदासागर डैम का दूसरा स्टेज, इनके सम्बन्ध में कोई माननीय सदस्य नहीं कह सकता कि ये योजनाएं नहीं बनानी चाहिये या इन्हें कार्यान्वित करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि हमारी तरफ से कहा गया है कि जिसको मैं दोहरा देना चाहता हूं कि हम केन्द्रीय सरकार से और अधिक प्राजेक्ट्स लेने में, उसको मजबूर करने में हम असफल रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जैसा कि माननीय विरोधीदल के नेता ने कहा, और प्रदेशों की तुलना में हमारे यहां इर्रीगेशन प्राजेक्ट्स, इर्रीगेशन–कम–पावर प्राजेक्ट्स और प्रोडक्शन प्राजेक्ट्स की तुलनात्मक दृष्टिकोण से कमी है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी और सरकार, केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में और अधिक प्राजेक्ट्स के हेतु धन प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे।

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—मान्यवर, मैं कह रहा था कि यह नारायणदत्त जी ने जो बहस आरम्भ की, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में, अगर ४३ भी मुझे प्रस्तुत करने दिया गया होता तो कहीं यह बहस ठीक होती। अभी यह अनुदान केवल, स्थापना और रखरखाव का है। जहां तक रामगंगा, सारदा, और माताटीला और नये और पुराने, प्राजेक्ट्स का सम्बन्ध है, वह ४३ में आयेगा और उस वक्त वह बात होती।

**श्री अध्यक्ष**—उनकी तो प्रस्तावना अभी चल रही है।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**—मुझे बड़ा दुःख है कि माननीय मंत्री जी ने मुझे टोका। अगर वह अनुदान संख्या ९ को पढ़ेंगे तो उन्हें दिखलायी देगा कि ९ और ४३ दोनों मदों में मिल सकता है, रेवेन्यू अकाउन्ट्स उसी मद में और बाक़ी कैपिटल अकाउन्ट्स में है।

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—बहुत बड़ा फर्क है, प्रोजेक्ट्स और आने वाली योजनाओं और राजस्व से होने वाले कामों में।

**श्री अध्यक्ष**—मैं समझता हूं कि पहले मुझे सिर्फ इतना देखना है कि असंगत तो नहीं हो रहा है। मैं तो यह समझ रहा था अभी कि वह असंगत नहीं हो रहे हैं क्योंकि वह बातें केवल प्रस्तावना मात्र के रूप में उन्होंने कही हैं।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**—मैं आपका ध्यान न्यु आइटम्स में.....

**श्री अध्यक्ष**—जब मैंने आप से कह दिया कि असंगत नहीं है तो बहस क्यों छेड़ते हैं। आप भाषण जारी रखें।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**—मैं उसको करीब-करीब खत्म ही कर चुका था अपना समय बचाने के लिये, और दूसरे प्वाइंट पर आ रहा था।

**श्री अध्यक्ष**—मैं आपका उतना समय बचा दूंगा।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**—जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है, श्रीमन्, मुझे अत्यन्त दुःख के साथ माननीय मंत्री जी का ध्यान इस वर्ष भी परस्पर विरोधी आंकड़ों की ओर आकर्षित करना पड़ता है। अभी कल माननीय मंत्री जी के विभाग की ओर से एक रिपोर्ट बांटी गयी उसके ठीक कुछ दिन पहले आंकड़ा विभाग की तरफ से जो सूचना दी गयी, दोनों सब से ताजी सूचनायें हैं। सारे प्रदेश में सिंचित क्षेत्रफल का जो आंकड़ा दिया हुआ है इसमें बताया गया है कि सिंचाई विभाग द्वारा ९६ लाख एकड़ जमीन मार्च, १९५५ तक, राजकीय सिंचाई साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल ९६ लाख एकड़ बतलाया, जो सींचा जा चुका है। लेकिन जो कि आंकड़ा विभाग के रिपोर्ट के चीफ़ इंजीनियर इर्रीगेशन से प्राप्त आंकड़े हैं उसमें केवल सिंचाई की गई भूमि की संख्या ६८ लाख ६ हजार एकड़ लिखी हुई है। इसी प्रकार बने हुए ट्यूबवेलों की संख्या में भी बड़ा अन्तर है। नहरों की संख्या तो ठीक मिली है, माइलेज की संख्या। लेकिन ट्यूबवेल और सिंचित क्षेत्र दोनों की संख्या में बड़ा भारी विरोध है और कम से कम जो सिंचित क्षेत्रफल है इसमें २२ लाख एकड़ के लगभग विरोध पड़ता है। दूसरी ओर जब हम वर्किंग एक्सपेंसेज़ देखते हैं पूरे आंकड़े के लिहाज से तो सन् १९३९-४० में जब कि २ करोड़ ९४ लाख का बजट था सिंचाई का परसेंटेज और जो

वर्किंग चार्जेज का था वह ४०.११ था। लेकिन आज जब ५ करोड़ ७६ लाख का है तो वर्किंग एक्सपेंसेज बढ़कर ५८.४४ हो गया है। यह जो आंकड़े हैं यह टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में दिए हुये हैं और उसी में लिखा हुआ है कि यू० पी० में वर्किंग एक्सपेंसेज इर्रीगेशन के बढ़े हैं। तो हमें यह सोचना है हम इस सम्बन्ध में क्या कर सकते हैं। एस्टीमेट्स कमेटी ने सिंचाई विभाग के बारे में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, शायद एक ऐग्रीकल्चर विभाग के मिला देने की बात को छोड़ कर और एक आध शायद इंजीनियर को कम करने को छोड़कर कोई भी कार्यवाही मेरी जानकारी में नहीं की गई है। एस्टीमेट्स कमेटी ने कहा कि चीफ़ इंजीनियरों की संख्या जो इस समय ४ है वह घटा दी जाय और एडीशनल चीफ़ इंजीनियर की कोई आवश्यकता नहीं है। डिप्टी चीफ़ इंजीनियर एक बनाया जा सकता है। लेकिन चीफ़ इंजीनियरों की संख्या आज भी ४ बनी हुई है। आप देखेंगे श्रीमन्, कि पी० डब्ल्यू० डी० में एक चीफ इंजीनियर है जब कि वहां भी काम कम नहीं और यहां ४ चीफ़ इंजीनियर हैं। ४ की संख्या तो मेरे ख्याल से पद के लिये भी शोभा की बात नहीं है। अगर ४ चीफ़ मिनिस्टर हों तो उस पद के नाम की क्या शोभा और उसके साथ ऐडीशनल चीफ मिनिस्टर बना दें तो वह भी कोई उचित नहीं होगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है, एडीशनल प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं होता। लेकिन यहां सब कुछ है। पद के नाम की संज्ञा से भी लिया जाय तो ज्यादा उचित नहीं होता। एस्टीमेट्स कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर्स जो हैं इनकी संख्या केवल ६ रखी जाय और ७ पदों को समाप्त कर दिया जाय और एस्टीमेट्स कमेटी ने सिफारिश आवश्यक तथा सारी गवाहियां लेने के बाद और काम को ध्यान में रखते हुए की थी। ऐसे ही सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर्स की संख्या घटाने के सम्बन्ध में एस्टीमेट्स कमेटी ने सिफारिश की थी। दूसरी और सिफारिशें भी थीं कि कंटिन्जेंसी की जो रकम खर्च होती है उसका प्रतिशत घटा कर रखा जाय। और प्रोजेक्ट्स के बारे में यह कहा था कि जो एक करोड़ तक के प्रोजेक्ट हैं उनमें २ प्रतिशत और उससे ज्यादा में १ प्रतिशत कम किया जाय। तो अगर एस्टीमेट्स कमेटी की उन सिफारिशों का ध्यान रखा गया होता तो टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में जो लिखा है कि यहां का वर्किंग ऐक्सपेंस ज्यादा है मेरा ऐसा विचार है कि कम हो सकता था। इसके साथ साथ मुझे यह भी निवेदन करना है कि आज हमारे इर्रीगेशन के बजट में जो रुपया प्रस्तुत किया जाता है उसके सम्बन्ध में भी वही शिकायत आमतौर पर है कि साल के अन्त में खर्चा ज्यादा होता है नतीजा यह होता है कि कुछ गलत तरीके से, अनधिकृत तरीके से जल्दीबाजी में रुपया खर्च होने में जो गल्तियां हो जाती हैं उनका होना स्वाभाविक होता है और हो सकती हैं। तो इसकी सम्भावना समाप्त करने के लिये मेरा सुझाव है कि एक नॉन-लैप्सेबिल फंड बनाया जाय जिसके लैप्स होने की आवश्यकता न पड़े और जो बड़े-बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट्स हैं ये नॉन लेप्सेबिल फंड में ऐसा सारा रुपया डाल दिया जाय ताकि विभाग ठीक तरीके से मितव्ययता से कार्य कर सके। और इस सम्बन्ध में कोई विशेष कठिनाई न हो। इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने योग्य है कि सन् १९४६ में एक मील नहर के ऊपर २६५ एकड़ की सिंचाई होती थी जब कि सन् ५७ का हमारा नया टार्जेट है उसके अनुसार एक मील नहर के ऊपर ३१० एकड़ जमीन की सिंचाई बताई गई है। तो हमें यह सोचना है कि माइलेज के ऊपर जो कि एक मील नहर के ऊपर एकड़ों की वृद्धि बतायी गयी है, ऐसा क्यों होता है। पानी कहां से आयेगा। यानी अगर नहरें बढ़ी हैं तो नहरों में पानी का जब तक वाल्यूम नहीं बढ़ेगा तब तक क्षेत्रफल भी नहीं बढ़ना चाहिये। तो यह जो एकड़ों का, पर मील एकरेज का जो

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

सवाल आता है इसको भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इस वर्ष एक बात और विशेष ध्यान देने की इस बजट में है कि स्पेशल डेवलपमेंट फंड जो कि एक दो तीन साल पहले बनाया गया था, जब कि इर्रीगेशन रेट्स बढ़ाये गये थे, इस वर्ष के बजट में उस स्पेशल डेवलपमेंट फंड में कोई आमदनी दिखाई गई है। कोई आमदनी नहीं है तो खर्चा भी कोई नहीं दिखलाया गया। क्या मैं ऐसी आशा करूं कि माननीय मंत्री जी ने इसलिये नहीं कोई रुपया इसमें रखा है क्योंकि वह इर्रीगेशन रेट्स में जो सन् ५०, ५१ और ५२ में वृद्धि की थी, उसको अब समाप्त करने जा रहे हैं। यानी इस सदन की जो मांग रही है सभी ओर से कि पुराने इर्रीगेशन रेट्स पूर्णतया समाप्त कर दिये जायं तो मुझे ऐसी आशा है कि शायद माननीय मंत्री जी ने इसी दृष्टिकोण को रख कर स्पेशल डेवलपमेंट फंड में एक भी रुपया ट्रांसफर नहीं किया है। जहां तक इर्रीगेशन रेट्स का सवाल है माननीय मन्त्री जी से इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि कम से कम इर्रीगेशन रेट्स कमेटी जो पहले इस सदन की बनी थी उसकी रिपोर्ट आज तक सदन के सामने नहीं आयी। कई बार माननीय मंत्री जी से कहा गया, प्रश्न भी पूछे गये और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि सरकार इस पर विचार कर रही है। लेकिन वह विचार सरकार का अनन्त विचार है। अब मालूम नहीं उसका अन्त कब होगा और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रकार अनन्त विचार शैली चलती रहे या कोई अनिश्चित विचार शैली चलती रहे, यह कोई शोभा की बात नहीं है। इसमें एक बात इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की ओर भी ध्यान देने योग्य है कि विभागीय सालाना छोटी रिपोर्टें तो हमको मिल जाती हैं लेकिन जिस प्रकार और विभागों की सालाना रिपोर्टें दो साल बाद या तीन साल बाद मिलती रहती हैं, वह अभी तक इर्रीगेशन विभाग की ओर से नहीं छपीं। मैं नहीं जानता कि वह कब छपने वाली हैं। छः सात सालों से तो छपी नहीं। तो वह रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिये जिससे कि हम जान सकें कि वास्तविक आंकड़े क्या हैं क्योंकि श्रीमन्, आप को याद होगा फारेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी को यह कहना पड़ा कि विभागीय रिपोर्टें फाइनल नहीं हैं। यह तो प्राथमिक रिपोर्ट है। अन्तिम रिपोर्ट तो वही मानी जायगी तो चीफ कंजर्वेटर आफ फारेस्ट के यहां से बाद को छप कर आयेगी। तो इसी प्रकार इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्टें भी जो कि कई सालों से छापी नहीं गई हैं इनका छपना अत्यन्त आवश्यक है ताकि हमको विश्वसनीय और सही आंकड़े प्राप्त हो सकें। तो मैं इर्रीगेशन रेट्स के बारे में कह रहा था। इस संबन्ध में टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने भी बहुत अधिक विचार किया है और इस सम्बन्ध में कई सिफारिशें भी की हैं जो कि हमारे सामने प्रस्तुत हैं। मैं केवल दो तीन बातों की ओर ध्यान दिलाऊंगा वाटर रेट्स के सम्बन्ध में। एक तो जो सिफारिश टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने की है पन्ना २५४ वाल्यूम ३ में वह यह है—

"Water rates fixed on a long term basis do not, however, take any account of the rise or fall in agricultural prices and particularly in the present period of development such a practice would deprive Government of a legitimate increase in revenues. It is necessary, therefore, that the water rates should be reviewed (and revised when necessary) at shorter intervals."

यानी जो बहुत समय तक एक स्थायी बेसिस पर वाटर रेट्स रख दिये जायेंगे तो जो दामों में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी होती रहती है उससे जो रेवेन्यू में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी हो सकती है उससे सरकार को आज के विकास के युग में नुकसान हो सकता है और किसानों को भी नुकसान हो सकता है। इसलिये उन्होंने कहा कि शार्ट इंटरवल में भी, कम पीरिअड में भी हमें इस बात को रिवाइज करने की आवश्यकता है जो कि हमारे रिवाइज्ड रेट्स हैं। इसके अलावा उन्होंने यूनिफार्मिटी इन रेट्स के सम्बन्ध में कहा है कि—

"There is, however, in our opinion, need for reducing as far as possible the present differences in the cost of water supply within the same class of irrigation works in a state and between different States."

यानी दूसरे राज्यों में और हमारे राज्यों में जो वाटर रेट्स कई प्रकार के हैं उनमें डिफरेंसेज आफ रेट्स को दूर करने की आवश्यकता है। जैसे पंजाब और पश्चिमी यू० पी० को ले लें वहीं यमुना के पार गन्ने की सिंचाई में दूसरे प्रकार के रेट्स हैं और यमुना के इधर दूसरी प्रकार के हैं। इसी पर टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने ध्यान दिलाया।

तीसरी बात जो कही है वह कंसेशनल रेट्स के बारे में कही है और आस्ट्रेलिया के एक सिद्धान्त की सिफारिश की है। उन्होंने आस्ट्रेलिया का उदाहरण देते हुए यह सिफारिश की है कि—

"The latter system is prevalent in some of the projects in Australia where the principle of sliding scale assessments is applied to water charges. Thus the rate is kept one fourth in the first year, one-half in the second, three-quarters in the third and the full amount is recovered in the fourth year."

तो इस प्रकार के कंसेशनल तरीके पर वहां वाटर रेट्स प्रचलित हैं जो स्लाइडिंग स्केल आफ असेसमेंट कहा जाता है। वहां पहले साल चौथाई लिया जाता है, दूसरे साल आधा, तीसरे साल तीन चौथाई और चौथे साल पूरा लिया जाता है। तो यहां पर शुरू से ही पूरा वाटर रेट लगा देना उपयुक्त नहीं है जब कि विकास की ओर हमारा ध्यान है। तो ऐसे सभी क्षेत्रों में जहां कि हम चाहे वान-गंगा या ट्यूब वेल से या किसी से सिंचाई कर रहे हों हमको इस स्लाइडिंग स्केल आफ असेसमेंट को ध्यान में रखना है। इससे लोगों को शुरूआत के सालों में जो कम आमदनी होती है उस स्थिति को सुलझाने में सुविधा मिलेगी और जो हम फायदा उठाना चाहते हैं वह भी उठा सकेंगे। विकास कार्य के लिये जो ट्यूबवेल बनाये जाते हैं तो उनकी सिंचाई की क़ीमत इतनी बढ़ जाती है कि उसके द्वारा पूरा पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता। ट्यूबवेल के प्रोफार्मा एकाउन्ट को जब हम देखते हैं ४८ लाख की संख्या से बढ़ कर १३१ लाख तक बढ़ गया। तो इसका मुख्य कारण यह है कि ट्यूबवेल की सिंचाई की क़ीमत बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम यहां कंसेशनल रेट्स का सिस्टम लागू करें तो बहुत कुछ सहूलियत हो सकती है। मैं यह भी मांग करूंगा कि इन सभी बातों पर विचार करने के लिये एक छोटी कमेटी इस सदन के सदस्यों की बना सकते हैं। उसमें एक आध एक्सपर्ट भी आ सकते हैं जो इस सारी समस्या पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें जिनके आधार पर हम एक निश्चय पर पहुंच सकें।

अन्त में मैं अपना कटौती का प्रस्ताव इसलिये प्रस्तुत करता हूं कि जो विभाग के सामने कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिये इस कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करें।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि इस विभाग ने आज इस प्रदेश की सम्पन्नता के लिए कुछ नहीं किया, सर्वथा अनुचित होगा और दोषपूर्ण होगा। यह अधिक से अधिक कहा जा सकता है कि जितनी आशा हम करते थे उस मात्रा में हमें सफलता नहीं प्राप्त हुई।

मान्यवर, समयाभाव के कारण मैं कुछ उन बातों पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा जिससे कुछ जनता को लाभ पहुंचा सकूं और मन्त्री महोदय यदि उन सुझावों को स्वीकार करें, तो उनके लिए भी लाभप्रद हो सकती है।

मान्यवर, इस प्रदेश में जितने ट्यूबवेल्स हैं उनमें से काफी संख्या ऐसी है जो अभी तक एनर्जाइज नहीं हो पाये हैं और उनके स्थानों पर विभाग

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ श्री अवधेशप्रताप सिंह ]

द्वारा डीजल इंजन से काम लिया जा रहा है। एक तो आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से मैं यह अनुरोध करूंगा कि जहां तक हो सके शीघ्रातिशीघ्र उनको एनर्जाइज करें, क्योंकि अगर डीजल इंजन उन कूपों पर रखे जाते हैं, तो उसका परिणाम यह होता है कि किसान को एनर्जाइज्ड ट्यूबवेल के मुकाबिले में बहुत अधिक सिंचाई देनी पड़ती है। और यदि किसी कारण से अभी जब तक कि रिहेन्डडैम तैयार नहीं होता विभाग के लिए एनर्जाइज करना असम्भव है तो सरकार को यह भी देखना चाहिए कि अगर उनको डीजल इंजन लगाने ही हैं तो वे तत्काल लगाये जायं। बहुत से जिलों में यह भी है कि टयूब वेल्स बन चुके हैं और काफी समय उनको बने हुए हो चुका है, लेकिन अभी तक न वे एनर्जाइज हो पाये हैं और न डीजल इंजन ही लगाया गया। जब किसान यह देखता है कि कुछ ही फर्लांग पर ट्यूबवेल्स काम कर रहे हैं तो उसको बहुत दुःख होता है। इसके अलावा यह इस दृष्टिकोण से भी हानिकारक है कि आपके प्रदेश में गल्ले के उत्पादन में भी अभी कमी है। इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी जगह यह कठिनाई अनुभव की जाती है कि किसी ट्यूबवेल में यदि बिजली फेल हुई तो टयूबवेल आपरेटर के लिए कोई रास्ता नहीं है कि वह ओवरसियर को इत्तला दे या हेडक्वार्टर्स पर खबर पहुंचाये। इसमें जहां समय नष्ट होता है वहां किसानों को भी महान क्षति पहुंचती है, क्योंकि खेती के मामलों में समय एक महत्व रखता है और वह समय यदि हाथ से निकल जाता है, तो लोगों को बहुत नुकसान होता है। नहरों के लिए तो तारघर हैं, लेकिन टयूबवेल्स के लिए अभी तक कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं हो पाया है कि जिससे अगर कोई खराबी हो जाय, तो आपके हेडक्वार्टर्स पर या आपके ओवरसियर को उसकी तत्काल सूचना मिल सके। और इसका प्रबन्ध जब तक नहीं होता है, तब तक मैं समझता हूं कि सरकार के लिए भी एक दिक्कत का सामना रहेगा और किसानों को भी कोई अधिक लाभ नहीं पहुंचेगा। यह भी देखा गया, जैसे कि सोहावल डिवीजन से बिजली जाती है, तो अगर कोई ट्यूबवेल खराब हो गया और टयूबवेल आपरेटर दौड़ कर जाता है और विभागीय अधिकारी को उसकी सूचना देता है, परन्तु उसके बाद वह चुपचाप बैठ जाता है और उसका कहना यह होता है कि जहां तक बिजली का प्रश्न है वह सोहावल पावर हाउस से सम्बन्ध रखती है, हमने उनको सूचना दे दी और इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लिहाजा मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से अर्ज करूंगा कि वह देखें कि जहां पर उनके ट्यूबवेल इन्जीनियर्स हों, उन में और सोहावल पावर हाउस और अन्य पावर हाउसेज में एक सहयोग होना चाहिए, कोआपरेशन होना चाहिए, जिससे यह न हो कि सिर्फ सूचना दे देने से सन्तुष्ट हो जायं और यह समझें कि हमने अपने धर्म का पालन कर दिया।

श्रीमन्, जो सब से बड़ी कठिनाई मैं देख रहा हूं वह यह है कि जहां पर सरकारी टयूब वेल्स हैं उनके सम्बन्ध में मैं आपको विस्तार में बतला देना चाहता हूं कि जहां पर डीजल इंजन हैं उस जगह पर तो किसान यह साहस नहीं कर सकता है और वह सोच भी सके, क्योंकि भाव इतना अधिक है और जब वह अन्त में परता लगाता है तो देखता है कि इस से तो मजदूर ही अच्छे थे और वह इससे दूर भागता है। जहां पर आपने बिजली दी है, उस जगह भी जिस भाव से पानी पहुंचता है, वह भी देखने की चीज है कि सरकार ने जिस के लिए इतना रुपया खर्च किया है वह उससे लाभ उठा पाती है या नहीं। श्रीमन्, आप इस प्रदेश में चाहे बकिंघम पैलेस बना दें और उनको दे दें, लेकिन देखने की चीज तो यह है कि उसमें वह रहकर अपने आप को मेन्टेन कर सकते हैं या नहीं।

*श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक अपने प्रान्त के सिंचाई विभाग का सम्बन्ध है, इस बात को हर कोई मानेगा कि हमारे इस विभाग ने अपने प्रान्त का बड़ा भारी उपकार किया है। मैं सिंचाई मन्त्री, उपमन्त्री तथा इस विभाग के सभी लोगों को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ा उपकार किया है। अब

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से पहले हमारे प्रान्त की सिंचाई की क्या व्यवस्था थी और अब हम कैसी उन्नति कर रहे हैं यह बात किसी से छिपी नहीं है। हो सकता है कि बहुत सी कमियां हों, और मैं यह मानता भी हूं कि अभी अपने प्रान्त में जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है उसमें बहुत कमी है। अगर हम अपने पड़ोसी पंजाब को देखें तो पता चलेगा कि वहां पर सिंचाई की कितनी उत्तम व्यवस्था है। हमें यह भी मानना पड़ेगा कि वहां से हमारे प्रदेश में अन्तर क्यों है? उसका मुख्य कारण यह है कि उनको अपने से केन्द्रीय सरकार से सहायता ज्यादा मिली। फिर भी हमारे इस विभाग ने काफी अच्छा काम किया है। मैं इसकी कमियों की ओर मन्त्री जी तथा विभाग के लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां अभी तक यही विचार रहा कि पानी को ज्यादा से ज्यादा हिस्सों में फैला दें और नहरें बनायें। मैं अपने मन्त्री जी से कहूंगा कि उन्हें इधर काफी ध्यान देना होगा। अभी तक हमारा यही ध्यान रहा कि हम अपने कुलाबों और गूलों के कमांड एरिया को बढ़ा दें और पानी एक मरतबा देना हो हम पर्याप्त समझते हैं। आज के जमाने में यह पर्याप्त नहीं है। अगर आपको इन्टेंसिव कल्टीवेशन करना है और अपने यहां की उपज को बढ़ाना है, तो आबपाशी की मात्रा को बढ़ाना होगा और इस मौजूदा स्थिति से सन्तुष्ट रहना नहीं होगा कि आपने एक मर्तबा पानी दे दिया तो वह पर्याप्त है। मैं यह देखता हूं कि अपने प्रान्त में जो गूलों पर कमान्ड रखा गया है, वह बहुत अधिक है और इसी तरह से जो आपने टयूब वेल पर कमान्ड रखा है, वह भी इतना ज्यादा है कि एक-एक पानी भी मुश्किल से ईख और गेहूं जैसी जो अच्छी फसलें हैं और जिनको ज्यादा पानी की आवश्यकता है, मिल पाता है। तो माननीय मन्त्री जी को इस ओर देखना होगा कि जितना पानी हम दें, जितनी आबपाशी हम करें, वह ऐसी हो कि जो मेहनती किसान है, वह उस से अधिक से अधिक उपज कर सके। वह तभी हो सकती है, जब हम पानी की मात्रा अपने यहां बढ़ायें। एक बात जो मैं आम तौर से देखता हूं कि हमारे यहां चकबन्दी हो रही है। हमारा ऐसा ख्याल था कि चकबन्दी होने से हमारे यहां आबपाशी की मात्रा बढ़ जायेगी। जितनी आबपाशी अभी हो रही है, उसकी हम सवाई आबपाशी कर लेंगे और उसका कारण यह है कि हम जो गूलें हैं, उनको सीधी कर लेंगे लेकिन हमें अभी इसमें कामयाबी नहीं हुई और उसका मुख्य कारण मैंने यह देखा कि इसमें चकबन्दी विभाग को सिंचाई विभाग पूरी मदद नहीं करता। वह इस शक्ल में होनी चाहिए कि उनको अपने नक्शे अपने विभाग की तरफ से बना कर दें जंगल के इलाके के कि कहां पानी जाना चाहिए और कहां गूलें जानी चाहिए। और वह गूलें सीधी होनी चाहिए, जहां तक कि हो सके। ताकि आप उनको पानी दे कर आबपाशी बढ़ा सकें।

इसके साथ ही साथ अभी मैंने कैराना तहसील में देखा कि नहर विभाग की तरफ से यह प्रबन्ध नहीं किया गया कि जो फालतू पानी होता है, उसके लिए नाले बनाये जायं। और उस तहसील में जब चकबन्दी होगी, तो उसके बाद वहां के किसान को इस कारण से दिक्कत पड़ेगी। आप बाद में नाले निकालेंगे और वह किसी एक किसान के चक में से जायेगा। तो इस लिए मेरा सुझाव माननीय मन्त्री जी से यह है कि आपके प्रान्त में चकबन्दी होने जा रही है, और शीघ्र ही करीब-करीब सभी इलाकों में चकबन्दी शुरू हो जायगी, तो उसके पहले आप अपने मुहकमे की तरफ से जहां कि गन्दे पानी के नाले बनाने हैं, या गूलें बनानी हैं, उनका एक नक्शा बना दें, ताकि चकबन्दी में चक उन्हीं के हिसाब से बनाये जायं, ऐसा करने से बड़ा लाभ होगा। मैं यह भी समझता हूं कि अब वह समय आ गया है कि हम अपने प्रान्त में सर्वे इस बात के लिए करायें कि जहां आबपाशी हम कर सकते हैं, और जहां आबपाशी हमें करना चाहिए। क्योंकि बहुत से इलाके ऐसे हैं, कि जहां आबपाशी होना नामुमकिन है। तो उन सब इलाकों का सर्वे करा कर रख लिया जाय। यह मैं मानता हूं कि हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि हम हर जगह आबपाशी कर सकें लेकिन जहां नहरें हो सकती हैं, वहां का नक्शा होना चाहिए,

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

जहां टयूब वेल हो सकते हैं, वहां का नक्शा होना चाहिए। मैं अदब के साथ कहता हूं कि बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जहां पर अगर हम बिजली की लाइन निकाल दें, तो वहां टयूब वेल्स बन जायेंगे। लेकिन हमारे बिजली विभाग की तरफ से वहां बिजली की लाइन नहीं निकाली जाती और कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिनका अच्छा असर नहीं पड़ता। वहां के काश्तकारों से कहा जाता है कि लाइन का खर्चा दीजिये। तो मैं समझता हूं कि कोई भी काश्तकार १०,००० रुपया मील के हिसाब से लाइन का खर्चा देने की क्षमता नहीं रखता। तो मेरा सुझाव यह है कि हमारे बिजली और सिंचाई के महकमे एक ही मिनिस्टर के हाथ में रहने चाहिए। यदि ऐसा हो जाय, तो हमें बड़ी सुविधा होगी और लाभ भी हो सकेगा। क्योंकि बिजली का मुख्य काम हमारे प्रान्त में सिंचाई करना है।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि अब वह समय आ गया है कि जो नहरों पर रास्ते हैं वह आम जनता के लिए खोल दिये जायं ताकि लोग उनका पूरा-पूरा लाभ उठा सकें और आने जाने की सुविधा लोगों को हो सके। मैंने माना कि ऐसा करने से खर्चा बढ़ जायगा लेकिन खर्चा करने के लिए तो गवर्नमेंट है ही। आये दिन हम देखते हैं कि आबपाशी की दरों को बढ़ाया जाता है, तो उन नहरों से लोगों को सुविधा क्यों न दी जाय, ताकि लोग यह समझें कि यदि रेट्स बढ़े हैं, तो हमें सुविधा भी मिली है। तो मेरा सुझाव यह है कि नहरों के रास्तों को आम जनता की सुविधा के लिए खोल दिया जाय।

एक बात मैं देखता हूं कि जहां हमारे रास्तों में गूलें गुजरती हैं, उन के ऊपर आम तौर से पुल नहीं हैं। अब यह कहा जाता है कि काश्तकारों को इन पुलों को अपने खर्चे से बनाना चाहिए। उसमें अक्सर असुविधा होती है। नहर विभाग को हर गूल पर पुलिया बनानी चाहिए अगर खर्चे की बात हो तो वह काश्तकारों से एडजस्ट कर दी जाय। जो पानी बहुत खराब जाता है, वह उस से बच जायगा और उस से हमारे प्रान्त का काफी लाभ हो सकेगा।

**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, कटमोशन की तरफ भी कुछ ध्यान रहे तो अच्छा है।

**श्री चन्द्रसिंह रावत** (जिला गढ़वाल)—श्रीमन्, प्रस्तुत अनुदान का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। जिन विपत्तियों से होकर और जिन दुर्भिक्ष और प्रकोप से होकर हमारा देश गुजरा है, उनको देखते हुए हमारे मन्त्री महोदय ने जिस चतुरता और कुशलता के साथ हमारे इस सिंचाई विभाग की सिंचाई योजनाओं का नेतृत्व किया है उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि सिंचाई जैसा विभाग और उसका जैसा काम जो कि स्पष्ट हमारी आंखों से दिखाई देता है, उसको नजरन्दाज नहीं किया जाता। गेहूं के लहलहाते खेत आज इस बात के साक्षी हैं कि विभाग ने कार्य किया है। जहां पर पहले जंगल थे, झाड़ियां थीं और रेगिस्तान थे, आज वहां पर लहलहाते खेत हमको दिखाई देते हैं। इस विभाग ने हमारी प्यासी भूमि की प्यास बुझाने के लिए हमारे देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा हाथ बटाया है। इसके साथ-साथ जितने भी पानी के साधन हो सकते हैं, कच्चे कुयें, पक्के कुयें, टयूबवेल, नहरें और जितने भी दूसरे साधन हो सकते हैं, अपनी सीमा को देखते हुए, अपने खजाने को देखते हुए, अपने मुल्क की परिस्थिति को देखते हुए और अपनी जनता की स्थिति को देखते हुए मैं समझता हूं इस विभाग ने कोई कमी नहीं रखी है और उसने जनता के दुख को दूर करने का अधिक से अधिक प्रयास किया है।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान नायर वैली और अलकनन्दा वैली की तरफ ले जाना चाहता हूं। वहां गढ़वाल इरिगेशन डिवीजन खड़ा कर के सरकार ने एक महान् कार्य किया है, उसके लिए मैं सरकार को और खासकर मन्त्री जी को गढ़वाल की जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। परन्तु मैं यह चाहता हूं कि अलकनन्दा वैली की नदियों के पानी को रोक कर उसके दोनों मैदानी एरिया में टेहरी-गढ़वाल की सिंचाई की व्यवस्था के लिए एक एक्सपे-

रिमेंट होना चाहिए जो बहुत जरूरी है और जो जिले की प्लानिंग कमेटी ने अपनी मीटिंग में प्रस्ताव द्वारा पास किया है। या तो वहां पर हाइडिल हो या पम्पिंग मशीन पानी के लिए हो या किसी भी और दूसरे जरिये से उस पानी को उठाये जाने का एक वहां पर अनुसन्धान अवश्य होना चाहिए। अगर वह अनुसन्धान हमको सफलता दे देता है, तो मेरा विश्वास है कि कम से कम हमारे उस डेफिसिट एरिया के लिए जितनी भी अनाज की जरूरत होती है, वह हमारी नायर वैली से और अलकनन्दा वैली से पर्याप्त मात्रा में पूरी हो सकती है। इसके साथ साथ हम यू० पी० के किसी भी हिस्से को भेदभाव की निगाह से नहीं देखना चाहते। इसके लिए मैं यह सुझाव पेश करूंगा कि जिस प्रकार से सरकार की योजना थी और जिस योजना के एक्सपेरिमेंट में करीब-करीब २५ लाख रुपया खर्च किया है, नायर वैली डाम में, तो मैं यह समझता हूं कि अगर उसको पूरा किया जाय तो उससे सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, बिजनौर और मुरादाबाद जिलों की जमीन में कम से कम कई गुणा पैदावार बढ़ जायगी। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस ओर अपना ध्यान अवश्य दें और इतने बड़े भारी प्रोजेक्ट की ओर जिसके कारण सारे प्रदेश की उपज बहुत अधिक मात्रा में बढ़ सकती है, अधिक ध्यान दें। क्योंकि अगर अधिक अन्न पैदा होता है, तो हमारी स्टेट के रहने वालों को अन्न सस्ते दामों में मुहैय्या होगा। मैं समझता हूं कि हमारी ६ करोड़ जनता की बड़ी भारी सेवा होगी। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि हमारे मन्त्री महोदय ने जितने कुएं खुदवायें हैं और जितनी मशीनें लगवाई हैं वह सब मशीनें फारेन कन्ट्रीज की हैं। अगर उन मशीनों का एक भी पुर्जा खराब हो गया तो उनका रिप्लेसमेंट कैसे होगा? इसलिए माननीय मन्त्री जी का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं और अगर सरकार अपना कदम इस दिशा में न उठायेगी और अपने लोगों को बाहर के देशों में भेज कर ट्रेनिंग न देगी तो भविष्य में बहुत बड़ी कठिनाई आ जाने की आशंका है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान उन मशीनों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनके ऊपर सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया है। इसलिए सरकार भविष्य की ओर देख कर कार्य करे तो अच्छा है।

*श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी को, उनके सिंचाई उपमन्त्री राममूर्ति जी को तथा उनके नेतृत्व में काम करने वाले सिंचाई विभाग को हार्दिक बधाई देता हूं। पिछले वर्ष जो सिंचाई का कार्य इस प्रदेश में हुआ है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस प्रदेश में जो तरक्की उनके नेतृत्व में हुई है और अगले पांच वर्षों के लिए जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम इस प्रदेश की सिंचाई के लिए बनाया गया है, उन सबके लिए सिंचाई विभाग और माननीय मन्त्री जी, इस सदन के ही नहीं बल्कि सदन के बाहर जो जनता है, उसकी बधाई के पात्र हैं। श्रीमन्, मैं बुन्देलखण्ड के क्षेत्र की ओर से प्रमुख रूप से बधाई देता हूं। पिछले वर्षों में जो भुखमरी और मुफलिसी थी, वह मनुष्य के लिए अभिशाप थी, जिसको पिछले वर्षों के बावजूद प्रयत्नों के भी समाप्त नहीं कर पाये थे, उसको ५–७ वर्षों में इस प्रदेश की सरकार ने अपने प्रबन्ध के द्वारा उस सूखी मरुस्थली भूमि को हरा-भरा बना दिया है। आज माननीय त्रिपाठी जी के नेतृत्व में जो वहां पर कार्य हो रहा है, वह इस सदन से छिपा नहीं है। मैं श्रीमान् जी के द्वारा कहना चाहता हूं कि वहां पर जल के श्रोत का ही प्रबन्ध नहीं हो रहा है, किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी ने बहुत से क्षेत्रों में प्रेम और करुणा का श्रोत बहाने का प्रबन्ध किया है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर माननीय त्रिपाठी जी की करुणा की बूंद नहीं पहुंच पायी। यह मैं मानता हूं कि यह देश निर्धन है, गरीब है, इसके साधन सीमित हैं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णचन्द्र शर्मा]

सारे देश और सारे प्रदेश की उन्नति एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन यह भी सत्य है कि ऐसे क्षेत्रों का जहां पर अब भी निर्धनता है और गरीबी तांडव नृत्य कर रही है, जहां दोनों वक्त खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, उन लोगों के लिए भी कुछ न कुछ अवश्य ही जल्दी से जल्दी प्रबन्ध करना पड़ेगा। इसलिए श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने जिले के खास क्षेत्र के लिए, ललितपुर सब डिवीजन के लिए कि वहां के लिए कुछ न कुछ अवश्य प्रबन्ध करना पड़ेगा। मैं सुझाव यही दे सकता हूं कि पिछले दिनों में कुछ योजनायें सरकार ने बनायी थीं। पिपरई के बांध की और जामने के बांध की कि वहां पर कार्य प्रारम्भ होना चाहिए। जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है कि जामने की योजना सम्भवतः अगली पंचवर्षीय योजना में आ जाय। लेकिन पिपरई बांध के सम्बन्ध में मैं नहीं कह सकता कि वह योजना आने भी पायेगी या नहीं। यदि यह कार्य असम्भव हो अगली पंचवर्षीय योजना में पिपराई योजना को कार्यान्वित करने का तो श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। अगर आप बड़ा बांध नहीं बना सकते हैं, छोटे-छोटे बांध बनायें। वहां पर बहुत से तालाब हैं, ऐतिहासिक तालाब हैं, बहुत पुराने जमाने के तालाब हैं, उनका सर्वे करना चाहिए कि जितने तालाब उस सब डिवीजन में हैं, उनसे कोई सिंचाई का प्रबन्ध हो सकता है या नहीं। यदि उनसे प्रबन्ध नहीं हो सकता तो छोटे-छोटे नये बांध और तालाब बनाये जायं। इनके अलावा वहां पर सिंचाई के कुओं का भी ज्यादा से ज्यादा प्रबन्ध करना चाहिए। यह उस क्षेत्र की बात है।

अब उसके सम्बन्ध में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। पिछले दिनों हमने देखा है कि जिस तरह से बुन्देलखंड दूसरे प्रदेशों से घिरा हुआ रहता है, उसकी वजह से हमारी सिंचाई के कार्यक्रमों को कार्यान्वित होने में बहुत सी दिक्कतें पड़ती हैं। श्रीमन्, मैं विवरण में नहीं जाना चाहता, लेकिन सदन को बतलाना चाहता हूं कि माताटीला बांध के बनवाने के सिलसिले में वहां पर एक वैधानिक संकट पैदा हुआ है और वह इतना बड़ा था कि बड़े-बड़े इंजीनियर्स को दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने सम्भवतः गिरफ्तार करने का दिमाग तक करीब करीब बना लिया था। माननीय त्रिपाठी जी वहां पर गये, और सब जो पड़ोसी सरकारें थीं, उनके प्रतिनिधि बैठे और एक रास्ता निकला। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब कि हमारी स्टेट्स की बाउन्डरीज फिर से बनायी जा रही हैं, तो बुन्देलखंड की बाउन्डरीज को बनाने में इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह से संकट फिर आये दिन हमारे सामने न आये। इसलिए श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कि स्टेट रिआर्गनाइजेशन की बहस के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि उनका इरादा विन्ध्य प्रदेश के बघेलखंड के जिलों को इस प्रदेश में मिलाने का है और जैसा कि विन्ध्य प्रदेश ने भी यह निश्चय किया है कि समूचे का समूचा विन्ध्य प्रदेश यहां पर मिलाया जाय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बघेलखंड के ही चारों जिलों को नहीं, बल्कि बुन्देलखंड के भी चारों जिलों को इस प्रदेश में मिलाने का प्रयत्न किया जाय, इसलिए नहीं कि आबादी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हम बहुत महत्वकांक्षी हैं, बल्कि इसलिए कि बुन्देलखंड के चारों जिलों का इसी में कल्याण है, बघेलखंड के भी चारों जिलों का इसी में कल्याण है और हमारा भी इसी में कल्याण है कि इनको उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय। आज वहां पर अध्यक्ष महोदय, केन और दूसरी नदियां हैं, जिन पर बांध बनाये जा सकते हैं। मैं जानता हूं कि बांध बन रहे हैं, किन्तु जो सीमा विन्ध्य प्रदेश की है, वह भी और प्रोपोज्ड मध्य प्रदेश भी कुछ वर्षों तक वहां पर बांध नहीं बनवा सकते। इसलिए श्रीमन्, मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि उस प्रदेश को इस प्रदेश में मिला दिया जाय।

**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि पिछले पांच वर्षों में जितने जलाशय, जितने बांध, जितने ट्यूबवेल्स और जितनी नहरें इस प्रदेश में निकाली गयी हैं उनसे जनता की आशायें बहुत पल्लवित हुयी हैं और उनको बड़ा संतोष मिला है। आगे भी जो कुछ रकमें मांगी जा रही हैं उसी के ऊपर हमारा प्रदेश निर्भर

करता है और अगर हमारे प्रदेश की पैदावार बढ़ती है और किसान सुखी होता है तो सारा प्रदेश और देश सुखी होता है। मैं सिंचाई मंत्री को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि काश्तकारी की बातों को सुनने की तरफ उनका ध्यान रहता है जिससे कि वे किसानों के प्रिय भी बन गये हैं, लेकिन मैं यह जरूर आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि यह नीचे के कर्मचारी कुछ गलतियां करते पाये जायं तो उन्हें दंड भी कड़े से कड़ा मिलना चाहिये। क्योंकि टेक्नीकल आधार पर नीचे के कर्मचारी कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे जनता में एक भ्रम फैल जाता है। दो मिसालें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मेरे जिले में मड़ियाहूं और जौनपुर ब्रान्च दो नहरें निकल रही हैं। मड़ियाहूं के पास एक गांव है वहां जो नहर की दागबेल लगी, उस दागबेल के लिये वहां के किसानों ने कोई आपत्ति नहीं की। किसानों को खेत खाली रखने को भी कहा गया। लेकिन उसमें एक ठाकुर साहब श्रीरामस्वरूप सिंह का एक खेत पड़ता था। बाद में वह दागबेल बदल गयी और कहा यह गया कि उसका कर्व ठीक नहीं पड़ता था। इसलिये दागबेल पहले की जो पड़ी थी उसे बदलकर दूसरा रास्ता दिया गया जिसमें कि गरीब किसानों की जमीन पड़ती थी।

**श्री अध्यक्ष**--मैं समझता हूं कि कोई व्यक्तिगत नाम न लिया जाय, क्योंकि वह लोग यहां मौजूद नहीं हैं। यदि दूसरों का मामला आप ले रहे हैं तो उसमें कम से कम किसी व्यक्ति का नाम आप न लें। एक किस्से के तौर पर आप वाकयात मात्र बतला दें।

**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**--अगर कर्व पहले वाला ठीक नहीं था तो उस ओवरसियर को सजा मिलनी चाहिये थी जिसने दागबेल ठीक नहीं लगायी और जिसकी वजह से किसानों को यह धारणा हो गयी कि ठाकुर साहब के असर से और उनकी दौड़ धूप से दागबेल बदल गयी। ओवरसियर से जब किसानों ने पहली दागबेल बदलने के बारे में एतराज किया तो ओवरसियर ने कहा कि तुमसे जूते से बातचीत की जायगी और तुमको जेल में बंद रखा जायगा जब तक कि नहर निकल नहीं जाती। यह चीज असिस्टेंट इंजीनियर के सामने भी कही गयी तो उसने उनके सामने भी यही बात दोहराई और मैंने औरों से भी दरियाफ्त किया। मैंने सिंचाई मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। उन्होंने फौरन आदेश दिया कि काम रोक दिया जाय और जांच की जाय लेकिन तार गल्ती से बजाय सुरतासापुर के अलीसापुर को भेजा गया और इस बीच में इतना काम हो गया कि मेरे लिये भी यह कहना नामुमकिन हो गया कि नया मार्ग छोड़ दिया जाय। इसी प्रकार पुरानी दागबेल थी अलीसापुर में वही सही थी। एक ठाकुर साहब का खेत पड़ता था एक जगह पर। वहां पहली दागबेल बदल दी गयी फिर दूसरी दागबेल दी गयी उसमें दूसरे ठाकुर साहब का खेत पड़ता था तो वह रास्ता भी बदल दिया गया।

**श्री अध्यक्ष**--आप कृपा करके 'किसान' कहिये उनकी जातियों का नाम क्यों लेते हैं?

**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**--आपने नाम लेने को ही मना किया था।

**श्री अध्यक्ष**--मैं समझता हूं कि यह भी इसी तरह की चीज है।

**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**--दूसरा रास्ता भी बदल दिया गया और तीसरा रास्ता लिया जाने लगा। किसान माननीय सिंचाई मंत्री जी के पास आये। उन्होंने फौरन आदेश दिया कि कार्य रोक दिया जाय। उन्होंने सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर को बुलाया। सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर ने कहा कि पहले वाला कर्व ठीक नहीं था। लेकिन दूसरे वाले में कोई दिक्कत नहीं है और दूसरे वाले पर राजी हो गये, चुनांचे तीसरा रास्ता जो निकल रहा था वह नहीं निकला। कहने का मतलब यह है कि कर्व की बात कह कर जो पहले दागबेल लगायी जाती है वह बदल दी जाती है उसके लिये किसी न किसी अधिकारी को सजा मिलनी चाहिये टैक्नीकैलिटी के नाम पर दागबेलें बदल दी जाती हैं। जनता समझती है कि सिफारिश से ऐसा हुआ। चाहे वह कोइंसीडेंस ही हो। दागबेल

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

बदलने से जनता में भ्रम पैदा होता है और वातावरण क्षुब्ध होता है। तो एक बार जब दागबेल लगायी जाय तो अधिकारियों को हिदायत हो कि पहली दफा ही उचित मार्ग निर्धारण करें और दूसरे मार्ग को लेने के कारण किसानों की तमाम फसलें उखाड़ी गयीं और परेशानी उनको हुयी वह सब इस तरह से उस से बच जायेंगे ।

मैं एक बात की ओर आपकी आज्ञा से माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज हमारे सूबे में ३ करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास ३ एकड़ से कम भूमि है और साढ़े २६ लाख ऐसे किसान हैं जिनके पास आधा एकड़ से कम भूमि है। मैं चाहूंगा कि ३ एकड़ से कम वाले किसानों को ही सिंचाई से विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है क्योंकि वह तो अपने बाल-बच्चों को लेकर अपनी थोड़ी सिंचाई करते हैं, वह सिंचाई रेट से क्या लाभ उठावेंगे, ऐसे किसानों को तो दूसरे रोजगारों में लगा दें तो उनका अधिक भला हो सकता है। इस तरह से जो कर का बोझा पड़ेगा या तो उसमें कुछ कमी हो या उनकी मालगुजारी माफ हो, वह गरीब खाने को भी नहीं पाते हैं और उन पर भी सिंचाई का वही रेट है यह भी सोचने की बात है वह रहे या न रहे।

मैंने बजट में देखा कि केन नहर के रखरखाव पर अनुदान में २ लाख रुपया व्यय किया गया है लेकिन १ लाख ८,००० रुपया निर्माण पर खर्च किया गया है और उसमें लिखा है कि यह पूंजी की लागत से खर्च नहीं होगा तो वह पूंजी से क्यों खर्च नहीं किया जाता है, वह पूंजी से ही खर्च होना चाहिये और वह पूंजी की मद में अनुदान ४३ में ही जाना चाहिये।

*श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दिया होता यदि उन्होंने किसानों के लिये सिंचाई की दरों को कम किया होता। हमारे सूबे में सिंचाई की जो दरें हैं वह बहुत ही ज्यादा हैं और जिस तरह से किसानों की हालत गिर रही है, खाने की चीजों के भावों में गिरावट हुयी है उसी रेशियो से मैं समझता हूं जो यह दर बढ़ाई गयी हैं वह कम होना चाहिये। पिछले दिनों यहां के किसानों ने इसी प्रश्न को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था लेकिन वह आंदोलन जो एक अहिंसात्मक तरीके से किया गया था और पूज्य बापू की नीति के आधार पर किया गया था उसकी कोई प्रतिक्रिया यहां नहीं हुयी बल्कि हमने देखा कि इस प्रदेश में जो भी छुटपुट, हिंसात्मक आंदोलन हुये हैं उनकी ओर तो सरकार का ध्यान गया है, उसकी प्रतिक्रिया हुयी है लेकिन अहिंसात्मक तरीके से किये गये किसी भी आंदोलन की ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता है और इस तरह से सरकार लोगों को दूसरी तरफ सोचने के लिये जाने देती है। तो कहना यह है कि सिंचाई दरों को यहां इस तरह से बढ़ाया गया है, अगर हम बम्बई प्रान्त से तुलना करें तो वहां पर गन्ने के लिये साल भर में ३०-३२ पानी देने पड़ते हैं। जिसके लिये वहां ९० रुपया प्रति एकड़ की सिंचाई देनी पड़ती है लेकिन हमारे यहां गन्ने के लिये केवल ४-५ पानी ही देना पड़ता है उसके लिये ३२ रुपया लिया जाता है प्रति एकड़ पर तो उस अनुपात से हम देखें तो हमारे यहां की दर वहां से बहुत ही अधिक है। इस ओर माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये, अगर यह रेट कम करने का कार्य उन्होंने किया होता तो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के किसान ने भी उनको धन्यवाद दिया होता। इस सूबे का किसान उनको धन्यवाद देने के लिये उसी वक्त तैयार होगा जब कि वह सिंचाई की दर कम करने पर विचार करेंगे जो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गयी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही बात नहीं है बल्कि इस विभाग में जो न्याय किसानों को मिलता है वह बहुत ही ज्यादा कास्टली है। अधिकतर मैजिस्ट्रेट सिंचाई विभाग के दौरों पर केस किया करते हैं। जिला के हेडक्वार्टर पर बैठ कर बहुत कम केस किया करते हैं। नतीजा यह होता है कि एक कोठी से दूसरी कोठी और दूसरी कोठी से तीसरी कोठी। जहां पर मैजिस्ट्रेट न्याय करता है वहां पर किसानों को वकील ले जाने पड़ते हैं। इस तरह से जिन वकीलों को इंगेज करते हैं उनको पूरे दिन का मेहनताना देना पड़ता है। इसके अलावा मुकदमों में पतरौल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदि सरकारी कर्मचारी ही उसमें सबूत में पेश होता है और उन्हीं के सबूतों को काफी मान कर फैसले किये जाते हैं। इस तरह से किसानों को न्याय तेज तो पड़ता ही है, इसके साथ ही साथ ठीक-ठीक न्याय भी नहीं मिल पाता है। इस ओर माननीय मंत्री महोदय अपना ध्यान दें और जितने भी केस इस मुहकमे में हों, अगर वे जिलों के हेडक्वार्टर पर किये जायं तो मेरी अपनी राय है कि किसानों को सुविधा होगी और वह न्याय पा सकेंगे और न्याय सही भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ जहां तक इस विभाग में भ्रष्टाचार का ताल्लुक है मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे ऊपर भी कुछ भ्रष्टाचार का असर पड़ा। हमारे गांव में नहर का पानी आता है। वहां पर किसानों को बड़ी परेशानी थी क्योंकि कुलाबा ऊंचा था। पतरौल ने किसानों से कहा कि कुछ रुपया दे दो तो तुम्हारा कुलाबा नीचा कर दें। मुझे पता चला कि किसान रिश्वत देने के लिये चन्दा कर रहे हैं तो मैंने उनको मना किया और उनसे कहा कि मैं खुद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जाकर बातचीत करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कानपुर डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बातचीत की। उन्होंने हमारे प्रार्थना-पत्र पर कुछ तवज्जह भी दी। लेकिन जब पतरौल की शिकायत की कि इस तरह से रुपया लेना चाहता है तो छोटे साहब ने पतरौल को साइड किया और उनके जिम्मे जब जांच गयी तो उन्होंने कहा कि कुलाबा ठीक है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं इसके बाद जब चला आया निराश हो कर तो किसानों ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया, पतरौल को रिश्वत दी और वह कुलाबा पांच छः महीने के बाद नीचा कर दिया गया। मैं आपसे कहूंगा कि जो इस विभाग के अफसर दौरों पर जाते हैं, पतरौल और अमीनों पर वह डिपेंड करते हैं। उन्हीं के यहां से खाना और तमाम साधन उनको सप्लाई किये जाते हैं। इसकी प्रतिक्रिया यह होती है कि पतरौल और अमीनों की शिकायतें जब ऊंचे अफसरों को की जाती हैं, तो साधारण जनता की बात तो दूसरी रही लेजिस्लेचर के लोग जब शिकायतें करते हैं उन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)—श्रीमान् जी, सिंचाई के सम्बन्ध में कुछ बातें भवन के सामने कही गयीं मैं खुद किसान हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। सिंचाई के सम्बन्ध में मैं कुछ बातें कहूंगा। जो काम किये हैं ठीक किये हैं। उनमें और तरमीमें की जायं, और बढ़ायी जायं और सुधार किये जायं। मेरा मंशा हमला करने का नहीं है, बल्कि बात बताने का है जिससे किसानों की तकलीफें दूर हों। नहर, ट्यूबवेल, तकावी कुआं, तालाब और घरेलू कुआं, चार जरियों से सिंचाई होती है। नहरों का रकबा बहुत बड़ा है। हमने सुना और देखा कि नहरों में बहुत सी गूलें बढ़ गयी हैं, गूलें बढ़ गयीं लेकिन हमें नहीं दिखायी देता कि कहीं भी जहां से सोते का पानी जाता है वह बढ़ा हो। गूलें बढ़ें और पानी न बढ़े, तो गूलें बेकार हो जायंगी, हम उतना रकबा नहीं सींच सकेंगे जितना सींचना चाहिये। दूसरी बात यह आती है कि नहर की आबपाशी गेहूं पर अलग है, गन्ना पर अलग है, धान पर अलग है जबकि पानी उतना ही देते हैं। कोई पानी की तौल तो है नहीं जिसके हिसाब से गन्ने में बहुत दे दिया और उसमें इतना दे दिया। इसलिये आबपाशी एक होनी चाहिये चाहे गन्ने की हो, चाहे धान की हो, चाहे गेहूं की हो या चने की हो या जौ की हो। आपकी सिंचाई की आबपाशी कम होनी चाहिये उसे बढ़ाना नहीं चाहिये। इसके बाद अगर कोई सड़क पर चला जाता है नहर की या ट्यूबवेल की तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है, किसान मारे मारे फिरते हैं। उसी की सड़क, उसी की सरकार और मुकदमा चला कर उसी को जुर्माना। यह हालत है कहने को तो सरकार कहती है कि यह सरकार किसानों की है, लेकिन अगर हमारा रहलू सड़क पर निकल जाय तो जुर्माना हो जाता है, यह न होना चाहिये। उन्हें रास्ते से निकलने की सुविधा देनी चाहिये, इलेक्शन हो तो मोटर पर मोटर निकल जायं तब तो कुछ नहीं और किसी किसान की रहलू निकल जाय तो उस पर जुर्माना, यह ठीक नहीं। सब के लिये एक सी व्यवस्था होनी चाहिये।

[श्री टीकाराम]

ट्यूबवेल की हालत यह है कि रकबा तो बहुत घेर रखा है और पानी कम है, क्या आबपाशी हो। पहले १५ पाई फी यूनिट अब २२ पाई फी यूनिट गेहूं पर खर्च है। ईख पर २२ पाई फी यूनिट की जगह ३३ पाई फी यूनिट लेते हैं और अब कुयें पर यह हिसाब कर दिया है कि १-४-६ पाई सिंचाई फी घंटा लेते हैं। तो सिवाय बढ़ाने के घटाने की तरफ कोई तवज्जह नहीं दी, यह हालत आबपाशी की है।

गूल की बात कही गई कि बढ़ा दी हैं लेकिन पानी ज्यों का त्यों है, इससे भी कुछ फायदा नहीं। बिजली लेने की जहां तक बात है कुएं के लिये मैंने भी ली है, कुएं बनाये हैं। एक कमान्ड के अन्दर है और दूसरा बाहर है। कमान्ड के अन्दर जो बनाया है उस पर नोटिस लगा दी कि बिना इजाजत क्यों ली गई और फिर ६० फिट से ज्यादा बोरिंग नहीं कर सकते। इस बारे में मैंने अपने ऐक्जीक्यूटिव इंजीनियर से कहा फिर उन्होंने बिजली दी। उस कुएं के लिये जो कमान्ड से बाहर है एक हुक्म पहुंचा कि आप ७५० रु० जमा करें जहां टयूबवेल है वहां से बिजली एक मील दूर को जाती है, तो मैं रुपया कहां से दूं? इसको भी दूर किया जाय। जब आप बिजली दे रहे हैं तो यह सब रुकावटें क्यों डाली जायं? न इंजन की रुकावट हो, न बोरिंग की हो और बिजली जहां को जाय वहां आसानी से दी जाय ताकि आबपाशी किसान कर सकें। श्री राममूर्ति जी मेरे गांव में हो आये हैं और कुयें बराबर बढ़ रहे हैं। उन्होंने देखा है कि वहां पर किसानों ने १८, २० कुएं बनाये हैं लेकिन सब बिजली चाहते हैं। लेकिन रुपये की वजह से रुके बैठे हैं। एक बात और कही गई कि तीन एकड़ वाले जो सिंचाई करते हैं उनको इतना पैसा पैदा नहीं होता कि पानी ले लें। एक और चीज आती है कि थोकदारी मुकर्रर कर दी गई है और औसत के हिसाब से उसके घंटे बांट दिये गये हैं। अब घंटे जो बांटे गये तो यह हुआ कि तीन बीघा पक्के पर एक घंटा पड़ा। मेरा भाई खुद थोकदार है। ४२ घंटे मुझे मिलते हैं और हम सब काश्तकार हैं। वहां का जो हिसाब है वह यह कि तीसरे कुलाबे पर पहले ७,८ यूनिट में हमारा खेत भर जाता था। अब उसी कुलाबे पर पानी कम होने की वजह से १२ और १५ यूनिट पड़ता है। तीन बीघे का मेरा एक खेत है उसके पहले हमें १२ रुपये पड़ते थे, अब ५२ रुपये पड़े। हमारे इंजीनियर कह गये कि अगर १२ रुपये बीघा से ज्यादा आबपाशी होगी तो हम कम कर देंगे। दरख्वास्त दी गयी लेकिन न कम हुयी न कुछ, ५२ रु० धरे हैं मेरी जान पर।

**श्री अध्यक्ष**—अब आपका एक ही मिनट समय रह गया है।

**श्री टीकाराम**—एक ही मिनट की सुनिये। मैं जिला प्लानिंग कमेटी का मेम्बर हूं। १ लाख ५० हजार रुपया हमारे जिले में लैप्स हो गया। अगर सरकार उसी रुपये को लेकर अपने ट्यूबवेल बना दे और कोआपरेटिव के जरिये से हमसे पैसा लगान का ले ले तो हम खुशी से तैयार हैं, रुपया भी देंगे और बाद में ट्यूबवेल हमारे हो जायं।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

***श्री मुश्ताक अली खां** (जिला बदायूं)--माननीय उपाध्यक्ष जी, निहायत नाशुक्रगुजारी होगी अगर एहसानमन्दी के साथ माननीय मंत्री जी और उनके मुहकमें के लिये मुबारकबाद का इजहार न किया जाय जिनकी वजह से कि मुल्क की सब से बड़ी जरूरत और सब से बड़ी दुश्वारी दूर हुई है। कांग्रेस गवर्नमेंट जब कि मुल्क में आयी और उसके सामने सब से बड़ी दुश्वारी यह थी कि खुराक की मुल्क के अन्दर कमी थी और पैदावार कम होती थी, किस तरीके से इस मसले के हल किया जाय यह दुश्वारी सामने थी। बावजूद इसके कि रकबये काश्त बढ़ गई थी लेकिन अगर सिंचाई की सहूलियत न पहुंच

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाती तो आज जिस खूबसूरती के साथ और कामयाबी के साथ यह मसला हल हुआ वह न होता । इसके साथ ही साथ जहां पर कि जनाबआला, मैं अपने जजबये शुक्रगुजारी और एहसानमन्दी का इजहार करता हूं, माननीय मंत्री जी से अर्ज करने के अपने इस हक को महफूज भी रखता हूं कि जिस जगह इस विभाग ने गलतियां की हैं, या माननीय मंत्री जी की नोटिस में किसी हिस्से की जरूरतें नहीं लायी गयी हैं, उनके मुताल्लिक मैं जनाबआला के जरिये उनसे शिकायत करूं दरख्वास्त के साथ कि इस दुश्वारी को भी दूर कर दिया जाय। इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करूंगा कि एक दम प्रदेश की सारी जरूरतें तो पूरी नहीं की जा सकतीं लेकिन अगर प्रदेश के किसी हिस्से में इस सिंचाई की जरूरत को महसूस किया जाता है और उसकी वजह से वहां की जनता खूराकी मुसीबतों में मुबतिला है तो जनाब माननीय मंत्री जी को यकीनन जब कि उनको तवज्जह दिलायी जाय तो उधर तवज्जह करनी चाहिए। मैं यह अर्ज करूंगा कि जिस क्षेत्र से मैं निर्वाचित हो कर आया हूं सहसवान जिला बदायूं उसकी कुछ अजीब पोजीशन है। जहां तक कि मौजूदा जिन्दगी की जरूरतों का ताल्लुक है यह हिस्सा हमेशा बदनसीब रहा और आज भी जब कि कांग्रेस गवर्नमेंट की बरक्कतें बारिश की तरह मुल्क के दूसरे हिस्सों में बरस रही हैं, तो आज भी वह हिस्सा उनसे महरूम है। मैंने पिछले मर्तबा भी सिंचाई की ग्रान्ट पर तकरीर करते हुये जनाब माननीय मंत्री जी की खिदमत में अर्ज किया था कि इस परगने सहसवान की सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि एक हिस्सा कुछ ऊंचे पर वाका है है और दूसरा हिस्सा जो तकरीबन आधा ही होगा वह गंगा और महानदी के दरम्यान बाका ऊंचे हिस्से पर अब तक कुएं नहीं बनाये गये हैं और वहां पर सिंचाई की जरूरत को बहुत ज्यादा महसूस किया जाता है। मेरी इस दरख्वास्त पर जनाब माननीय मंत्री जी ने पिछले मर्तबा तवज्जह फरमायी और सात कुयें बनाने का आर्डर दे दिया जो कि जेरे तामीर हैं। अभी मुकम्मिल नहीं हो पाये, लेकिन उम्मीद की जाती है कि वह साल के आखीर तक पूरे हो जायंगे। दूसरा हिस्सा जो है वह गंगा और महानदी के दरम्यान होने की वजह से जब कभी गंगा में सेलाब होता है, जैसे कि पिछले मर्तबे बाढ़ आयी, तो मकानात, काश्त और वह जमीन जिसमें कि काश्त खड़ी होती है वह सब उस वक्त सैलाब के अन्दर आ जाता है। लिहाजा इस सिलसिले में मैंने स्टैंडिंग कमेटीज में भी इस चीज को पेश किया था। और माननीय मंत्री जी ने मेहरबानी कर के इसका सर्वे कराने के लिये कहा और एक बांध बनाने के लिये कहा। मुझे मालूम नहीं है कि उस कमेटी की रिपोर्ट आई या नहीं। लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि इस हिस्से की रहने वाली जनता को बहुत तकलीफ है। पिछले सेलाब के जमाने में वहां की हालत बहुत खराब हो गई है, तमाम फसलें बह गई हैं, और जो उनको तकावी दी गई थी वह ऐसी नहीं थी जिससे वह अपना पेट पाल सकें। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि उसकी रिपोर्ट आई या नहीं और अगर आ गई है तो सरकार ने उस पर क्या गौर किया और गौर करने के बाद वहां पर सैलाब को रोकने के लिये बांध बनायेंगे या नहीं।

वह हिस्सा जिस पर कुयें नहीं बने हैं उनकी हालत यह है कि वह बहुत जरखेज जगह है। अगर वहां बारिश न हो तो आबपाशी का कोई दूसरा जरिया नहीं है इसलिये वहां का किसान हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता है और गेहूं की फसल को ढलते हुये देखे और इसके सिवाय दूसरा कुछ रास्ता उसके पास नहीं है। उसने जो जमीन में बीज डाला है और जो मेहनत की है उसका उसे कुछ फल नहीं मिल पाता। लिहाजा मैं निहायत अदब के साथ जनाबवाला के जरिये मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वह इस हिस्से को यकीनन सर्वे करायें और उसकी रिपोर्ट तलब करें कि वहां पर कुयें किस तरह से बनाये जायं ? अब यह उनको अख्तियार है कि थोड़े-थोड़े बनायें या जितने की जरूरत है वह सब एक साथ बनवा दें। अगर वहां सिंचाई का इंतजाम हो जाय तो एक सहूलियत यह भी होगी कि वहां पर बिजली

[श्री मुश्ताक अली खां]

जायगी और उससे छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज भी जारी हो जायंगी और इससे इस हिस्से की हालत बेहतर हो जायगी और वहां की जनता सरकार की मशकूर होगी और शुक्रगुजार होने का मौका मिलेगा।

मैं यह समझता हूं कि अगर थोड़ी सी तवज्जह की गई और हमारे मंत्री जी ने वहां का दौरा नहीं फरमाया है और वित्त मंत्री जी ने भी बावजूद इसके कि वह करीब के रहने वाले हैं और अक्सर उनको बदायूं जाने का मौका हुआ है। अगर वह वहां गये होते और उन्होंने अपनी आंखों से इस चीज को देखा होता और वहां की जनता की शिकायत को सुना होता तो यकीनन वह तवज्जह फरमाते और ऐसा हुक्म देते कि यह चीज हो जाय जिसके बगैर उनकी जिन्दगी दुश्वार हो रही है और वह मुसीबत में हैं। अगर वहां बारिश न हो तो वहां दूसरे साधन आबपाशी के नहीं हैं तो वह फाका करें या फिर अपनी चीजें बेचकर पेट पालें और कोई सूरत नहीं है।

आखीर में मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट आ गई हो तो मंत्री जी उस पर गौर फरमायें। मुझे यह बतलाया गया था कि जनवरी के किसी हफ्ते में वह रिपोर्ट मंत्री जी के पास जायगी। लेकिन मुझे अभी तक कोई इत्तिला नहीं है कि आया वह रिपोर्ट आ चुकी है या नहीं और अगर आ चुकी है तो मंत्री जी ने उस पर अपनी क्या राय कायम की है? अगर मुझे मालूम हो जाय तो इत्मीनान हो जायगा कि कुछ अर्से के बाद यानी बरसात के पहले काम शुरू हो जाय। सर्वे तो हो ही गया होगा क्योंकि बरसात में आर्डर जारी हुये थे लेकिन सैलाब की वजह से सर्वे नहीं हो सकी। इंजीनियर साहब ने बताया कि वह रिपोर्ट भेजने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि वह रिपोर्ट आ चुकी होगी।

**श्री शिवनारायण** (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सिंचाई मंत्री जी की जो प्रस्तुत मांग है उसके समर्थन में उपस्थित हुआ हूं, परन्तु साथ ही साथ आप की इजाजत से मैं उनसे एक शिकायत भी करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। हम लोगों ने गत वर्ष उनको भागीरथ के समान समझा था और आज भी समझते हैं। वह हमको जल प्रदान कर रहे हैं, हम उन को जलदायनी कहें, जल देने वाला, हमको अमृत देने वाला तो कोई गलत बात न होगी। उनकी बदौलत हमारी पंचवर्षीय योजना के जमाने में उनके कर कमलों से पानी प्राप्त कर हमने यहां अन्न की समस्या को हल किया। अन्न का जुज है पानी।

"पानी राखो पात्र में, बिन पानी सब सून,
पानी गये न ऊबरें, मोती, मानस, चून।।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे उत्तर प्रदेश में हम गौरव का अनुभव करते हैं कि हमें एक ऐसा सुयोग्य मंत्री मिला है कि अपने प्रान्त की गली-गली में हमें पानी दिखाई देता है। यह हमारा विरोधी दल को जवाब है कि जहां देखो वहीं पर ट्यूबवेल खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन, मान्यवर, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह अपना ध्यान हमारे यहां के एक इलाके बभनान की तरफ थोड़ा सा करें जहां के लिये गत वर्ष हमने चार ट्यूबवेलों की मांग की थी। वह इलाका उत्तर की तरफ था और चूंकि वह कांस्टीट्यूयेन्सी बंट गयी है इसलिये लोग उसकी परवाह नहीं करते। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। मैं सारे बस्ती का अपने को रेप्रेजेन्टेटिव मानता हूं। तो हमने उनसे चार ट्यूबवेल्स मांगे थे और आज उनसे पुनः कहना चाहता हूं कि वह चार ट्यूबवेल हमको उस इलाके में दें।

दूसरी बात आप के जरिये से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंडित जी की कृपा से एक ट्यूबवेल हमारे शहर में ही चल रहा है। उससे हमें पानी मिल रहा है लेकिन पिछले महीने में रामसुन्दर जी पाठक के घर पर बैठा हुआ था कि पच्चीसों आदमी आये और उन्होंने बताया कि तीन दिनसे वहां के चेयरमैन और जो वहां के इंजीनियर थे उनमें कुछ खटपट हो गई है और इसलिये सारी जनता को तीन दिन तक शहर में पानी के लिये त्राहिमाम् २

करना पड़ा। सार लोग परेशान थे। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं। यह १९ पेज का एक डाकूमेंट मेरे पास है कि बस्ती म्युनिसिपल बोर्ड में .....

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—म्युनिसिपैलिटी से हम से क्या ताल्लुक ?

**श्री शिवनारायण**—इसमें सिंचाई की बात है आप हंसिये नहीं। मैं तो अपने मतलब की बात कहे जाता हूं और अपने प्रेस वाले भाइयों से भी यह बात कहता हूं कि इस बात पर वह विशेष कृपा रखें। बस्ती म्युनिसिपैलिटी में यह हाल है कि १२ मेम्बर इधर और १२ मेम्बर उधर और वहां बड़ी तनातनी है। पंडित जी ने कह दिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, मैं वापस लेता हूं वहां से, लेकिन मैं अपने पत्रकारों से यह जरूर निवेदन करूंगा कि यह हमारा मेसेज प्रेस में जरूर दें क्योंकि वहां बहुत करेप्शन है और म्यूनिसिपैलिटी में बड़ी गन्दगी है।

इसके बाद मैं आप का ध्यान हरैय्या तहसील की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं इस तहसील को रेप्रेजेन्ट करता हूं, यहां बैठकर नैनीताल का प्रोग्राम नहीं बनाता। वह बालू का इलाका है। पानी की कमी है। छोटी-छोटी नदियां वहां बहती हैं, लेकिन बरसात के महीने में वहां की सड़कें बारह, तेरह जगहों पर जो कट गयी थीं उनको तो सरकार ने ठीक करा दिया लेकिन पानी की निकासी का वहां अभी तक प्रबन्ध कोई नहीं हुआ है। वह आप के द्वारा होना चाहिये। आप की पड़ी कृपा होगी। वहां जो छोटे-छोटे नाले हैं उनको वहां की जनता की मदद से ठीक किया जा सकता है। जैसे रेंजिग आफ दि विलेजेज का काम है इसी तरह से किया जा सकता है। लोग यहां गलत शिकायत कर जाते हैं और कहते हैं कि यह काम बन्द कर दिया जाय। लेकिन वहां आज रेंजिग आफ दि विलेज स्कीम से हजारों लोगों को रोटी मिल रही है सारा जिला इसके लिये आप का आभारी है और मैं आप से निवेदन करूंगा कि यदि आप को अवसर मिले तो वहां एक बार चल कर देखिये। चार, पांच आना मजदूरी लोग बस्ती में भी पा रहे हैं। वहां इसकी शिकायत उनको नहीं है कि मजदूरी कम है लेकिन उनको रोजी मिल रही है। वहां भूखों नहीं मर रहे हैं। वहां आज बंगाल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप यह काम वहां बन्द कर दें तो वाकई वह इलाका बंगाल हो जायगा। तो मैं सिंचाई मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बस्ती में जिन ट्यूबवेलों को अभी तक बिजली नहीं मिली है उनके लिये बिजली पहुंचाने की कृपा करें। क्योंकि बस्ती ऐसा इलाका है जो ज्यादा तर जड़हन का इलाका है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर ट्यूबवेल दिये जायं। बाणगंगा से जो नहरें निकाली गई हैं उनके लिये बांसी की जनता आप की आभारी है। खलीलाबाद के दक्षिणी इलाके की तरफ आप का ख्याल गया है लेकिन इन्टिरियर इलाके की तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। वह इलाका काफी दूर पर पड़ता है क्योंकि बस्ती जिला ६ तहसीलों में बंट गया है। यह बहुत बड़ा जिला है जब हम लोग वहां पर जाते हैं तो हमको कहा जाता है कि यह यह एरिया नेगलेक्ट एरिया है और यहां के एम० एल० ए० हमारे लिये कुछ जोर नहीं लगाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि उनकी मांग को पूरा किया जाय। चार ट्यूबवेल की हमने जो सरकार के सामने मांग रखी है उस को जरूर पूरा किया जाय ताकि वहां का एरिया और अधिक तरक्की कर सके। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं जो रुपया हम यहां से सरकार को देते हैं उसको अच्छी तरह से खर्च किया जाता है। मैं एक शिकायत भी करना चाहता हूं और वह यह है कि जो लोग वहां पर काम करने वाले अच्छे लोग पहुंचते हैं उनको जल्दी ही वहां से हटा दिया जाता है। वहां पर खूब काम हो रहा है और हम लोग उन अफसरों से मिल कर काम कर रहे हैं।

**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)—श्रीमन्, मैं अपने सिंचाई मंत्री जिनका सरकारी नाम सिंचाई मंत्री है, उनके द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे खुशी है कि पिछले चार वर्षों में जब से उन्होंने इस विभाग को अपने हाथ में लिया है इस प्रान्त में सिंचाई विभाग से जितनी आशा की जा सकती थी सम्भवतः उससे अधिक तरक्की हुई है। क्योंकि मैं ऐसे स्थान पर रहता हूं जहां से इस प्रान्त में सब से बड़ी नहर का उद्गम है। इसलिये व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कि उस नहर के द्वारा पानी देने में जो तरक्की माननीय मन्त्री जी के वर्तमान समय में हुई है पहले कभी नहीं हुई है। उसके पानी की मात्रा बढ़ी है। विभाग के द्वारा नहरों की लम्बाई बढ़ायी गयी है और रजवहे भी बढ़ाये गये हैं। लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि उसकी जो असली शिकायत है वह यह है कि उसका जो मुख्य द्वार है गंगा का हर की पौड़ी, वहां पर जल सदा प्रस्तुत रहे। पिछले वर्ष भी वहां पर बांध बनाने की बात थी लेकिन वहां के मित्रों के विरोध के स्वरूप वह उसको पूरा नहीं कर पाये। पिछले दिनों मंत्री जी भी वहां पर गये थे उनके परामर्श से मैंने इस सम्बन्ध में वहां की सभा से बातचीत की और मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि यदि अब सरकार उस मुख्य धारा पर बांध बनाना चाहे तो शायद उस सभा के द्वारा अब आप को कोई रुकावट न पड़े। उससे यह फ़ायदा होगा कि हर की पौड़ी में सदा जल प्रस्तुत रहेगा। प्रतिवर्ष १५, २० दिन के लिये गंगा की धारा को बन्द न करना पड़ेगा।

इसके साथ साथ मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं कि गंगा की नहरें जो हैं उनमें जल जाड़े के दिनों में कम हो जाता है। उस जल को पूरा करने के लिये विभाग चाहता है तो उसको पूरा नहीं कर सकता है। मैं समझता हूं कि इसके लिये यह आवश्यक है कि गढ़वाल में अरोड़ा बांध को बनाया जाय जिससे वहां पर जल एकत्रित हो सके और वह जल गंगा की नहरों में आ सके, और रबी की फ़सल में सिंचाई के लिये मेरठ, आगरा और इलाहाबाद डिवीजन की नहरों में पानी मिल सके। अब वह पानी आगे के स्थानों को नहीं मिलता है। मुझे प्रसन्नता है कि जमुना की योजना जो स्थगित कर दी गई थी उस को फिर से शुरू किया जा रहा है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में पूर्वी जमुना के पानी के लिये एक समझौता हुआ था। उसके अनुसार इसका एक तिहाई पानी उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिये था लेकिन पिछले कई सालों से पंजाब की सरकार ने अपने लम्बे बांध बना-बना कर जल का अधिक भाग अपनी ओर खींच लिया है। अब जब नांगल भाकरा की नहरें बन गयी हैं तो पश्चिमी जमुना नहर के पानी को कम किया जा सकता है और इधर कुछ अधिक पानी दिया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आता हूं उसके बड़े भाग में गंगा की नहर से सिंचाई नहीं हो सकती। रूड़की और ज्वालापुर में सिंचाई की आवश्यकता है। मैंने पिछले दिनों माननीय मंत्री जी से कहा था कि वहां नलकूप होने चाहिये। अब तो पथरी का पावर हाउस खुल गया है और उससे बिजली उपलब्ध हो सकती है। इसलिये वहां नलकूप अवश्य होने चाहिये। इंजीनियर महोदय यह कह सकते हैं कि चूंकि वहां पहाड़ी इलाका है, पहाड़ भी तलहटी में है इसलिये वहां नलकूप नहीं बन सकते हैं। लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हरिद्वार की म्युनिसिपैलिटी के नलकूप भी पहाड़ की तलहटी में हैं, तो क्या कारण है कि उसके आसपास और नलकूप नहीं लग सकते हैं। रुड़की और ज्वालापुर परगने के काफ़ी हिस्से में नलकूपों से सिंचाई हो सकती है। हमारे प्रदेश में बाढ़ की शिकायत अक्सर रहती है और जब तक हम बड़ी-बड़ी नदियों का संयोजन नहीं करते हैं, तब तक बाढ़ की शिकायत बनी रहेगी। मैं पंजाब का रहने वाला हूं। वहां दो तरह की नहरें हुआ करती थीं, एक तो वे जो साल भर चलें और दूसरी वे जो केवल बरसात में चलती थीं। यदि सरकार गंगा के अधिक पानी से बरसाती नहरें निकालें तो काफ़ी काम हो सकता है। रुहेल-खंड के भी काफी हिस्से को उससे पानी मिल सकता है और ख़रीफ़ की फ़सल को वह नुक्सान होने से रुक जायगा जो अब होता है। सब को मालूम है कि पिछले दिनों पश्चिमी पंजाब का चावल देहरादून में आकर देहरादूनी के नाम से सारे देश में बिकता था, तो रुहेलखंड

की चावल की फसल हानि होने से बचायी जा सकती है। इससे बाढ़ का भी नियंत्रण किया जा सकता है। इन सुझावों के साथ मैं इस अनुदान का हृदय से समर्थन करता हूं।

†**श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला गढ़वाल)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सिंचन अनुदान पर वादविवाद चल रहा है और प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हो रही है। इसे यदि कहा जाय कि गोधूलि का समय है तो कोई अतियुक्ति नहीं होगी। हम देखते हैं कि सिंचाई विभाग की ओर से पूर्वी जिलों में काफी प्रगति से काम हो रहा है। मुझे वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और देखने को मौका मिला है। बुन्देलखंड और बनारस इत्यादि में भी काफी कार्य हो रहा है। मैंने इससे और किताबों के देखने से यह अनुमान लगाया है कि प्रत्येक जिले के अन्दर १ करोड़ या २ करोड़ या ३ करोड़ या ५ करोड़ रुपया प्रथम पंचवर्षीय योजना में खर्च किया गया है और आगे भी उनके लिये पर्याप्त धन रखा गया है। लेकिन मैं अपने जिले की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊं कि गत ३, ४ वर्षों में वहां कुछ भी काम हुआ प्रतीत नहीं होता है। जिला गढ़वाल में माननीय मंत्री जी गये थे और कुछ दिन वहां रह कर उन्होंने वहां की हालत को देखा है। उन्होंने स्वयं हमारी समस्याओं को देखने की कृपा की है। वहां स्टाफ की कमी थी और उसे भी आपने पूरा किया। अभी २,३ महीने हुये हैं जब वहां स्टाफ पहुंच पाया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का रुपया वहां पूरा खर्च नहीं हो पाया था क्योंकि स्टाफ ही नहीं था। बहुत सा रुपया उसमें का बाकी है। यह माननीय मंत्री महोदय को मालूम है। चन्द्रसिंह जी रावत ने भी कहा था, मैं भी उनका ध्यान दिलाता हूं। आपने अलमोड़ा और नैनीताल में और गढ़वाल में भी जब स्टाफ दिया है और डिवीजन खोला है तो फिर क्यों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रुपया कम कर दिया गया है। मैंने देखा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारे जिले का रुपया कम कर दिया गया है। केवल ५० लाख रुपया दिया गया है जब कि वहां की भूमि तमाम उत्तर प्रदेश की भूमि का १/५ हिस्सा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वहां पहाड़ी इलाका है और प्रायः माननीय सदस्यों के इंजीनियरों के या सरकार के ध्यान में यह होगा कि पहाड़ी इलाके में सिंचाई का कार्य अधिक नहीं हो सकता है। वे यह समझते होंगे कि वहां अन्न पैदा नहीं हो सकता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर काफी प्रयत्न किया जाय तो वह इलाका अन्न में सेल्फसफीशैन्ट हो सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह वहां के लिये कुछ और अधिक रुपया दें क्योंकि जब उन्होंने वहां के लिये स्टाफ दिया है तो उसके लिये काफी मात्रा में कार्य भी होना चाहिये।

आपने कहा है कि एन०ई० ब्लाक्स का काम भी यही विभाग करेगा, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। आप उत्तर प्रयाग और श्रीनगर में भी गये थे और वहां के लोगों ने आपसे मांग की थी कि जैसे बुन्देलखंड में छोटे-छोटे बांध बनाकर पानी दिया है उसी प्रकार का प्रयास हमारे इलाके में भी किया जाय और समय पर किसानों को पानी दिया जाय। लेकिन गढ़वाल का ऐसा सौभाग्य है या दुर्भाग्य है कि पानी तो वहां काफी होता है और नदियां भी काफी होते हुए उनका लाभ हमें नहीं मिल पाता है। जैसा चन्द्रसिंह जी रावत ने भी बतलाया है, हमारे यहां नयार, अलखनंदा और मंदाकनी नदियां हैं और और भी नदियां हैं जिन्हें मंत्री महोदय ने स्वयं देखा है। नीचे पहाड़ों में पानी बहता है और आबादी ऊपर है। बद्रीनाथ तक तो मंत्री जी गये थे और केदारनाथ तक भी जाने को उन्होंने कहा था। जब वह केदारनाथ की घाटी में जावेंगे तो देखेंगे कि गढ़वाल का जिला सबसे ज्यादा गरीब है और इसका एरिया लगभग ६ हजार वर्ग मील

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंगाधर मैठाणी]

है। वहां जाकर आपको मालूम होगा कि प्रति एकड़ ईल्ड देश के किसी हिस्से से कम नहीं है। वहां पंपिंग से या किसी और प्रकार से ऊपर पानी पहुंचाया जा सकता है। वहां बिजली भी नहीं है और न उसका कोई प्राविजन ही है। तो कम से कम बरसात का पानी रोक कर हमें उचित समय पर दे दिया जाय तो उससे हमारा काफी लाभ हो सकता है। वहां काफी अन्न और फल-फूल लोग उगा सकते हैं। वहां की गरीबी इस प्रकार दूर की जा सकती है। अब फौज का भी विघटन होने पर वहां के लोग वापिस आ रहे हैं। और उनके रोजगार का प्रश्न है। हमारे यहां के काफी लोग फौज में जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से फिर अनुरोध करूंगा कि वह हमारे जिले में एक और टूर करें और देखें कि कितने रुपये की हमारे यहां के लिये आवश्यकता है और जो रुपया रखा गया है वह कम है। जो कम काम प्रथम पंच वर्षीय योजना में हुआ है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरा होना चाहिये। उसे आने वाली योजना में सफल बनावें।

**श्री जयेन्द्रसिंह बिष्ट** (जिला टेहरी गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं और मैठाणी जी ने भी कहा है हम लोगों का यह दुर्भाग्य है कि हमारा प्रदेश सारे प्रदेश को पानी देता है परन्तु वह स्वयं पानी के लिये तड़पता ही रह जाता है। माननीय मंत्री जी का पिछले साल हमारे दूसरे साथियों नें ध्यान दिलाया था कि वहां पर काफी जमीन है लेकिन सिंचाई न होने की वजह से बेकार पड़ी हुयी है। हम लोगों को यह आशा थी कि वहां पर नदियों में पंपिंग सेट लगा कर या हाईड्राम्स की स्कीम के जरिये से पानी को उठाकर लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकेगा। माननीय उप मंत्री जी ने कुछ इंक्वायरी हम लोगों से की थी और हमसे कहा था कि हम कुछ ऐसे स्थान बतायें कि जहां पर इनवेस्टीगेशन किया जा सके। हम लोगों ने उनको स्थान भी बताये लेकिन मालूम नहीं वे कागजात किस दफ्तर में पड़े हुये हैं कि अभी तक हाईड्राम्स के सिलसिले में कोई सर्वे या किसी स्कीम का इन्वेस्टीगेशन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी अपना दृष्टिकोण पहाड़ों के प्रति कुछ और उदार करें। लोगों का यह ख्याल है कि पहाड़ों में खेती ही नहीं होती इसलिये वहां सिंचाई की जरूरत ही नहीं है लेकिन ऐसी बातें नहीं हैं। अगर आप इस दृष्टिकोण से नहरें निकालें कि जो आपका खर्चा हो वह नहरें निकालने के बाद वसूल हो जाय या वे स्कीम आपकी प्रोडक्टिव स्कीम हो जायं तब तो मुश्किल है लेकिन आपको इस मामले में प्रोडक्टिविटी के ख्याल से नहीं सोचना चाहिये बल्कि आपको इसे एक्जिसटेंस के हिसाब से सोचना चाहिये। हम लोगों के पास दूसरे साधन न होने के कारण कृषि ही हमारी जीविका का प्रधान अंग है। और यदि आप वहां पर सिंचाई के साधन मुहैया कर सकें तो सरप्लस एरिया वह भले ही न हो लेकिन सेल्फ सफीशियेंट अवश्य हो सकता है।

यह जो बजट है वह एक चैरिटी बजट है। पिछली पंचवर्षीय योजना में हमें बहुत ही कम रुपया मिला कारण यह था कि जब यह योजना बनी तो टेहरी गढ़वाल यू० पी० में विलीन नहीं हुआ था। बाद को कुमायूं योजना में से कुछ रुपया निकाल कर वहां खर्च किया गया। इस बजट में ५० लाख रुपया अलाट किया गया है जो १० लाख रुपया सालाना होगा और मैं आशा करता हूं कि हमारे जिले को डेढ़ पौने दो लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। इसमें यदि आप सोचें कि हमारे जिले की सारी समस्यायें पूरी हो जांयगी तो ऐसा नहीं हो सकता। आप सिंचाई का भी प्रबंध करते हैं और पीने के लिये भी पानी का प्रबंध करते हैं और बिजली का भी प्रबंध होता है लेकिन इन तीनों चीजों के लिये हमारे जिले में कोई रुपया नहीं रक्खा गया है। इस बारे में मैं प्रार्थना करता हूं कि आप जल प्रपातों से हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पैदा करें तो हमारी दोनों समस्याओं का हल इसमें हो सकता है। हमें बिजली भी मिल सकती है और सिंचाई के लिये जल भी मिल सकता है इसलिये आप हाईड्राम्स की स्कीम को इन्वेस्टीगेट कराइये। इस से हमको ड्रिंकिंग वाटर भी मिल जायगा एक बात यह है कि पहाड़ों में जो ओवरसियर्स हैं उनकी संख्या कम है। एन० ई० एस० ब्लाक्स खुल रहे हैं और दूसरी पंचवर्षीय योजना में और खुलेंगे लेकिन जो मौजूदा स्ट्रेंग्थ (संख्या) ओवरसियर्स की है वे उस एरिया को कवर नहीं कर पाते हैं और इसलिये सिंचाई की योजना गूलें बनाने की योजना पूरी नहीं हो पाती। इसलिये पहाड़ों में ओवरसियर्स की संख्या बढ़ाई जाय। तो जो अनुदान मिले वह लैप्स न हो और इन्वेस्टिगेट

होकर के काम हो जाय । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि थोड़ी सी संख्या ओवरसियरों की पहाड़ों में बढ़ा दी जाय ।

*श्री दाताराम (जिला सहारनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान मंत्री जी ने पेश किये हैं मैं उनके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं । वैसे तो जितने माननीय सदस्य अब तक बोले हैं सभी ने उनको बधाई दी है लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि उनके द्वारा जितना उपकार इस प्रदेश का हुआ है उतना ही सौ सालों में भी अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में नहीं हुआ । इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिंचाई के बगैर हमारे प्रदेश की बहुत बुरी हालत थी यानी उम्दा जमीन होते हुये भी हम अपनी वस्तुओं की पूरी पैदावार नहीं ले सकते थे । वे आज हमारे प्रदेश की तरक्की करने में कितने सहायक हुये हैं इसके लिये ज्यादा कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता । लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके लिये मैं अपने सुझाव देना जरूरी समझता हूं । मिसाल के तौर पर कुछ रजबहे होते हैं उनमें से गूलें निकाली जाती हैं उनपर पुलियां बनाना जरूरी होता है । अगर पुलियां न बनायी जावें तो रास्ते इतने खराब हो जाते हैं कि उनपर देहातों में गाड़ियां चलना मुश्किल होती हैं । इसलिये नहर विभाग यदि वहां अपनी तरफ से पुलियां बनवा दें और पैसा काश्तकार से ले ले तो सरकार पर खर्चा भी नहीं पड़ता है और वहां एक अच्छा काम हो जाता है । इसलिये अगर मंत्री जी ऐसी हिदायत जारी कर दें तो जो गूलें होती हैं उन पर पुलिया बनवा दी जाय ताकि लोगों को आसानी हो ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जो चकबंदी हो रही है उसमें जमीन अलग-अलग हो जाया करती है किसी की जमीन कहीं पर चली गयी और किसी की कहीं पर इसलिये वहां पर अब झगड़े होने की सम्भावना है । जमीनों के अलग-अलग तय हो जाने और उनकी मिल्कियत बदल जाने से झगड़े हो गये हैं । चकबंदी के कानून में हैं भी कि ओसारेबन्दी होगी लेकिन वह काम अभी शुरू नहीं हुआ है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जल्दी से इस सम्बन्ध में जरूरी कार्यवाही करवायेंगे ।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि रजबहों की पटरियां चौड़ी हो रही हैं जिससे उन पर कार वगैरह आसानी से चलायी जा सकें । तो उसके लिये मुझे कहना है कि कम से कम उन काश्तकारों को जिनके वहां पर खेत हैं वहां पर गाड़ी चलाने की इजाजत दे दी जाय मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि १० मील २० मील तक इजाजत दे दी जाय बल्कि जहां-जहां उनके खेत हैं और वहां पर उनमें सामान ढोने की दिक्कत पड़ती है तो उनको कम से कम जरूर गाड़ी वगैरह ले जाने की इजाजत होनी चाहिये ।

चौथी बात मुझे यह कहनी है कि बहुत से रजबहे ऐसे हैं जिनकी सन् ४० से आज तक खुदाई वगैरह नहीं हुयी । १६ साल हो गये । जो पुरानी नहरें हैं, नयी के लिये तो मैं नहीं जानता लेकिन ४० से ४६ तक अंग्रेजी हुकूमत ने एक पैसा खर्च नहीं किया और अब हमारे प्रदेश में बड़ी-बड़ी नहरें निकाली जा रही हैं, डैम बन रहे और बहुत काम हो रहे हैं मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि उन पर कुछ काम नहीं हो रहा है । बल्कि उन पर मरम्मत के लिये और उनकी खुदाई वगैरह के लिये जो पुराने रजबहे हैं उन पर ज्यादा रुपया खर्च होना चाहिये, क्योंकि बहुत सी जगह दिक्कतें हो जाती हैं । रजबहे टूट जाते हैं और फस्लें बरबाद हो जाती हैं और बहुत सी जगह मुकदमे चलते हैं और किसानों को बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अतएव जितने पुराने रजबहे हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा रुपया दिया जाय जितना कि अभी रखा गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री दाताराम]

चौथी बात यह कहनी है कि जो पूर्वी जमुना नहर है, जो कि हमारे प्रदेश में सब से पुरानी नहर है मुगलिया जमाने की और अंग्रेजों के जमाने में भी उस पर काफी सुधार किया गया और माननीय मंत्री जी ने भी उस पर काफी ध्यान दिया है जिसके लिये हम उनको बधाई देते हैं। आज जब यह चर्चा है कि काफी नहरें बनीं और काफी तरक्की हुयी, लेकिन इस नहर की बड़ी उपेक्षा की गयी है और इस पर जबकि ऐसी दिक्कतें आ जाती थीं कि काश्तकारों की फस्ल बरबाद होती थी या सूख जाती थी तो भी उनसे आबपाशी वसूल की जाती थी। इसका जो मुहाना था वह बहुत पुराने जमाने का था जिसकी वजह से पंजाब के साथ मुआहिदा यह था कि दो हिस्सा पानी वे चलायेंगे और एक हिस्सा यू० पी० को मिलेगा, लेकिन हमारी सरकार के ध्यान न देने पर और रुपया अधिक न खर्च करने के कारण चार हिस्सा पानी पंजाब ले लेता है और एक हिस्सा पानी उत्तर प्रदेश को मिलता है। मुझे आशा है मंत्री जी इन खराबियों को सन् ५७ तक पूरा कर देंगे और मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं।

†श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, इन चन्द घंटों में जब से यह अनुदान इस सदन के समक्ष उपस्थित हुआ है, तब से हिन्दी शब्द कोष के जितने भी विशेषण शब्द हैं उन सब का प्रयोग माननीय मंत्री जी के लिये किया गया है, उनकी प्रशंसा में। मेरे नजदीक कोई ऐसे शब्द इस विभाग के सुन्दर कार्य के लिये नहीं आते जिनका कि मैं उपयोग करूं, लेकिन इसी हफ्ते के पहले समाचार पत्रों में दिया गया था मेरठ जिले की कमला चौधरानी ने आल इंडिया रेडियो पर अपने कुछ नोट्स को प्रवचन के रूप में देने का इरादा किया जिसका शीर्षक था "स्वर्गीय रफी अहमद किदवई अपने युग के जादूगर।" ठीक उसी भांति मुझे आश्चर्य होता है कि थोड़े ही समय में इस विभाग ने जिस प्रकार की जादूगरी की है उसको देख कर के और उसका अनुभव करके हमारे माननीय सदस्य प्रशंसा के एक श्रोत में बह गये हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने मुंह से शब्द निकालने में शायद देरी की होगी कि सूबे के अमुक जिले में इस प्रकार के निर्माण का कार्य सिंचाई विभाग को करना है कि उनके सुयोग्य इंजीनियरों ने उसे सहर्ष और दिलचस्पी के साथ कार्यान्वित किया। मुझे यह अवसर नहीं मिला कि इस सूबे के और जिलों में विभिन्न कमेटियों के सिलसिले में जाउं और वहां का अनुभव प्राप्त करूं लेकिन थोड़ा बहुत जो समय मुझे अपने जिले के काम को देखने का मिला है उसमें मैंने देखा है कि ३२, ३६ लाख रुपया खर्च करके बांध बान नहर के उत्तरी भाग में केवल पानी देने का स्थान नहीं बनाया गया है बल्कि प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास का जीता जागता नमूना भी दिखाया गया है। वहां के उद्यान को देख कर यह मालूम देता है कि मानों भारतवर्ष का पुनर्निर्माण होने जा रहा है और सूबे के हमारे जितने पत्रकार हैं वे हमारी इस बात के साक्षी हैं कि कितना सुन्दर और रमणीय स्थान बना दिया गया है। इसके साथ ही साथ बखिरा में अपने जिले में सुखलिसपुर के पास एक पंपिंग प्लान्ट लगाया गया है कि जिससे वहां के रहने वाले खेती बाड़ी कर सकते हैं लेकिन जितना उत्तम काम वहां हुआ है उसको देखते हुये न मालूम कैसे हो सकता है ध्यान न गया हो, मैं माननीय इंजीनियर महोदय और जो शायद यहां बैठे हों उनका और माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी कल ही इसी सदन के हमारे एक माननीय सदस्य इतने दुखित और पीड़ित हो गये थे और उन्होंने कहा था कि बस्ती जिले की जो ३ तहसीलें हैं डुमरियागंज, बांसी और नौगढ़ अगर उनको लेकर एक अलग जिला कर दिया जाय तो बहुत सम्भव है कि वहां की जनता की सेवा अच्छी हो सके। उनके कहने का अभिप्राय यह था कि उस तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है लेकिन मैं उनको आज यहां बताना चाहता हूं कि बावजूद इसके कि माननीय मंत्री जी ने चन्दहवा नाले को ऐसे ढंग पर तैयार कराने का विचार किया था जिससे वहां की जनता को खेती के लिये पानी मिल सके लेकिन वहां नैपाल गवर्नमेंट ने उस काम में रोड़ा अटकाया है और जिसकी वजह से उस नाले का निर्माण नहीं हो सका। इस तरह से मैं विभाग के योग्य इंजीनियर्स और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उस तरफ आकर्षित करूंगा कि जो बस्ती के ऐसे इलाके हैं और जो पाकेट्स अभी वहां ऐसी बाकी रह गयी हैं जो सिंचाई के लिये

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी आपकी महती कृपा की आकांक्षी हैं और वह भाग अभी इन सुविधाओं से वंचित चला आता है।

मैं नहीं जानता कि जब यहां विभिन्न जिलों से इतनी अधिक सिंचाई के साधनों की मांगें पेश की जा रही हैं उन सब को माननीय मंत्री महोदय अपने ध्यान में रख पायेंगे या नहीं, लेकिन मैं इस जगह पर उनके ध्यान में और दिमाग में अपनी कुछ बात भी रखने की प्रार्थना करता हूं, और वह यह कि बांसी तहसील का दक्षिणी भाग, वह ८ साल हुये कि स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता और स्वराज्य से क्या लाभ होता है उसको समझने से अभी तक वह भाग वंचित है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि बांसी के दक्षिण और बस्ती के उत्तर भाग में और खलीलाबाद में नलकूपों की व्यवस्था शीघ्र कराने की कृपा करें और खलीलाबाद का वह हिस्सा जो बीच का है और मुखलिसपुर के आगे अगर बंधियां बना दी जायं तो वहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं और पानी का उपयोग हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और इन बातों की ओर उन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

**श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री महोदय, उपमंत्री जी तथा उनके सारे विभाग को बधाई देना चाहता हूं और वह इसलिये कि प्रथम पंचवर्षीय योजना अब समाप्त होने जा रही है, इतने कम समय में उन्होंने और उनके विभाग ने इस प्रदेश में सिंचाई के कार्य को सम्पन्न किया इसलिये वे अवश्य ही बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी प्रार्थना करता हूं और सुझाव के रूप में माननीय मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि अभी पानी जितना मिलना चाहिये उतना नहीं मिल रहा है। यह तो सही है कि हजारों मील लम्बी नहरें बनी हैं और हजारों नलकूप बनाये गये हैं और नहरों को लम्बा और चौड़ा भी किया गया है, लेकिन इस सब के होते हुये भी जितना पानी इन साधनों से मिलना चाहिये उतना अभी किसानों को नहीं मिलता है और जो मिलता है वह समय से नहीं मिलता है। इस का कारण जहां तक मैं समझ पाया हूं वह यह है कि पानी की मात्रा को बगैर समझे हुये नहरों को लम्बा और चौड़ा किया गया है, यह जरूरी है कि नहरों को बढ़ाते वक्त पानी की मात्रा को जरूर समझ लिया जाता कि इतना पानी मिल सकेगा या नहीं। शारदा सागर जैसे जलाशयों को बनाकर वह कमी पूरी की जा रही है, उससे हमें विश्वास होता है कि पानी की कमी पूरी होगी लेकिन मेरा निवेदन है कि इस बात का पहले से ही ध्यान रखा जाय नहरों की लम्बाई और चौड़ाई बढ़ाते वक्त की उस से पानी मिल सकेगा या नहीं।

एक बात माननीय मंत्री जी की सेवा में और निवेदन कर दूं और वह यह कि जिस समय नहर की सिंचाई की पड़ताल होती है उस वक्त के परताल के तरीकों को दुरुस्त करने की कृपा करें। पड़ताल के समय अमीन और पतरौल महोदय एक ही जगह पर बैठ कर १०,२०,२५ गांवों की जांच का काम समाप्त कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि जिसकी जमीन सींची नहीं गयी उसको भी सिंचाई कर देना पड़ता है। इसका मैं एक उदाहरण दूं। मेरे नाम एक इंच भी जमीन नहीं है। लेकिन पांच साल से मैं बराबर सिंचाई का कर अदा करता हूं। जब कभी मैं इस बात पर अड़ जाता हूं कि मैं सिंचाई का कर न दूंगा तो अमीन अपने पास से उसको अदा कर देते हैं और यह नौबत नहीं आने देते कि मैं जेल जाकर इसकी दुरस्ती करवा सकूं। यह तो एक उदाहरण स्वरूप है। ऐसी बहुत सी गलतियां आये दिन हुआ करती हैं। उनको दुरुस्त कराने की ओर मंत्री महोदय का ध्यान जाना ही चाहिये।

दूसरे यदि माननीय मंत्री महोदय पानी समय से दे सकें तो किसानों का बड़ा उपकार हो। मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में विरोधी दल ने नहर की सिंचाई बढ़ायी जाने के सम्बन्ध में बड़ा जबरदस्त आंदोलन किया उनका यह आंदोलन सफल नहीं हुआ।

[श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी]

उसकी तह में एक ही कारण है। आज यदि किसान को समय पर पानी मिले तो बढ़ी हुयी सिंचाई की दरें भी उसका कोई नुकसान नहीं कर सकतीं। वह अगर समय से पानी प्राप्त कर ले तो बढ़ी हुयी सिंचाई से उसकी पैदावार का मूल्य ज्यादा हो जाय। यह थोड़े ही परिश्रम से किया जा सकता है। अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महोदय इस ओर थोड़ा सा ध्यान दें और मांग होने पर तुरन्त पानी देने की व्यवस्था अपने नीचे के अधिकारियों को आदेश दे कर करा दें तो यह समस्या बड़ी आसानी से हल हो सकती है। अन्त में विभागीय पद की ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान ले जाऊंगा। मैं यह न समझ पाया कि सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर का पद का क्या कार्य है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, केवल डाक का आदान प्रदान ही उसका काम है। पानी का समय से न मिलने में एक मुख्य कारण पदों की बढ़ोत्तरी भी है। क्या यह मुनासिब न होगा कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सीधे चीफ इंजीनियर के मातहत रहें। और सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियरों की सेवायें मुल्क में दूसरे स्थानों पर लगायी जायं। आज जबकि कि टेक्निकल व्यक्तियों की बड़ी भारी कमी है ऐसे योग्य व्यक्तियों को क्यों न उन जगहों पर भेज दिया जाय ताकि वह देश की ज्यादा सेवा कर सकें। इन बातों के बाद मैं श्रीमन्, आप के द्वारा माननीय मंत्री महोदय जी को पुनः धन्यवाद दे कर अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मन्त्री जी ने भवन के समक्ष उपस्थित किया है, उसके लिए मैं उन को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जहां तक नहर तथा ट्यूबवेल का सम्बन्ध है, सरकार ने जो आयोजन किया है, यह देश तथा राज्य के लिए बहुत ही हित का काम है। इसके सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि हमारे जौनपुर जिले में सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल तथा नहरें हैं, वह पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। जहां पर ट्यूबवेल लगाये गये हैं, वहां पर किसानों की और भी मांगें हैं। लेकिन उस में दिक्कत इस बात की पड़ती है कि जब हम सिंचाई विभाग के इन्जीनियरों से बातचीत करते हैं, कि जहां पर प्लेन एरिया है, वहां पर ट्यूब वेल लग रहे हैं, बकिया ऐसे स्थान जो छूट जाते हैं, जहां धान वगैरह होता है, वहां के लिए क्या प्रबन्ध होगा, तो उनका उत्तर यह होता है कि मैं तो प्लेन में ही ट्यूबवेल लगाऊंगा, बकिया धान एरिया में नहीं लगाऊंगा तो मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि यदि धान एरिया में ट्यूबवेल का आयोजन नहीं हो सकेगा, और वहां नहर भी नहीं जा सकेगी, तो वहां के लिए क्या आयोजन किया जायगा? इसलिए मेरी प्रार्थना है कि माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें कि जहां पर सिंचाई के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, वहां पर सिंचाई का प्रबन्ध करें। वहां पर कुएं हैं, उनमें पानी नहीं निकलता। अपने दौरे के सिलसिले में मैंने जब वहां के किसानों से बातचीत कि तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग कुएं खोदते हैं, तो उन में पानी नहीं निकलता और अगर निकलता भी है तो बड़ी जल्दी सूख जाता है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वहां के लिए खास तरीके पर सर्वे करा करके कुछ प्रबन्ध करें। जहां तक नहरों का सम्बन्ध है, नहरें जिन एरिया से निकाली जा रही हैं, वहां के किसानों की जबरदस्त शिकायत है जिसके लिए माननीय मौर्य जी ने कुछ बातें रखी हैं। मुझे भी इतना ही कहना है आइन्दा के लिए कि जिस उत्पादन के लिए मन्त्री जी सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके उत्पादन के नुकसान की तरफ मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि जहां पर अधिक फसलें तैयार थीं, और पक गयी थीं, वहां पर ऐसा हुआ कि जो, सरकारी कर्मचारियों का दोष नहीं, ठेकेदार थे, उन ठेकेदारों ने इतनी धांधली और जल्दी करके फसल को कटवा दिया है, जिस से किसानों को क्षति पहुंची है। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि मन्त्री जी ऐसी चीजों के लिए कड़े से कड़े आदेश दे दें और सरकारी कर्मचारियों द्वारा उन ठेकेदारों को आगाह करायें कि यदि किसी तरह की फसल १० या १५ दिन में तैयार हो जाती है, तो उनको मौका दिया जाय कि वह अपनी फसल काट लें, उन्हें नुकसान न हो। यों तो सरकार की तरफ से जो योजना बनायी गयी है, वह इसलिए बनायी गयी है कि हमारा देश सुखी और सम्पन्न हो। हमारे देश से गरीबी दूर हो जाय, हमारे देश में गल्ले के ढेर उसी प्रकार दिखलाई पड़ें, जैसे पहाड़ों में टीले दिखलाई पड़ते

हैं और सिंचाई की वजह से चारा वगैरह की बढ़ौत्तरी हो जैसे पुराने जमाने में लोग कहते थे कि यहां घी दूध की नदियां बहती थीं, तो हमारे जानवरों को चारा मिले जिस से वह पुरानी बात साक्षात यहां हमारे देश में दिखायी देने लगे। तो मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि किसानों के हर दृष्टिकोण से फायदे के लिए जितनी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साधन उपलब्ध किये जा सकें, करें। हम लोग मन्त्री जी को विश्वास दिलाते हैं कि इस काम में जनता के जितने सहयोग की आवश्यकता है वह जनता देने के लिए हमेशा तैयार है और रहेगी।

*सिंचाई उपमंत्री (श्री राम मूर्ति)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सिंचन विभाग के सम्बन्ध में इस सदन में वाद-विवाद हुआ। बहुत से सदस्यों ने अपना दृष्टिकोण रखा और लगभग हर पार्टी के लिहाज से भी सभी दृष्टिकोण यहां पर व्यक्त किये गये। आलोचना हुई बहुत से सुझाव हुए। कुछ ऐसे हुए जो मालूमात की कमी थी, कुछ बड़े सुन्दर और बड़े रचनात्मक प्रकार के और हमने उन सब को नोट किया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि सभी सदस्यों ने सिंचाई विभाग के काम को बड़ा पसन्द किया। मुझे वह वक्त याद है आज से ६,७ साल पहले जब हमारे देश में स्वराज्य हुआ और इस देश में जो कृषि प्रधान देश है, जहां खेती बारी का काम है, विशेषकर इस प्रदेश में जहां ८५, ८६ प्रतिशत आदमी ग्रामीण हैं, और उन में से ८० प्रतिशत खेती का ही काम करते हैं, हमारे यहां कितनी मुसीबत का सामना था। लोग गल्ले के एक-एक दाने के लिए तरसते थे और बड़े परेशान थे, दिक्कतों की कोई इन्तहा नहीं थी। पर बड़ी खुशी होती है, जब हम देखते हैं कि इन ६, ७ साल के प्रयत्न से सिंचाई विभाग को लोगों का और सब से बड़ा किसानों तथा इस सदन के सदस्यों का हर प्रकार का सहयोग प्राप्त हुआ और उसका नतीजा यह हुआ कि आज हमारे प्रदेश के अन्दर इतना गल्ला पैदा होने लगा कि हम खुद भरपेट खाने लगे हैं और अपने पास पड़ोस के प्रदेशों को भी दे रहे हैं।

यह बजट इस पंचवर्षीय योजना के आखिरी साल का बजट है। तो इस प्रदेश के रहने वाले नागरिकों को इस बात का मौका है कि वह पांच मिनट ठहरें और पीछे मुड़कर देखें कि पांच साल के अन्दर जो काम हुआ है, वह सन्तोषजनक है या नहीं और सन्तोषजनक है तो इस में और क्या तरक्की होनी चाहिए इस सब का पूरा मौका है और उन तमाम नागरिकों के जो आज यहां नुमाइन्दे बैठे हुए हैं, प्रतिनिधि बैठे हुए हैं वे अपने विचारों को उसी ख्याल से व्यक्त भी करते हैं। इसमें कोई सुबहा नहीं कि हमारा देश और हमारा प्रदेश बड़ा गरीब है और हम सब लोग उन गरीबों के हैं प्रतिनिधि और ज्यादातर वह लोग हैं कि जिन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पब्लिक की और जनता की खिदमत में लगाया है। कितने ऐसे भी प्रतिनिधि हमारे यहां हैं जो कि विद्यार्थी थे, उस वक्त से अपने जीवन को इस काम में लगाये हुए हैं। तो सब की बड़ी उत्कट इच्छा होती है कि वह अपने क्षेत्र की बड़ी सेवा करें और वहां ऐसे कुछ काम करायें सरकार के द्वारा कि जिस से वहां के लोग खुश हो सकते हैं और उसी ख्याल से जितने भी सदस्य बोलते हैं, वह इस बात का इजहार करते हैं कि बावजूद काम हो जाने के अभी बहुत बड़ा काम बाकी है और यह बात अपनी जगह सही है। हमारे इस प्रदेश में लगभग ४ करोड़ एकड़ जमीन है, कि जो इरिगेबुल है। उस पर खेती बाड़ी की सकती है और इतनी कोशिशों के बाद हम करीब १ करोड़ और दस लाख एकड़ जमीन को पानी देने का साधन कर पाये हैं। तो हमारे सामने अभी बहुत बड़ा काम है। लेकिन साथ-साथ हमारा उत्साह भी बहुत बढ़ा चढ़ा है। जिस तरीके से कि हमारे साथी हमारे कामों को पसन्द कर रहे हैं, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हमारे विभाग के इन्जीनियर्स और अन्य कर्मचारी बड़े उत्साह के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राममूर्ति]

साथ अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस मौके पर यह कहना गैरमुनासिब नहीं समझता कि हमारे विभाग के लोगों का काम बड़ी दुश्वारी और मुश्किल का है। ये लोग पानी के जितने भी तरीके हैं नहरों का निकालना, डैम्स का बनाना, ये यब ऐसी जगहों पर हैं जो पहाड़ हैं, ऐसी जगहों पर हैं जहां लोग जा नहीं पाते, जंगल हैं, घोर जंगल, जहां जानवरों का बास है और मच्छरों का बास है, जहां जाने में भी डर लगता है, वहां पर ये लोग जाते हैं, और अपनी जगह बनाते हैं, उन दुश्वारियों को उठाते हैं और फिर अपनी मेहनतों और अपनी बुद्धि के विकास से यह हमारी नहरें निकालते हैं, जलाशय बनाते हैं जिनका पानी हमारे प्रदेश के कोने-कोने में जाता है और हमारी जमीन को, धरती माता को सींचता है और जिस से यह नाना प्रकार की फसलें धरती माता उगल रही है जिस से हम लोग सब खुशहाल हो रहे हैं और हमारी दरिद्रता और हमारी गरीबी आहिस्ता-आहिस्ता दूर हो रही है। यह भी अपनी जगह सही बात है कि बहुत से भाई हमारे मुहकमे की जो कार्यवाहियां ऐसी हैं कि जो गैरमुनासिब कही जा सकती हैं, उनको देखते हैं तो उनको नागवारी होती है और हमको भी बड़ी नागवारी होती है और यह मुसलसल हमारी कोशिश है कि हम उन खराबियों को दूर करें। जैसे-जैसे वह खराबियां हमारी नोटिस में आती हैं हमारे चीफ इन्जीनियर्स और उनके नीचे के अफसरान बराबर इस कोशिश में हैं कि अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो उसे दूर किया जाय। अगर कहीं पर इकोनामी हम कर सकते हैं अपने कामों के अन्दर तो वह करें। आज इसका जिक्र किया गया, एस्टिमेट्स कमेटी ने बहुत सुझाव दिये और मुझे कहते बड़ी खुशी है कि हमने उनमें से बहुतों को माना है। बहुत सी चीजें, उनमें अच्छी थीं। हमने उस तमाम फेहरिस्त को सरकार के पास भेज दिया है। और वहां पर विचाराधीन है और उस बीच में हमने बहुतों को मान भी लिया है। हमारे यहां जो टयूबवेल्स हैं उनके सर्किल्स और डिवीजन्स पर एलेक्ट्रिकल इन्जीनियर्स अलग होते थे, मेकैनिकल इन्जीनियर्स अलग होते थे। हमने उन सबको मिलाया है और जगहें कम की हैं। वैसे ही हमने टयूबवेल आपरेटर्स और मिस्त्रियों में तजुर्बा किया है, उनकी जगहों को भी मिला दिया है। हमने और भी तरीके निकाले हैं। घोड़े वगैरह का बड़ा जिक्र हुआ कि उनके हट जाने से काम में खराबी आने लगी, उस प्रथा को फिर से चालू किया और भी बहुत सी बातें हैं, जिनको कुछ हमारे साथी सदस्य मालूम नहीं क्यों एप्रिशियेट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे एक साथी ने जिक्र किया कि सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर्स मालूम नहीं क्यों रखे जाते हैं। उनका जाब एक बड़ा आवश्यकीय जाब है। उनका काम निरीक्षण का है और निरीक्षण का ही नहीं, बल्कि सलाह मशविरे का है। सीनियर लोग हैं, एल्डरली लोग हैं। ये लोग अपने नीचे जो एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स और असिस्टेंट इन्जीनियर्स हैं उनके काम को देखते हैं, और साथ-साथ उनको नये-नये सुझाव भी देते हैं, उनकी मुश्किलों को दूर करते हैं। तो इस माने में वे एक बहुत बड़े सर्किल का निरीक्षण भी करते हैं और नये नये सुझाव देकर उनकी मदद भी करते हैं। फिर यह कहना कि सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर्स कम नहीं किये जा रहे हैं, तो उनका कम करना मुनासिब भी नहीं है। पहले के मुकाबिले में आज सिंचाई विभाग का काम बहुत बढ़ गया है। हमारी जरूरत इस बात की है कि उनकी तादाद और बढ़ायें। हमें तो खुशी इस बात की होनी चाहिए कि हमारा काम बहुत बढ़े और साथ-साथ अफसर, कर्मचारी भी ज्यादा बढ़ें, लोगों को ज्यादा एम्प्लायमेंट मिले, हमारे मुल्क की खुशहाली बढ़े, हमारे प्रदेश के अन्दर एक इंच भी जगह ऐसी न रहे जहां पानी न पहुंचे। यह धारणा बना लेना कि हमको हर चीज में कमी कर देनी चाहिए, मेरी समझ में यह बात मुनासिब नहीं है। यह बात हमारे भाइयों के सोचने की है।

कुछ आंकड़ों के बारे में भी जिक्र किया गया। हमारे दोस्त तिवारी जी ने एक आध आंकड़े के बारे में जिक्र किया और वह बात सही थी। अंग्रेजी में सही छपा था, हिन्दी में गलत था। अंग्रेजी में "इरिगेबुल" लिखा था और हिन्दी में "सिंचित" लिखा था। तो इन दोनों में बड़ा भारी फर्क पड़ गया। यह ठीक करने की बात है और वह ठीक हो जायगा। बहरहाल, उसमें कोई गलतफहमी की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ टयूब वेल्स की

तादाद के बारे में जिक्र किया, ३,६९८ और ३,५८६। इसमें ११० ट्यूबवेल का फर्क पड़ गया। यह इस ख्याल से था कि ३,६९८ तो वह फीगर हैं जो ३१ मार्च तक तैयार हो जायेंगे और ३,५८६ इस माने में कि वे काम दे रहे हैं, उनसे पानी मिल रहा है। इसलिए थोड़ी सी समझने की बात थी।

मैं यह कह रहा था कि हमारे प्रदेश में जो काम हो रहा है, उसके बारे में कुछ भाइयों ने जिक्र किया कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया से हमको रुपया कम मिलता है। इसमें शक नहीं कि यह बड़ा अच्छा होता अगर गवर्नमेंट आफ इन्डिया से हमको और ज्यादा रुपया मिलता और हमारी बड़ी कोशिश है कि और रुपया हमको मिले, बार-बार हमारे मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी जाते हैं और कोशिश करते हैं और जो हमारे उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट के सदस्य हैं, वे भी बड़ी कोशिश करते हैं। तो यह बड़ा अच्छा होता कि हमें और रुपया मिलता। लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कि हमारे प्रदेश में जिस तरीके से काम हुआ है, यह और ज्यादा बेहतर है। आपने देखा कि डी० वी० सी० हीराकुड, भाखरा-नांगल के काम हुए। परन्तु इन प्रदेशों के अन्दर काम केवल एक जगह पर ही सीमित हो गया। हमारे यहां काम जिले जिले के अन्दर हुआ और मैं तो यह कहूंगा कि जिले में भी हर कोने-कोने में हुआ और इससे मैं समझता हूं कि हमारे साथी भी ज्यादा सन्तुष्ट होंगे, बजाय इसके कि काम बड़ा हो जाता और वह प्रदेश के एक कोने में ही रह जाता। इस मामले में हमारा प्रदेश बड़ा सौभाग्यशाली रहा है। पहाड़ से लेकर यहां मैदान तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारी सरकार कार्य कर रही है। उपाध्याय जी हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और ऐसी बात नहीं है कि वहां पर काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि बात यह है कि वहां के हालात बड़े मुश्किल हैं। श्री मैठाणी जी ने शायद बुन्देलखंड का जिक्र किया कि वहां काम हो रहा है, वह पहाड़ी इलाका है, या हिमालय पहाड़ है? ऐसी बात नहीं है बल्कि टीले लगे हुए हैं और वहां काम करना आसान है, बजाय पहाड़ पर काम करने के। टेहरी गढ़वाल के लिए अलग इन्जीनियर्स कर दिये गये जिससे वहां भी काम हो सके। हम बराबर देखते हैं और कहां-कहां यह बन सकते हैं और जहां बन सकते हैं वहां बनाते हैं।

हाईड्राम के बारे में यह है कि इन्डेंट हो गया है। इसके जरिये जिन जगहों में पानी पहुंचाया जा सकता है, पहुंचाया जायगा। चाहे वह अलखनन्दा के नीचे हो या गंगा की बात हो। हम भी इस बात को जानते हैं और महसूस करते हैं कि वहां के रहने वालों को तकलीफ होती होगी। श्रीमन्, क्या समय पूरा हो गया है?

**श्री उपाध्यक्ष**—हां, अब केवल ४५ मिनट बाकी हैं और अभी जिन्होंने मोशन पेश किया है, उनको जवाब भी देना है।

**श्री राममूर्ति**—उनके जवाब के लिए तो काफी समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि वहां के लोगों को तकलीफ होती होगी, कि हमारे यहां का पानी इतने जिलों को सींच रहा है और हमको नहीं मिलता है। हम इस कोशिश में हैं कि जल्दी-जल्दी हमें साधन प्राप्त हों, और फिर हम पानी वहां पहुंचा सकें, चाहे वह हाई ड्राम से हो या किसी भी तरह से हो।

अब मैं और भी बातों का जिक्र कर देना चाहता हूं जिनके सम्बन्ध में हमारे दोस्तों ने जिक्र किया है। तिवारी जी ने जिक्र किया है कि हमारे यहां चार चीफ इन्जीनियर्स हैं। मैं आप के जरिये यह बतलाना चाहता हूं कि हमने कोई चीफ इन्जीनियर बढ़ाया नहीं है। जब यह काम हमारे पास आया, तो हमारे पास दो चीफ इन्जीनियर्स थे। कृषि इन्जीनियरिंग विभाग

[ श्री राममूर्ति ]

और ग्रो मोर फूड विभाग के आने पर वहां के चीफ इन्जीनियर्स भी आये। कोई चीफ इन्जीनियर बढ़ा नहीं है, लेकिन काम बराबर बढ़ता चला जा रहा है। पहले सिंचाई का ही काम था लेकिन अब तो एन० ई० एस० ब्लाक्स और कम्युनिटी प्राजेक्टस का भी काम आ गया है। साथ ही फ्लड्स का कितना बड़ा काम आया और करोड़ों रुपये का काम किया जा रहा है और अपने प्रदेश में २,५०० गांव ऊंचे किये जा रहे हैं। रिहन्द डैम का बहुत बड़ा काम है और एक चीफ इन्जीनियर की इसी काम के लिए जरूरत है। इसके अलावा रूरल वाटर सप्लाई स्कीम का काम भी चालू है। मेरे भाई जब गांवों में जाते होंगे, तो उनको खुशी होती होगी और मुझे बड़ी खुशी होती है, जब मैं वहां जाता हूं कि टयूब वेल्स ने गांवों में बहुत काम किया है। इस स्कीम के मातहत औरतों के लिए गुसलखाने बना दिये गये हैं, जानवरों के लिए पीने के लिए चरी बना दी है। लोगों को बड़ी खुशी हो रही है और हम चाहते हैं कि आगे चलकर सब जगह ऐसी ही व्यवस्था हो जाय और कोई गांव ऐसा बाकी न रहे, जहां यह सुविधायें न प्राप्त हों, जिस से सब लोग खुशी हों, और हमारी जिन्दगी का स्तर उंचा उठे और हमारे प्रदेश की खुशहाली बढ़े।

एक बात का और जिक्र कर दूं कि पहले एक मील में २६५ एकड़ जमीन को पानी मिलता था, लेकिन अब ३१० एकड़ को पानी मिलता है। इसकी वजह यह है कि पिछले दिनों में रिमोडेलिंग का काम बहुत जोरों से हुआ। इससे हमारा जो पानी वेस्टेज हुआ करता था, वह बचा और दूसरे सफाई की वजह से लोगों ने पानी ज्यादा खींचा और तीसरे आज के जमाने में जब चप्पा-चप्पा जमीन टूटी और उसके ऊपर खेती का काम होने लगा, तो लोग, वाटर माइन्डेड हुए और वह ज्यादा पानी लेने लगे। तो यह सब वजहें हैं कि जिन के कारण हमारा एकरेज पहले के मुकाबिले में बढ़ता चला जा रहा है।

दूसरे प्रोग्रेसिव रेट्स लगाये गये। पहले पानी फ्री भी दे देते थे। तो इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे भाई जरा सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि कुछ लोग जो रेट्स बढ़ जाने पर लोगों को भड़का दें कि यह रेट बढ़ा रहे हैं, और उस से एक समस्या पैदा हो जाय। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे भाई इसमें हमारी मदद करें, और आगे भी करते रहें ऐसा न हो कि बीच में ही हमें वह छोड़ कर चले जायं।

हमारे एक मित्र श्री बलवन्त सिंह जी ने कहा कि सर्विस रोड्स खोल दी जायं। हमने इस बात की कोशिश की कि कम से कम ५०० मील सर्विस रोड्स पक्की हो जायं, ताकि ज्यादातर लोग उस पर चलने लगें। आज इस माने में सर्विस रोड लोगों के काम में आ सकती हैं कि उन पर बाइसिकिल, घोड़ा, ऊंट, आदि चलते हैं, सिर्फ बैलगाड़ी को हम उस पर इजाजत नहीं देते। दाहिनी तरफ के रास्ते हम ने खोल रखे हैं, लेकिन जब तक वह सड़कें पक्की न हो जायं, उनको खोल देना ठीक न होगा। लोग उसका बेजा इस्तेमाल करने लग जायेंगे और हमारी एफिशियेंसी गिर जायगी।

दाताराम जी ने एक आध बड़ी अच्छी बात कही और उन्होंने यह कहा कि दगड़ा और गुलों पर कल्वर्ट बना दिये जायं। मैं इस बात को देखूंगा कि कोई दगड़ा ऐसा न रहे जिस पर पुल न हो। उन्होंने एक बात की ओर और इशारा किया कि चकबन्दी के साथ साथ ओसराबंदी भी हो जानी चाहिए। मैं भी यह चाहता हूं कि और इसकी ओर हम ध्यान देंगे।

परतालें घर बैठ कर नहीं की जातीं। जब तक गांव सभा का प्रेसीडेंट उसको एप्रूव नहीं कर देता, तब तक वह फाइनल नहीं समझी जाती। तो इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसा मालूम पड़ता है कि भाइयों को मालूमात की कमी है। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी मालूमात बढ़ायी जायं।

मैं आखिर में अपने भाई साथी सदस्यों से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो जो सुझाव उनके यहां आये, उनकी हम कद्र करते हैं और उन को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारी यह बराबर कोशिश रही है कि जो सुझाव आये, उसको हम मानें और उनकी खिदमत करें। आखिर हम सब जनसेवक हैं। हम सब का यह भाव रहा कि हम ज्यादा से ज्यादा जनता की सेवा करें और देश की दरिद्रता को दूर करके लोगों का स्तर ऊंचा करें। समय कम होने से मुझे खेद है कि मैं सब भाइयों की बात का उत्तर नहीं दे सका, लेकिन अन्त में मैं माननीय नारायण दत्त जी से दरख्वास्त करता हूं कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें, और सब भाई सर्वसम्मति से मिल कर जो रुपये की मांग हमने इस अनुदान में की है, उसको मंजूर फरमावें।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**––समय का ख्याल तो श्रीमन्, रखेंगे, लेकिन उत्तर देना है, इसलिए समय कुछ ज्यादा मिलना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष**––अनुदान के लिए जो समय निश्चित है, उसकी पाबन्दी तो करनी ही पड़ेगी।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**––आज, श्रीमन्, मन्त्री जी को जान कर आश्चर्य हुआ होगा कि मेरा कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने की दरख्वास्त करने वालों में वह अकेले ही रहे और सदन के सभी माननीय सदस्यों ने बड़ी कृपापूर्वक हमारे कटौती के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया और इसका मूक समर्थन किया।

इसके लिए मैं उन सब का आभारी हूं। मैं इसके पहले कि किसी बात पर जो माननीय मन्त्री जी ने अपनी तरफ से कहीं उन पर प्रकाश डालूं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उनसे एक बात पर सहमत हूं। जो हमारे इन्जीनियर महोदय और दूसरे तमाम कर्मचारी हैं जो सिंचाई की योजना के लिए कार्य कर रहे हैं, वे अवश्य सब बधाई के पात्र हैं। सरकार की नीति उनके हाथ में नहीं है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, जिनके सम्बन्ध में उन्होंने बतलाया कि वह अपनी ओर से नहीं होतीं। तो जहां तक योजनाओं को परिचालित करने का सम्बन्ध है, उनकी मेहनत का प्रश्न है हम भी उनकी मेहनत की प्रशंसा करते हैं।

माननीय मन्त्री जी ने यह बतलाया कि एस्टीमेट्स कमेटी की जो सिफारिश है, उनमें से बहुतों को उन्होंने कार्यान्वित किया है। उन्होंने चीफ इन्जीनियर के हवाले में बतलाया कि इनको हमने नहीं बुलाया है यह तो फूड डिपार्टमेंट जब समाप्त किया गया तो वहां से आगये और एक ऐग्रीकलचर विभाग से आ गये। हमने अपनी ओर से कुछ नहीं किया। श्रीमन्, यह भी जरा सोचने की बात है। मान लीजिये कि किसी विभाग से कोई चीफ इन्जीनियर आया था, तो क्या उसको चीफ इन्जीनियर के नाम से ही डिजगनेट करना था यह कहां तक उचित है, यह सोचने की बात है और फिर एक नहीं कई-कई चीफ इन्जीनियर रखना क्या उचित होगा। अब, बिहार बंगाल का मर्जर हो रहा है तो क्या वहां पर दो दो चीफ मिनिस्टर बनाये जायेंगे? यह तो उनका अनुचित सुझाव है। यह तो उचित नहीं मालूम होता है कि दूसरे विभाग से अगर कोई आदमी आवे, तो वह उसी पद पर बना रहे।

सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर की पोस्ट के सम्बन्ध में कई बार यहां पर कहा जा चुका है और सिफारिश की जा चुकी है कि उनका रहना फिजूल है। किसी सदस्य ने यह नहीं कहा कि उनकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

पोस्ट को एबालिश कर दिया जाय। बल्कि यह कहा गया कि जितने आज हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। यही एस्टिमेट कमेटी के भी सिफारिश हैं। जहां तक इरिगेशन रेट्स का सम्बन्ध है, माननीय मन्त्री जी ने अपनी बात को स्पष्ट नहीं किया। मुझे आशा थी कि वह कम से कम इस बात को स्पष्ट करेंगे कि सिंचाई रेट्स के सम्बन्ध में भविष्य में सरकार की नीति क्या रहेगी। उन्होंने स्लाइडिंग स्केल के बारे में कहा किन्तु जहां पर नई नहरें हैं, उसके लिए तो सुझाव ठीक है लेकिन जो दूसरी सिंचाई की दरें हैं, और जो बहुत दिनों से यहां पर विवाद का विषय रही हैं और काफी विवाद जिन पर हो चुका है, उन के विषय में सारे प्रदेश में एक विरोधी आन्दोलन भी रहा है, उन रेट्स के सम्बन्ध में मन्त्री जी ने अपना मत स्पष्ट नहीं किया है। मैं उन से निवेदन करूंगा कि वह सिंचाई रेट्स के सम्बन्ध में अपनी नीति को स्पष्ट कर दें।

विशेष रूप से जो स्पेशल डेवेलपमेंट फण्ड बनाया गया था, उस के लिए इस साल रुपया नहीं दिया जा रहा है कि जो कि विशेष रूप से सिंचाई रेट्स से प्राप्त आमदनी को रखने के लिए बनाया गया था। हिन्दी की रिपोर्ट के विषय में जो गलती थी, उसके विषय में माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि वह अनुवाद की गलती थी। अब मैं यह तो नहीं कहता कि अंग्रेजी की सही थी। लेकिन हमारे पास जो हिन्दी की रिपोर्ट आयी, उसमें हमने उस गलती को देखा। मुझे आशा है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती जो कि हम को मिली, वह सरकार को भी विशेष परिस्थिति में डाल सकती है इसलिए वह दोहरायी नहीं जायगी। अन्त में मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि सिंचाई रेट्स के सम्बन्ध में वह अपनी नीति को स्पष्ट करने की कृपा करें।

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—श्रीमन्, अब समय नहीं है और दूसरे अनुदान का समय भी आ गया है फिर भी, २, १ बातें तिवारी जी ने रखी हैं उनका स्पष्टीकरण होना चाहिये। जहां तक रेट्स का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि, मान्यवर, कतिपय विवाद उसके विषय में इस भवन में हो चुके हैं। उसके लिये जितनी बातें पक्ष में और विपक्ष में कही जा सकती थीं वह सब यहां पर पेश की गयीं। फिर आप किस नीति का स्पष्टीकरण चाहते हैं? स्पष्टीकरण यह है कि हम कोई रेट्स घटाने नहीं जा रहे हैं।

नीति का स्पष्टीकरण यह है कि किसानों के ऊपर जो बोझ पड़ता जा रहा है गल्ले के दाम गिरने का उस के प्रति हम पूर्ण सतर्क हैं। जब जैसी आवश्यकता हुई वैसा कदम उठाया है और आगे भी उठाया जायगा। इससे अधिक और किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। चार चीफ इंजीनियरों के बारे में हमारे उपमंत्री जी के कहने का मतलब यह था कि फूड प्रोडक्शन और कृषि इंजीनियरिंग के विभाग हमारे साथ में मिलें और उन दोनों विभागों से एक एक चीफ़ इंजीनियर आये। दो चीफ इंजीनियर हमारे यहां पहले से थे, इस प्रकार ४ हुये। प्रथम पंचवर्षीय योजना का हमारा काम हुआ—लगभग ३५ करोड़ रुपये का और उसके अलावा जितना कार्य और सिंचाई विभाग के ऊपर आया जिसका जिक्र करने की मैंने प्रातःकाल चेष्टा की थी, वह सब मिलाकर हमारा कार्य लगभग ५०,६० करोड़ रुपये का हुआ, यद्यपि हमारे पास इस समय ठीक-ठीक फिगर्स नहीं हैं। जहां इतना बड़ा काम होता हो और कठिन योजनायें चल रही हों, उनकी ठीक तरह से संचालन करने के लिये कोई अतिरिक्त स्थान चीफ इंजीनियर का हमने नहीं लिया है। उन्हीं चार स्थानों से काम चलाया है। इसमें कमी करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। कमी करने से यदि हमारे प्रदेश की योजनाओं को हानि पहुंचने का भय हो तो उसे करना उचित नहीं है। जिस समय कमी करना आवश्यक होगा अवश्य कमी की जायगी। नारायणदत्त जी को सन्तोष हुआ कि हमने अपनी ग़लती स्वीकार की। अवश्य ही अंग्रेजी में कुछ और हिन्दी में कुछ छपा, ऐसा नहीं होना चाहिये था।

इन थोड़े से शब्दों के साथ में माननीय नारायणदत्त जी से निवेदन करूंगा कि वह अपनी कटौती का प्रस्ताव वापिस ले लें।

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९, लेखा शीर्षक १७, १८ और १९–ख के सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९, राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है) लेखा शीर्षक १७, १८ और १९—ख के अन्तर्गत ३,८२,८३,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०, सिंचाई स्थापना पर व्यय लेखा शीर्षक १७,१८, १९ और ६८ के सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०, सिंचाई स्थापना पर व्यय, लेखा शीर्षक १७, १८, १९, और ६८ के अन्तर्गत ३,५८,४८,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या ४३, लेखा शीर्षक ६८, सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—मान्यवर, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३, लेखा शीर्षक ६८, सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण से संबंधी कार्यों के लिये १३,२७,६०,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मान्यवर, यह जो अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मुझे मिला है वह सम्बन्ध रखता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की उन योजनाओं से जिनका कार्य हम अगले वर्ष के अन्दर करने जा रहे हैं और सम्बन्ध रखता है पूंजी से होने वाले उन कार्यों से जिन्हें हम प्रथम पंचवर्षीय योजना में करते रहे हैं। जैसा मैंने प्रातः निवेदन किया, यह सौभाग्य की बात है कि एक योजना की समाप्ति हो रही है और दूसरा बड़ा भारी योजना का सूत्र-पात होने जा रहा और है ऐसे और अवसर पर उत्तर प्रदेश, जो हमारे देश का एक बड़ा विशिष्ट और बड़ा प्रदेश है, उसके बजट के अन्तर्गत इस अनुदान को आज प्रारम्भ में ही प्रस्तुत करने का अवसर मुझे मिला। इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। अभी मैं बैठा हुआ यह सोच रहा था कि हमारे देश की यह परम्परा रही है कि जब कोई शुभ कार्य आरम्भ होने जा रहा हो या कोई शुभ अवसर हो तो फाटक पर या दरवाजे पर कलश में जल भरकर रख दिया जाता है। मैं समझता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का शुभ आयोजन होने जा रहा है और शुभ सूत्रपात होने जा रहा है और कदाचित इस कारण यह अवसर

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मुझे प्रदान किया गया कि सिंचाई विभाग, जिसका सम्बन्ध जल से है और कलश से है, वह अनुदान इस भवन के सामने पहले रखूं। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो सारे प्रदेश में चली एक विशिष्ट प्रकार की योजना थी यद्यपि हम उसे योजना की संज्ञा निश्चित रूप से और शास्त्रीय ढंग से प्रदान नहीं कर सकते। जैसा हमारे देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल ने कहा था, प्रथम पंच वर्षीय योजना हमारी एक डेवलपमेन्टल प्लान थी। जब हमने देश के अभावों की अनुभूति की, उसकी त्रुटियों को और कष्टों को देखा, तो उन सब के परिहार के लिये जो कुछ ज्ञान हमें प्राप्त था या जो हमारे साधन थे उन्हीं के आधार पर हमने एक योजना बना दी। वह एक डेवलपमेन्ट प्लान था। उन्होंने साथ-साथ यह भी कहा कि यह हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का एक स्ट्रक्चरल प्लान है। इस देश का स्वरूप निर्धारण करने के लिये इस देश की सामाजिक व्यवस्था क्या हो, और उसका क्या स्वरूप हो, इसकी अर्थ व्यवस्था कैसी हो, और यहां के लोगों का विकास हो, इन सबको आकार प्रदान करने के लिये, स्वरूप प्रदान करने के लिये, और इस स्वरूप की प्रतिष्ठा करने के लिये एक स्ट्रक्चरल निर्माण का प्लान द्वितीय पंचवर्षीय योजना के रूप में रखा गया है। इस प्लान की इस प्रकार उन्होंने स्थापना की। मैं ऐसा समझता हूं कि उनकी यह परिभाषा और व्याख्या बड़ा महत्व रखती है। हमारे प्रदेश में अन्न का बड़ा भारी संकट था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक दुर्भिक्ष का, अन्नाभाव की या भुखमरी की स्थिति से हम गुजर रहे थे। जनतंत्र की स्थापना हुई। एक प्लान हम ले कर चले और आज हमें भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिये और चाहिये इस देश और प्रदेश की जनता के प्रति जिन्हें सहयोग से हम उस योजना को पूरा करने में समर्थ हुये हैं। जिस समय हम उस योजना को ले कर चले थे उस समय न हमारे पास उस के लिये पर्याप्त साधन थे, न हमारे पास कल्पना थी और न हमारे अन्दर वह विश्वास था और भरोसा था कि हम कदाचित सारी योजना को पूरा कर सकें। परन्तु उसकी पूर्ति हुई, यह भगवान की कृपा है, इस प्रदेश की जनता का बड़ा सहयोग और बड़ा आशिर्वाद है कि हम इस योजना को पूरा कर सकें। आज इस अवसर पर जब हम इस आदरणीय सदन से जो जनता के हितों का प्रहरी है, उसके धन का रक्षक है, उससे जब हम यह माँग करने चले हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये १३ करोड़ से अधिक दो तो संक्षेप में प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कार्य हमने किया है उसका थोड़ा सा विवरण उसके सम्मुख रख देना अनुचित न होगा। श्रीमन्, मैं अधिक समय तो नहीं लूंगा क्योंकि समय कम है और अधिकतर विवरण हमारी पुस्तिकाओं में दिया हुआ है। फिर भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो कार्य हुए उनको आप के सम्मुख रख देना आवश्यक समझता हूं।

अब तक यह प्रदेश प्रायः अपने समस्त लक्षों को, जो उसने अपने लिये निर्धारित किये थे, करीब-करीब पूरा कर चुका है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जब हमारी आरम्भ हुई तो सिंचाई की योजनाओं पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था और उनको सबसे अधिक प्रमुखता प्रदान की गयी थी क्योंकि हमारे सम्मुख अन्न के अभाव की सबसे बड़ी समस्या थी, भुखमरी की जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सम्मुख थी, उस पर प्रहार करना आवश्यक था और बिना पानी के हम एक कदम भी नहीं बढ़ सकते थे, अतः सिंचाई पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। आरम्भ में जो योजना निर्मित हुई उसके अनुसार हमने करीब १८–१९ करोड़ रुपया खर्च करने का निश्चय किया था। धीरे-धीरे यह योजना जैसे-जैसे बढ़ती गयी वैसे-वैसे हमारे कार्य भी बढ़ते गये, और आज मुझे यह कहते हुए हर्ष और संतोष होता है कि उस योजना का विकास और विस्तार ऐसा हुआ कि करीब-करीब जो रक़म निर्धारित की गयी थी उसकी दुगुनी रक़म खर्च हुई और जिन योजनाओं को हमने लिया था उनसे कहीं अधिक योजनाओं को हम पूरा कर सके। मान्यवर, आज यह छोटी बात नहीं है कि मैं इस सदन के समस्त सदस्यों से यह नम्रतापूर्वक यह निवेदन कर रहा हूं कि यह सदन के समस्त सदस्यों के लिये,

सरकार के लिये, इन योजनाओं के संचालकों के लिये और आप के लिये भी यह संतोष की बात है कि जिस प्रदेश में आज से चार पांच वर्ष पहले केवल ७७–७८ लाख भूमि सिंचाई के साधनों के अधीन थी, वहां प्रयत्नों से ४–५ वर्षों के बाद ही, इन योजनाओं की पूर्ति के बाद जो क्षेत्र सिंचाई के साधनों के अधीन आ गया है वह करीब-करीब १ करोड़ १० लाख एकड़ है। इस प्रकार से ५ वर्षों के अन्तर्गत ३३ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई के साधनों की नई व्यवस्था की गयी है। उसमें जनता का सहयोग रहा, सरकार को उसका आशीर्वाद रहा और किस प्रकार से उन योजनाओं को बढ़ाया जा रहा उसके प्रति इस भवन के सम्मुख कई बार कहा जा चुका है। अब तक ११–१२ डैम्स पूरे हो चुके हैं। रंगवा, खजूरी, ललितपुर, सपरार, कबरई, अर्जुन, नगवा, अहरोरा, सिरसी, और बानगंगा, इन सबका उद्घाटन हो चुका है और सिंचाई आरम्भ हो चुकी है। चन्द्रप्रभा और नौगढ़ बन कर तैयार हैं, इनका उद्घाटन होना शेष है क्योंकि उसके लिये समय नहीं मिल पाया है कि उद्घाटन करा लें। ये डैम्स भी बन कर तैयार हैं, पानी देना भी शुरू कर दिया है। माताटीला और शारदा के इतने बड़े-बड़े काम हैं जिनको प्रदेश जानता है। करीब ४–५ करोड़ रुपया प्रथम पंचवर्षीय योजना में खर्च हुआ और इस किस्म की जो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं, मेरा ऐसा अनुमान है कि उनके प्रथम स्तर का काम जून ५६ तक पूरा हो जायगा। इस प्रकार आप देखें कि अपने प्रदेश में बड़ी-बड़ी योजनायें प्रायः पूरी हो चुकी हैं। शारदा सागर और माताटीला, ये दोनों योजनायें थोड़ी बहुत बहुमुखी योजनायें हैं। माताटीला योजनाओं में केवल सिंचाई ही न होगी परन्तु उससे बिजली भी पैदा होगी और शारदा सागर की योजना से न केवल सिंचाई का काम है बल्कि इस पर बहुत कुछ बाढ़ के रोकने का भी काम है यह तमाम बड़ी-बड़ी योजनायें ५६ के जून तक समाप्त हो जायंगी और इसके सिवा जितने काम हमने लिये थे शारदा नहर के विस्तार के क़रीब १ हजार ६२ मील के विस्तार का वह काम पूरा किया जा चुका है। शारदा नहर की कैपिसिटी का बढ़ाना, २ हजार क्यूजेक्स उसमें और बढ़ाना, वह काम बड़ी तेजी से हो रहा है और करीब-करीब पूर्ण हो चुका है, अगले वर्षों में पूरा हो जायगा। गंगा कैनाल की कैपिसिटी बढ़ाने का काम बहुत सीमा तक हो चुका है और मुझे खुशी है कि पानी गंगा कैनाल में बढ़ा है, जो मेरठ और मुजफ्फरनगर जिले के हैं, अभी हमारे दीनदयाल शास्त्री जी कह रहे थे मैं उनका बड़ा आभारी हूं कि उन इलाकों में जिनमें गंगा कैनाल से सिंचाई होती है वहां पानी बढ़ा है। मैं मेरठ दौरे में गया था और वहां गांव में मैंने घूम-घूम कर किसानों से पूछा था और किसी अभिमान से नहीं बल्कि बड़ी नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि वहां किसानों ने यह कहा कि अपने पचासों वर्षों की याद में हमें इतना पानी गंगा की नहर में नहीं मिला जितना इस वर्ष मिला है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के लोग इस बात को कहेंगे। हमने यमुना कैनाल की क्षमता बढ़ाई। उनकी तमाम ब्रांचेज जैसे हाथरस ब्रांच, देवबन्द ब्रांच, ओखला तक और ओखला से लेकर नीचे तक, आगरा फतेहपुर सीकरी की ब्रांच और तमाम जितनी बड़ी-बड़ी ब्रांचें हैं जिन पर मैं समझता हूं कि ५० वर्षों से काम नहीं हुआ है, जमुना कैनाल की दुर्दशा हो रही थी उसको देखकर आदमी नहीं समझ सकता था कि यह कैनाल है। कभी मुगलों के जमाने में यह कैनाल बनी और शायद ५० वर्षों से पहले अंग्रेजों ने कुछ किया हो तो किया हो किन्तु कितने ही दशकों से उस पर काम नहीं हुआ था। इसकी रिमाडेलिंग, इसका पुनराकृतिकरण, इन कैनाल्स, इन नहरों का हमने आरम्भ किया और वह काम करीब-करीब पूरा हो गया। और इनके सिवाय, मान्यवर, बहुत से नये काम हमने उठाये, दोहरी पम्प कैनाल, टांडा पम्प कैनाल, नारायणी कैनाल, इत्यादि यह सब नयी योजनायें ऐसी हैं जिनको हमने ५४ में और ५४ के बाद से धीरे-धीरे कर के प्रारम्भ किया। स्कीम्स हमने बनाईं, भारत सरकार से हमने आग्रह किया कि उन पर ऋण हमें मिले और उन कामों को हम अपने हाथ में लें। सन् १९५६ के दिसम्बर तक मैं समझता हूं इन सब की पूर्ति हो जायगी। इस प्रकार हमारी योजना बढ़ती गई, हमारा काम बढ़ता गया और सिंचाई का क्षेत्र भी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

अधिकाधिक विस्तृत होता चला गया और जितना हमने पहले अपना लक्ष्य निर्धारित किया था उससे कहीं अधिक हम बढ़ सकें। मान्यवर, प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने कुल २ हजार नये ट्यूबवेल्स रखे थे। आज इस योजना के समाप्त होते-होते हम २९ सौ ट्यूबवेल्स बना सकें, जितना लक्ष्य हमने निर्धारित किया था उससे कहीं अधिक। इस प्रकार इस प्रदेश के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य हुआ। जहां तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, उसकी स्कीम्स हमारे सामने हैं, माननीय सदस्यों ने उन्हें देखा होगा। कुछ बड़ी-बड़ी योजनायें हाथ में ले रखी हैं जिनमें रामगंगा प्रोजेक्ट सब से बड़ी है जिससे करीब ७ लाख एकड़ में सिंचाई होगी, करीब ९१ हजार किलोवाट बिजली पैदा होगी और जो इस योजना के द्वारा हमारे पश्चिम में गंगा और जमुना नहरों से अधिकृत क्षेत्रों में उसके साथ-साथ लोअर गंगा कैनाल से जितना सिंचित क्षेत्र होता है उनमें पानी की मात्रा भी बड़ी सीमा तक बढ़ जायगी। फिर हमने शारदा सागर का दूसरा स्टेज लिया है। शारदा सागर से जितना पानी मिलेगा वह हमारी उन तमाम नहरों में जो अब शारदा सागर से निकाली जा चुकी है, उनमें और जो विस्तार हो गया है उनमें खपेगा। यदि इस नहर का और विस्तार करना हो तो जहां कहीं भी पानी की कमी हो और शारदा के क्षेत्र में अगर उसको देना हो, तो यह आवश्यक है कि उसका दूसरा स्टेज भी हम आरम्भ करें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने दूसरा स्टेज माताटीला का रखा है जिसमें सिंचाई भी होगी और बिजली का पावर हाउस भी होगा और उससे बुन्देलखंड में बिजली पहुंच सकेगी और इसी प्रकार करीब उन तमाम इलाकों को जिनमें शारदा की और गंगा की – बुन्देलखंड के इलाकों में अधिक से अधिक सिंचाई करने के लिये और सिंचाई के साधनों का अधिक से अधिक विस्तार करने के लिये, योजनायें ले ली हैं। १५०० ट्यूबवेल की योजना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। बांदा का क्षेत्र बुन्देलखंड में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सूखापन बहुत है। माताटीला के दूसरे स्टेज से झांसी, जालौन और हमीरपुर के जिलों को तो पानी दे देंगे लेकिन बांदा का बहुत बड़ा हिस्सा रह जाता है। वहां पर रंगवा का डैम भी बनाया फिर भी बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जहां पानी नहीं मिलता। वहां हमने एक रिजरवायर की योजना रखी है और एक नानक सागर की योजना है और जो सागर का हेडक्वार्टर है उसी के पास एक बांध बनाया जाने वाला है। बांध बन गया तो रुहेलखंड की नहरों को पानी दे सकेंगे और बरेली और पीलीभीत को जो शारदा का पानी जाता है वह पानी बचा सकेंगे और बाढ़ से जो भी उन इलाकों को सुरक्षित रख सकेंगे। रामगंगा डैम से बाढ़ से सुरक्षा हो सकेगी। रामगंगा अधिकतर उस इलाके में जाती हैं जिसे रुहेलखंड का इलाका कहते हैं और गंगा क्षेत्र में रामगंगा के क्षेत्र से बाढ़ आ जाती है। और उसका डैम बना गया तो रामगंगा पर असर कम होगा और नानक सागर के बनने से रुहेलखंड के इलाके की रक्षा होगी। और जो गर्रा इत्यादि नदियों से प्रभाव होता है और विनाश होता है उस पानी को लेकर रुहेलखंड में दें और शारदा की नहरों से एक और लम्बे चौड़े क्षेत्र की अपने प्रदेश के सिंचाई हो सकेगी क्योंकि उधर का पानी बच जायगा। इस तरह नानक सागर की योजना हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली है। मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा जो स्थान है वहां डुमरिया का रिजर्वायर होगा। मुरादाबाद का यह वह इलाका है जहां पानी की कमी रहती है। वहां पर डुमरिया के नाम से रिजर्वायर है। अफजलगढ़ और डुमरिया की इन दो योजनाओं को देखें। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक बड़े भारी क्षेत्र में जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, अथवा उस क्षेत्र में जहां सिंचाई के साधन कम रहे हैं उनमें पानी दिलाने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने ये योजनायें रक्खी हैं जिससे आशा है कि एक खास बड़ा हिस्सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अपने प्रदेश में ऐसा होगा जो इन इलाकों को पानी दे देगा। हमारे प्रदेश में मथुरा और आगरा ऐसी जगहें हैं जहां जल की हमेशा शिकायत बनी रही है लेकिन राम गंगा डैम के बन जाने से एक मात्रा में उनको पानी मिल

सकेगा। साथ ही साथ एक योजना और चली है। आपने देखा होगा कि माठ ब्रांच पर हम ट्यूबवेल बनाने जा रहे हैं और माठ ब्रांच का पानी मथुरा को दे दें तो १०० क्यूजक पानी बच जायगा जिससे सिंचाई हो सकेगी और वहां का जो पानी बचेगा वह मथुरा के इलाके में दे देंगे जहां जल की बड़ी कमी है और जहां पीने का पानी भी नहीं मिलता है और मिलता है तो खारी पानी मिलता है। पंजाब की सरकार से जो समझौता हुआ है उसके अनुसार भी पानी मिल सकेगा और इसके लिये पलेवा की चैनल्स निकाल रहे हैं।

इसी तरह पहाड़ के इलाकों की तरफ दृष्टिपात करना है। मैठाणी जी का कहना अक्षरशः सत्य है। मैं उस इलाके को देख चुका हूं और जैसा कि उपाध्याय जी ने उस रोज कहा और अब उन्होंने भी कहा और श्री जयेन्द्रसिंह जी ने भी कहा कि वहां पीने तक को पानी नहीं है, पर्वत श्रेणी से गंगा बहती है लेकिन नदियां नीचे से बह जाती हैं और पीने का पानी भी वहां लोगों को नहीं मिल पाता, वहां सिंचाई के लिये भी पानी का अभाव है, जब पीने के लिये ही पानी नहीं है तो फिर सिंचाई की कौन बात कहे! वहां पीने के जल की व्यवस्था तो सरकार को करनी ही है साथ ही सिंचाई की व्यवस्था भी शीघ्र ही वहां होनी चाहिये। यह हम मानते हैं क्योंकि आज इस प्रदेश में और ऐसा क्षेत्र है जहां दुर्भिक्ष प्रति वर्ष एक फेरा लगा जाता है। अभी-अभी अखबारों में निकला था कि वहां कुछ काम शुरू किया गया, सस्ते गल्ले की दुकानें भी खोली गयीं और वहां फसल न होने से काफी अभावग्रस्त स्थिति पैदा हो गई। मैं भी वहां घूमा हूं और वह ऐसा इलाका है कि वहां के लिये चाहे ५० लाख रुपया रखा जाय चाहे ४० लाख रखें इसमें सन्देह नहीं है कि वहां बहुत जरूरत है और उन इलाकों के दुरूह कार्यों के करने में समय अपेक्षित है लेकिन फिर भी हमारा संकल्प है और वहां हर प्रकार का विकास किया जायगा और पीने के जल की व्यवस्था की जायगी और जो कुछ भी खर्च होगा, किया जायगा, केवल विलम्ब का सवाल है, वह प्रदेश ऐसा ही है जहां कार्य करना कठिन है। वहां पर ३१ मार्च तक १५६ मील गुलें और नालियां तैयार हो जायंगी जिसमें ४ जिले शामिल हैं नैनीताल, गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा, सब में मिला कर १५६ मील नहरें पूरी हो जायंगी। वहां काम करना कठिन है देर लगती है, फिर भी आश्वासन दिलाता हूं कि रुपये की कमी की वजह से वहां देर नहीं लगायी जायगी चाहे पैसा बजट में हो या न हो, यदि बीच में स्वीकृति की आवश्यकता होगी तो आप से स्वीकृति लेकर भवन से स्वीकृति लेकर काम किया जायगा और धन के अभाव में काम रुकेगा तो धन देकर वह पूरा किया जायगा। अगले वर्ष भी वहाँ गूलों को बढ़ाने का काय किया जा रहा है। इस तरह से द्वितीय पंचवर्षीय योजना की संक्षिप्त रूप रेखा मैंने आप के सामने रखी और अपने बजट के इस अवसर पर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह काम बहुत बड़ा है। अभी जब बजट पर साधारण वादविवाद हो रहा था तो हमारे विरोधी दल के माननीय नेता ने यह दोष लगाया था कि इस प्रदेश की सरकार अत्यन्त निकम्मी है और इस सरकार ने भारत सरकार से रुपया प्राप्त करने में कोताही की है और वह कोई बड़ी योजना इस प्रदेश के लिये नहीं ला सके। पहले की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन इधर जब से मेरा सम्बन्ध इस विभाग से हुआ है मैं अपने नेता विरोधी-दल को विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार से अपनी इन योजनाओं के लिये धन लेने के लिये और इन योजनाओं को स्वीकार करने के लिये जो भी चेष्टा सम्भव हो सकती थी वह की गई और किसी तरह की उसमें न तो अकर्मण्यता दिखलाई गई और न कमजोरी—यहां से ७०० करोड़ की योजनायें बना कर भेजी गई थीं जिसमें हमने नायर डैम भी शामिल किया था और लोअर शारदा का पूरा कैनाल सिस्टम उसमें शामिल किया गया था, राप्ती की कैनाल भी उसमें शामिल की थी और इन सब कामों के लिये भारत सरकार से रुपया मागा गया था और उसके लिये आग्रह भी किया गया और लड़ाई भी की गई लेकिन बार-बार हमें वहां से यह आश्वासन मिलता गया कि यह सब स्कीम शनैः शनैः ली जांयगी, वहां से किसी स्कीम को अस्वीकृत नहीं किया गया। और कहा गया कि यह तो काम के फेजेज हैं इनको

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

को इस साल ले लिया जाय और बाकी को अगले सालों के लिये रखा जाय, सब काम एक साथ नहीं हो सकते और बार-बार कहने से यह २४८ करोड़ की योजना स्वीकृत हुई और उसमें से ३५–४० करोड़ यहां की सिंचाई पर व्यय होगा।

(इस समय ४ बजकर १८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

रिवर वैली प्रोजेक्ट भी कहा गया कि यहां नहीं है। बड़े-बड़े काम दामोदर वेली, भाखरा नांगल आदि के हो रहे हैं। हमारे सौभाग्य से हमारे प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने में भी थोड़ी बहुत गंगा, जमुना शारदा आदि के कैनाल्स हैं। ये रिवर वैली प्रोजेक्ट्स थे। आज करीब ९,१० पावर हाउस मौजूद हैं। बेतवा का बड़ा पावर हाउस अभी तैयार हुआ। यमुना की जो हाइडल की योजना हो सकती है वह आप को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गयी है। रामगंगा रिवर वैली प्रोजेक्ट है जिसमें न केवल सिंचाई की योजना है बल्कि ९१ हजार किलोवाट बिजली भी पैदा होने वाली है। बेतवा रिवर वैली प्रोजेक्ट चल रहा है जिससे सारा बुन्देलखंड सींचा जाने वाला है और बिजली भी मिलने वाली है। माताटीला का प्रोजेक्ट भी हम लेते जा रहे हैं। नारायणी और घाघरा के भी प्रोजेक्ट्स सामने हैं। सम्भव है कि नारायणी का प्रोजेक्ट बिहार की ओर से आ ही जाय। अभी यह आग्रह कर रहे हैं। हमने नारायणी की नहर निकाल रखी है। लेकिन बड़ी भारी उनकी योजना है। हम लेते भी गये हैं और आगे भी लेंगे।

हमारी पंचवर्षीय योजना की यह विशेषता थी कि हमने मीडियम साइज और और स्माल स्कीम सिंचाई की लीं जिनसे मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा लाभ हुआ। बड़ी-बड़ी योजनाओं से लाभ जल्दी नहीं मिलता है जो इतनी शीघ्रता से ३३ लाख एकड़ भूमि को दो-तीन सालों में पानी दे सकें। इन मध्यम और छोटी-छोटी योजनाओं को लेकर सिंचाई के साधनों का विस्तार प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक, हिमालय के शिखर से लेकर गाजीपुर तक, इन योजनाओं को फैला कर किया गया। यह सच है कि काम थोड़ा-थोड़ा हुआ है, लेकिन सर्वत्र हुआ है और सर्वत्र पहुंचाया गया है और लोगों में भरोसा जगाया है। यह बात तो नहीं है कि यह हमारा निकम्मापन है कि जिसकी वजह से हमको रुपया नहीं मिला। रुपया मिलता रहा है। रुपया मिलता चलेगा। जो इधर बैठे हुये लोग हैं वह भारत सरकार की सीमाएं, बंधनों और परिसीमाओं से भी परिचित हैं। हां, यदि विरोधी बैंचों पर बैठे होते तो केवल दोष लगा कर छुट्टी पा जाते। हम आग्रह करते चलते हैं, और आगे बढ़ते चलते हैं। मुझे इनमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि हमारी जितनी ऐसी स्कीमें हैं एक के बाद दूसरे फेज में आती जायंगी और इस प्रदेश की सिंचाई का विस्तार बढ़ता चला जायगा और काम पूरा होता चला जायगा।

बाढ़ की योजनाओं पर एक दृष्टिपात करें। आज ५० के करीब स्कीम्स मंजूर हो चुकी हैं और करीब सात करोड़ के उन योजनाओं में खर्च होगा। इस समय मैं विशेष रूप से उसका विस्तार के साथ चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि समय लग जायगा। पर इसमें संदेह नहीं कि सैकड़ों गांव हम ऊंचे कर रहे हैं। सैकड़ों मील हमारे बांध बन रहे हैं। २० लाख एकड़ भूमि जो बाढ़ से ग्रस्त है उसमें दस लाख एकड़ के करीब हम इन कार्यों से कवर कर लेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत से शहरों को बचाने के लिये बड़े-बड़े रिजरवायर बनाना चाहते हैं जिससे राप्ती का पानी ऊपर रोका जा सके। छोटी-छोटी इन नदियों का पूरा सर्वे करके कंट्रोल करना चाहते हैं। जिन इलाकों में कटाव होता रहा है उनको बचाने के लिये आज कई करोड़ रुपये की योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार से स्वीकार करने के लिये कहा गया है। मुझे आशा है कि उसमें हमें सफलता मिलेगी और हम उन योजनाओं को पूरा कर सकेंगे। अभी माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि स्पेशल डेवलपमेंट फंड में क्यों नहीं दिया। स्पेशल डेवलपमेंट फंड रेवेन्यू से बनता रहा है। इस साल हमने तय किया है कि लोन से सारा कैपिटल एक्सपेंडीचर किया जाय। इसलिये

उसमें उसे ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। बावजूद इसके कि उपाध्याय जी नाराज हैं। मैं एक मिनट और लेना चाहता हूं और केवल इतना कहना चाहता हूं कि साधारण विवाद के अवसर पर हमारे नेता विरोधी दल ने और स्वयं उपाध्याय जी ने हमारे बजट में समाजवाद के दर्शन नहीं किये।

उनकी समझ में यह आया कि यह एक ऐसा बजट है जो प्रवंचना के लिये है और कहीं इससे समाजवाद की स्थापना नहीं होती। मैं नहीं जानता कि एक वर्ष में एक बजट के जरिये दुनिया के किस हिस्से में कब समाजवाद की स्थापना हो गयी। समाजवाद की स्थापना के इतिहास को कुछ पढ़ने का मुझे भी अवसर मिला है और मैं जानता हूं कि अभी रूस ऐसे देश के नेता भी यह कह गये कि सम्पूर्ण समाजवाद की स्थापना में उन्हें २५सौ वर्ष और लगेंगे। चीन के नेता ने कहा कि २५ सौ वर्ष बाद हम समाजवाद के निकट पहुंचते हुये दिखायी देंगे और उन देशों में जहां कि सम्पूर्ण अधिकार वहां की सरकार के हाथ में हैं। रूस ने तो विशेषकर पिछले ४० वर्षों के कठिन परिश्रम, प्रयासों और बलिदान द्वारा एक बड़ी सीमा तक सफलता प्राप्त कर ली है, उन्हें भी अभी २५ सौ वर्ष लगेंगे समाजवाद तक पहुंचने में और चीन ने तो कहा ही कि २५ सौ वर्ष बाद समाजवाद के तट पर पहुंचेंगे। आज इस देश में बजट के पेश कर देने से समाजवाद स्थापित नहीं होगा। उसका स्वरूप कैसा होगा, किस सिद्धान्त पर बनना चाहिये, यह एक ऐसा विषय है जिसकी बहुत चर्चा की जा चुकी है। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यों-ज्यों हमारे सामने देश का स्वरूप स्पष्ट होता गया हमने कभी वेलफेयर स्टेट माना, कभी सोशलिस्टिक पैटर्न माना, फिर सोशलिस्टिक सोसाइटी मानी, यह सारी बातें ऐसी हैं जो इस बात को सिद्ध करती हैं कि हम कदम-कदम आगे बढ़ाते गये, स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट होता गया और अब जैसा हमारे प्रधान मंत्री एक स्टक्चरल प्लान लेकर चले हैं, हमारे सामने उसका स्वरूप निखरा है इसमें एक ऐसा समाज बने जिसमें उत्पादन अधिक हो और उत्पन्न हुये पदार्थों की खपत की शक्ति लोगों में हो जिसके लिये उनकी बेकारी दूर करना और क्रय शक्ति बढ़ाना आवश्यक है और फिर जो समृद्धि देश में पैदा हो उसका एक न्याय संगत उचित सम बंटवारा हो सके। ऐसा समाज बने जिसमें आर्थिक बिषमता न हो। यह स्वरूप है जिसकी स्थापना करने के लिये हमने अपना लक्ष्य घोषित किया है। अवश्य ही हमारा मार्ग भिन्न है, जनतन्त्रात्मक पद्धति पर चलकर समाजवाद की रचना करना चाहते हैं। हमारे बजट में चेष्टा है, वह यह है कि देश का उत्पादन बढ़े, यह चेष्टा है कि बेकारी इस देश की दूर हो ताकि जो पदार्थ उत्पन्न हों उनकी खपत की शक्ति हो, लोगों में क्रय करने की शक्ति हो। और साथ-साथ यह भी चेष्टा है कि देश की समृद्धि का समुचित बंटवारा हो, आर्थिक विषमता का नाश हो। इन लक्ष्यों को ले कर के इस योजना का परिचालन किया जाने वाला है। इसी लक्ष्य को लेकर यह राज्य अग्रसर हो रहा है। हम सबको चाहिये कि ऐसे समाज की रचना में योगदान दें। यही आज हमारा संकल्प होना है। हमें आशा है, मान्यवर, इस कार्य में हमारे देश की जनता भी और सभी जिन्हें इस देश के प्रति स्नेह और प्रेम है, सहायक होंगे। हमारी जो त्रुटियां हों उन्हें आप बतायें और अपने सहारे उन त्रुटियों का प्रहार करते हुये हमें अग्रसर करें, आगे ले चलें जिससे हम अपने देश की समृद्धि को बढ़ा सकें और भारत को सुखी और सम्पन्न बना सकें।

*श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं १५ मिनट चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३ में १ रु० की कटौती कर दी जाय। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने हमें एक पुरानी परम्परा बतायी कि जल और कलश से स्वागत करते हैं इस प्रदेश में बड़ी-बड़ी योजनाओं का। हमारे यहां दूसरी प्रथा भी है वह यह है कि जल और कलश के साथ जब किसी शुभ कार्य का उद्घाटन किया जाता है तो शंख ध्वनि भी बजायी जाती है। तो जो कुछ मैं यहां पर कहूंगा वह शंख के रूप में उन्हें समझना चाहिये क्योंकि शुभ कार्य है उसमें हम कोई बाधा नहीं डालना चाहते। इसलिये अध्यक्ष महोदय, अच्छा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

होता मंत्री महोदय समाजवाद के ऊपर आज भाषण न दिये होते, क्योंकि जहां तक सिंचाई का प्रश्न है, जहां तक हमारे बांधों का प्रश्न है, जहां तक हमारे देश की उन्नति का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, कौन ऐसा होगा इस उत्तर प्रदेश में जो ऐसा न चाहता हो। लेकिन अगर पानी के बह जाने से ही समाजवाद हो जाता है तो अमरीका में भी बहुत सी टेनिस वैली स्कीम, पानी बिजली कल कारखाने दुनियां भर की चीजें हुयी हैं। लेकिन आज अमेरिका की स्टेट को सोशलिस्ट स्टेट कोई नहीं कहता है। यह हो सकता है कि वह स्टैन्डर्ड हो जाय लेकिन यह सोशलिस्ट की बात करना और हमें इस बात की तस्वीर दिखाना कि अब नहरें हो गयी हैं, यह मैं मानता हूं कि इससे देश की उन्नति होगी, लेकिन यह भी है इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रदेश के अन्दर आज लाखों, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें माननीय मंत्री जी की सिंचाई से कोई फायदा होता ही नहीं उनके पास खेती करने के लिये जमीन ही नहीं है, लाखों ऐसे लोग हैं। करोड़ों ऐसे होंगे आज भी उत्तर प्रदेश के अन्दर जिन्हें पीने का पानी मुहैया नहीं है, उनकी क्या बात आप करेंगे? इर्रीगेशन के फायदे तो उनको होंगे जिनके पास जमीनें हैं। हां, यह बात जरूर है कि सारे देश को उससे फायदा होगा। लेकिन वह समाजवाद की बात अब अध्यक्ष महोदय, मैं भी उसी पर चला जाऊंगा। एक गलती उन्होंने की तो मैं भी करूं, यह उचित न होगा, इसलिये उसे छोड़कर अब मैं विषय पर आता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारे यहां बड़े-बड़े डैम्स वगैरह सब बन रहे हैं और मैं यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी से कि हमारे जितने भी डैम्स के बनने का कार्य यहां पर होगा, उसके लिये जितना भी रुपया आपने मांगा है, १३ करोड़ रुपया आपने इस अनुदान के अन्दर मांगा है, मैं आशा करूंगा कि यह तेरह का तेरह करोड़ रुपया ३१ मार्च, सन् ५७ तक अवश्य खर्च हो जाय। मैं यह चाहूंगा कि हमारे डिपार्टमेंट को बजट के पास होते ही फौरन इस बात की इत्तिला मिल जानी चाहिये कि आपकी जितनी-जितनी स्कीमें थीं वह सब मंजूर हो चुकी हैं और उन पर आप फौरन काम शुरू कर दें। चार पांच महीने तक तो इंजीनियर्स बैठे रहते हैं, सितम्बर और अक्टूबर के बाद इसकी बात करते हैं और दिसम्बर जनवरी में काम शुरू करते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि मार्च के अन्दर रुपया खर्च नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं इस हाउस की एक बड़ी कमेटी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी है वहां पर भी यह डेवलपमेंट वर्क्स की कुछ फाइनेंशल इर्रेगुलेरिटीज आती हैं तो उस समय भी हमने इन डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज को और उनके हेड्स आफ दि डिपार्टमेंट्स को जो वहां आते हैं, उनको यह आदेश जारी किये हैं कि जहां तक डेवलपमेंट का काम है आप उसको रोकिये मत। आप इनमें इस बात की परवाह मत कीजिये कि फाइनेंशल इर्रेगुलेरिटीज हो जाती है उसकी चिंता आप न कीजिये। एकाउन्टेंट जनरल आपको परेशान भी इसके लिये करें तो हम आपका साथ देंगे। इसलिये सिर्फ कि तमाम मेम्बरान यह महसूस करते हैं कि ये देश के विकास के काम हैं और इनमें कोई देर नहीं होनी चाहिये, इनको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी और उनके विभाग के अफसरान इसका ख्याल करेंगे। जहां तक अध्यक्ष महोदय, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर्स की बात कही गयी, इसके बारे में भी थोड़ा मैं कहूंगा। हम बड़े खुश होते हैं जब एक अफसर के ऊपर दूसरा अफसर होता है इसलिये कि काम जल्दी कराया जाय, तब तो हम उसके साथ हैं। लेकिन अगर एक अफसर के ऊपर दूसरा अफसर इसलिये होता है कि वह उस काम को सिर्फ रोक दे तो हम उसके साथ नहीं हैं। हम यह कहेंगे कि सबको बन्द कर दो। लखनऊ में सिर्फ एक चीफ इंजीनियर को रखिये और बाकी सारा काम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर छोड़िये, हो सकता है, वह भी गलती कर सकता है। लेकिन वह भी आपका इंजीनियर है, थोड़ी गलतियां हो सकती हैं, कहीं फाइनेंशल इर्रेगुलेरिटीज भी हो सकती हैं। लेकिन यह उसके ऊपर आप छोड़ दीजिये। यहां तो लाखों करोड़ों की बात की गयी है। हम तो हजारों वाले हैं। इर्रीगेशन डिपार्टमेंट वाले लोग छोटी स्कीम को कुछ समझते ही नहीं। हमारे चीफ इंजीनियर साहब हैं। उनके सामने बड़ी-बड़ी स्कीम्स होनी चाहिये। जब हम लोग कभी बात करते हैं छोटी मोटी स्कीमों की तो वह कहते हैं कि २० हजार से ऊपर की बात करो।

२० हजार से नीचे की नहीं। आप कहें तो उन्हीं छोटी स्कीम्स को २० हजार की कह दें तब शायद वे ध्यान दें। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह अवश्य प्रार्थना करूंगा कि आपके डिपार्टमेंट के लिये छोटी और बड़ी स्कीम में कोई भेद नहीं होना चाहिये। माननीय गेंदा सिंह जी का यह कहना है कि बाढ़ को रोकने के लिये इतनी योजनायें हैं हमारी सरकार के पास लेकिन उनके लिये केन्द्रीय सरकार के ऊपर कोई ज्यादा जोर नहीं पड़ा। यह मैं मानता हूं कि उन्होंने जोर दिया होगा लेकिन मैं आज फिर भी कहना चाहता हूं कि हमारी इतनी बड़ी-बड़ी नदियां हैं, तमाम ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हर साल बाढ़ से बर्बाद हो जाते हैं यह केन्द्रीय सरकार जानती है, तो उसके लिये अगर हमारे रेवेन्यूज से भी कुछ रुपया खर्च किया जाता तो हम तैयार हैं। अगर विकास फंड से नहीं हो सकता तो हमारे यहां से रुपया लीजिये लेकिन हर साल जो बाढ़ से तबाही व बर्बादी होती है वह तो बंद हो जाय। अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया नहीं देती है तो हमारा काम है कि उन बड़ी-बड़ी योजनाओं को हम बनायें। यह कह देना कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के रिसोर्सेज सीमित हैं, यह तो सभी जानते हैं। लेकिन सीमित होते हुये भी जिन प्रदेशों का जोर ज्यादा पड़ता है उनको सब मिल जाता है। इसलिये हमें बराबर कोशिश करते रहना चाहिये और मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी कोशिश को बराबर जारी रखें और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया हमारी इन बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिये कुछ न कुछ अवश्य देगी।

इस बार माननीय मंत्री जी को बहुत से डिपार्टमेंट्स और मिल गये, जैसे ड्रिंकिंग वाटर फार रूरल एरियाज और अरबन एरियाज में ड्रेनेज स्कीम, वगैरह। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस ड्रेनेज स्कीम को वह अपने विभाग से निकाल दें नहीं तो फिर वे चक्कर में पड़ जायेंगे। एन० ई० एस० ब्लाक का काम आप करते हैं। हमारे यहां इर्रीगेशन का काम कोई ओवरसियर नहीं करता है, कहते हैं कि आज एन० ई० एस० ब्लाक की बिल्डिंग देखने जाना है, आज फलां काम देखने जाना है। इसलिये हमारी बड़ी मुसीबतें हैं। अब कहीं शहर की स्कीम बनने लगी तो ओवरसियर शहर के अन्दर रोज सिनेमा देखने के लिये रह जाया करेंगे। पानी का काम आप सारे डिपार्टमेंट्स का ले लीजिये तो हमें बड़ी खुशी होगी। हम जानते हैं कि हमारे एल० एस० जी० के पास स्टाफ नहीं है और रूरल एरियाज के लिये पानी का जो काम आपने ले लिया है उसमें आप इस बात की कोशिश न करिये कि किसी एक इलाके में जाकर उसको पानी का स्वर्ग बना दें, बल्कि आप इसकी कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में पीने का पानी मिल सके। सिनेमा जब लोग देखते हैं तो दुनियां भर की तस्वीरें देख लेते हैं कि माताटीला डैम, अहरौरा डैम और जाने क्या-क्या बन रहा है लेकिन हमारे यहां लोग कहते हैं कि बड़ी-बड़ी स्कीमें तो बन रही हैं लेकिन हमें पीने तक को पानी नहीं मिलता, गर्मियों में नहाते तक नहीं हैं। अब मैं अपने यहां के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। माननीय मंत्री जी को मालूम था कि मदनमोहन कुछ कहेगा इसलिये पहले ही उन्होंने सब चीजों की चर्चा कर दी। हमारे माननीय मंत्री जी बड़े रेस्पांसिव हैं, मैं यह कैसे कह दूं कि प्रदेश के अन्दर कोई काम नहीं हुआ है और मुझे उम्मीद है कि जो काम अब नहीं हुआ वह अब की हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि १८७ रुपये फी एकड़ खर्च होता है। न जाने कहां की अर्थमेटिक लेकर हमारे सामने रख दी। हमारे यहां तो ज्यादा रुपया लगेगा। लेकिन अगर हमारे यहां थोड़ा भी पानी मिल जाय, दिन को पीने को मिल जाय और रात को, हम टंकियां बना लें, उनमें पानी इकट्ठा रहे तो हमारे फलों के पेड़ों की काफी सिंचाई हो सकती है। अगर माननीय मंत्री जी देश में अन्न का उत्पादन कर दें तो मैं उनको बड़े अच्छे-अच्छे फल खिलाऊंगा। अगली जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो रही है जब वह पूर्ण हो जायगी तो बहुत फल खाने को मिलेंगे क्योंकि पहाड़ों में आजकल हजारों लोग फलों के पेड़ लगा रहे हैं। इसके अलावा वहां पर साग सब्जी भी हो सकती है जिनके खाने से तन्दुरुस्ती बढ़ सकती है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे। वह इस बात की परवाह न करें कि इसमें कितना रुपया खर्च होगा। भले ही कुछ ज्यादा खर्च हो जाय। अगर वह चाहें तो हम लोग श्रमदान करने के लिये तैयार हैं। आप हमें पानी दीजिये टैक्स भले ही हम से ले लीजिये लेकिन हमें प्यासा तो न रखिये। मुझे आशा है कि मंत्री जी जरूर इधर ध्यान देंगे।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

एक बात मैं टैक्नीकली कह देना चाहता हूं। वैसे मैं आंकड़े में जाना नहीं चाहता हूं। मेरी समझ में नहीं आया कि आपका एक इर्रीगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट खुला है, वह रिजर्व एकाउन्ट से रेवेन्यू कैपीटल एकाउन्ट् में कैसे आ गया? मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे कि यह रेवेन्यू कैपीटल एकाउन्ट में कैसे आगया है। मैं जानता हूं कि बहुत हमारी स्कीमें अनप्रोडक्टिव हैं लेकिन एक समय आयगा जब वह सब की प्रोडक्टिव हो जायंगी। जो रिजर्व एकाउन्ट से खर्च होने वाली चीज हो उसको कैपिटल एकाउन्ट् में न रखें तो अच्छा है।

ड्रेनेज की बात तो मैंने कह दी और भी बहुत सी स्कीमें हैं लेकिन समय बहुत ही कम है। हमारे मंत्री जी बड़े विद्वान् हैं, समाजवादी है और हमारे साथी हैं, बस हमें छोड़कर उधर चले गये हैं। इधर वह रहते तो अच्छा होता हमारा और उनका उद्देश्य एक ही है। हम कहते और वह कर रहे हैं। वह शब्द हैं और हमारे प्रोग्राम हैं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो उन्होंने सुन्दर तस्वीर देश की हमारे सामने रखी है कि आगे चलकर हमारा देश ऐसा होगा, उसमें हम उनके साथ हैं, देश को ऐसा बनाने में और हम इसके लिये कोशिश भी करेंगे। आप हमारा साथ लीजिये तो सही। कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो विकास के कार्यों में रोड़े अटकाये या सहयोग न दे। हम ऐसा आदमी चाहते जो काम करने के लिये तैयार हो, कितना रुपया खर्च हो इसकी हम परवाह नहीं करते हैं। अहरौरा में क्या हो रहा है, रिहन्द में क्या हो रहा है हमें परवाह नहीं है। लेकिन जो मजदूर वहां काम करते हैं उनके लिये मंत्री जी को ख्याल रखना पड़ेगा कि उनको मजदूरी मिलनी चाहिये और उनकी सहूलियतें मिलनी चाहिये ताकि वह भी देश में उन्नति कर सकें और विकास के कार्यों में हमारा सहयोग कर सकें।

**श्री अवधेश प्रताप सिंह**—मान्यवर...

**श्री जोरावर वर्मा**—अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस पर और लोग भी बोलना चाहते थे इसलिये २० मिनट का समय बढ़ा दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष**—आज यह खत्म नहीं होगा, यह दूसरे रोज भी चलेगा। अगर तबीयत हो तो मैं एक आध घंटा समय बढ़ा दूं।

**श्री मदनमोहन उपाध्याय**—अध्यक्ष महोदय, कल भी बहुत से आइटम हैं अगर कल समय बढ़ जाय तो ठीक है।

**श्री अध्यक्ष**—यदि समय बढ़ाने का सवाल है तो १५ मिनट बढ़ा दिया जाय। आज सवा पांच बजे तक सदन का समय यदि किसी को आपत्ति न हो तो बढ़ा दिया जाय।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी)

**श्री अध्यक्ष**—सदन का समय आज सवा ५ बजे तक के लिये बढ़ा।

***श्री अवधेश प्रताप सिंह**—मान्यवर, मुझे प्रसन्नता है जब मंत्री महोदय ने यह कहा कि कलश धारण करने के लिये वह संलग्न हैं, तत्पर हैं। यह परम्परा तो अवश्य थी और मैं समझता हूं कि उसके पालन करने के पात्र भी वह अच्छे हैं, भलीभांति कर सकते हैं, विद्वान् हैं, रूपवान हैं, काशी निवासी हैं, उत्तम कुल के हैं, इत्यादि। यह सब शुभ लक्षण हैं जितने, वह सब उनमें हैं, लेकिन यह कि उनमें कलश धारण करने की क्षमता कहां से आ गयी यह तो भगवान जाने लेकिन मैं यह जानता हूं कि वह सर्वगुण संपन्न हैं।

समय की न्यूनता के कारण में उनसे यह कहना चाहता हूं कि देहातों में जो पानी का प्रबंध किया जा रहा है वह एक ऐसी सुन्दर बात है कि जिसकी प्रशंसा मैं करता हूं और मैं समझता हूं कि वह बहुत ही लाभप्रद साबित हुयी है। सिर्फ दुःख यह है कि किसी भी क्षेत्र में जितने टैंक होने चाहिये उतने नहीं हैं। १०–२० गांव के बीच में आपने एक ट्यूब वेल के ऊपर टैंक बनवा दिया है। यह प्रदर्शन के लिये तो हो सकता है लेकिन वास्तविकता में उससे ग्रामीण

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विशेष लाभ नहीं उठा सकते हैं। आपने जो रुपया मांगा है उससे भी यह संभव नहीं है कि हर जगह इस तरह के टैंक्स आप बनवा सकें। इसी जगह नहीं श्रीमन् उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले जो कि बाढ़ ग्रसित होते हैं, पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं उनके लिये सचमुच यह बहुत ही अच्छी वस्तु प्रतीत हुयी है। क्योंकि उस समय उनको पानी पीने के लिये कोई साधन नहीं होता और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय के इस प्रकार के अनुभव से सीख लेकर इस काम को और तेजी से चलायेंगे।

श्रीमन्, एक चीज और कहनी है और वह यह है फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम के सम्बन्ध में। माननीय मंत्री जी ने पिछले वर्ष भी इसका प्रबंध किया था कि यदि बाढ़ आये तो उसकी रोकथाम और उसका सामना करने के लिये सरकार तैयार रहे। लेकिन देखा यह गया है कि बहुत से जिलों में एक नाव तक नहीं पहुंच सकी और यह रुपया जो २ करोड़ ३९ लाख का आप सर्फ करने जा रहे हैं इसमें कहीं ऐसा ही न हो कि बाढ़ आज आ जाय और जब समय बाकी न रहे उस समय आपके विभाग के लोग रुपया खर्च करने के लिये आगे बढ़ें। इस सम्बन्धमें कुछ क्षेत्रों में काम हो रहा है इससे मुझे इन्कार नहीं। लेकिन साथ ही साथ मुझे मंत्री महोदय से यह भी बताना है कि जिस तेजी से और जिस रूप से यह काम चलना चाहिए था, मैं सोचता हूं और समझता हूं कि उस रूप से और उस तेजी से यह काम चल नहीं रहा है। अतः अपने विभाग को आप सतर्क कीजिये और इस बात का ध्यान रखिये कि कहीं उन से वह गलती न हो जाय कि जो पिछले वर्ष हो गयी थी और जिसका उत्तर आपके पास कुछ भी नहीं है। यह दूसरी बात है कि आप कहें कि ऐसी बाढ़ इस शताब्दी में कभी नहीं आयी, सरकार के पास जो साधन उपलब्ध थे उनसे जो कुछ हो सकता था वह पर्याप्त मात्रा में हुआ, आदि आदि लेकिन इन बातों से कोई लाभ नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने बाढ़ की मुसीबत सही है उनको इस सब से कोई संतोष नहीं हो सकता है। आज पूर्वी जिलों के लोग बता सकते हैं कि यह सरकार कुछ भी नहीं कर पायी थी। बजट में रुपया रहते हुये भी, सारे साधन सरकार के पास रहते हुये भी वह एक निद्रा में थी और उनकी निद्रा तब तक भंग नहीं हुयी जब तक कि एक भयंकर परिस्थिति प्रदेश में उत्पन्न नहीं हो गयी। श्रीमन्, यह कहा जाता है कि विभाग अपना कार्य करने में बहुत कुशल है। एन० इ० एस० का और कम्युनिटी प्रोजेक्ट का भी बहुत कुछ काम हो रहा है और बहुत आदमी लगे हुये हैं। यह सच है और मुझे इससे शिकायत नहीं है। जैसा कि कहा जाता है कि चार इंजीनियर हो गये अगर एफिशियेन्सी की जरूरत हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है जितने धन की आवश्यकता हो दिया जाय, परन्तु देखने की बात यह है कि जो दिया जा रहा है वह विधिवत् और सुअवसर पर व्यय होना चाहिये जिससे जनता को लाभ पहुंच सके। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह विभाग ओवर वर्डन हो रहा है और दूसरे काम भी अपने हाथ में ले रहा है। जब दूसरा विभाग पी० डब्ल्यू० डी० मौजूद है तो फिर आखिर वह विभाग किसलिये है। सब काम अपने ऊपर लिये जा रहे हैं वह किस दिन काम आयेगा। श्रीमन्, इस विभाग की शिकायत यह है कि यह विभाग जो उसके काम हैं उनको छोड़कर दूसरे काम अपनाता जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि दूसरे कामों को करने में वह अपने काम को भी सही रूप में न कर सके।

*श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं इस अनुदान को प्रस्तुत करने के लिये बहुत से लोग शब्दों में उलझ जाते हैं और बहुत से लोग काम की परवाह करते हैं। समाजवाद के विषय में यहां शब्दों में उलझना मुझे दिखाई देता है। मुझे याद आता है कि डाक्टर भगवानदास ने महात्मा गांधी जी से कहा था जब कि उन्होंने स्वराज्य का नाम लिया कि स्वराज्य की व्याख्या कीजिये। गांधी जी ने बड़े सुन्दर शब्दों में उनको उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम स्वराज्य की व्याख्या करने लगेंगे तो हम इसी में उलझ जायेंगे और कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे। स्वराज्य शब्द के क्या मानी हैं जब समय आयेगा तब वह अपने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ श्री व्रजभूषण मिश्र ]

आप ही बतला देगा। उसी तरह से आज समाजवाद की उलझन में कुछ लोग फंस गये हैं। इस सरकार ने यह जो बजट रखा है उसमें समाजवाद की झलक दिखाई पड़ती है। उसी के आधार पर काम हो रहा है। लेकिन यदि हम समाजवाद के झगड़े में पड़ जायंगे तो समाजवाद हमसे दूर भाग जायगा। जो रास्ता हमने पकड़ा है वह सही रूप से हमको समाजवाद की तरफ ले जाने वाला है और वह रास्ता इस बजट के अन्दर मौजूद है।

दूसरी बात यह है कि आप इतना ज्यादा काम कर रहे हैं कि मिर्जापुर के आसपास जो दूसरे सूबे लगते हैं सरगूजा, विन्ध्य प्रदेश, सी० पी० और बिहार वाले दौड़ कर हमारे पास आते हैं और हमको मिलाने के लिये कहते हैं। मैं आपको बताऊं कि १४, १५ फरवरी की बात है कि सरगूजा के बहुत से किसान और जिसमें स्त्रियां भी शामिल थीं वह हमारे पास आये और कहने लगे कि हमारे यहां कुछ भी काम नहीं हो रहा है और हमको अपने प्रान्त में मिला लो। मैंने उनको १४, १५ तारीख दी और मैं वहां गया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वहां पर २५ कोस से स्त्रियां चल कर आयी थीं और उसमें करीब ५, ६ हजार लोग वहाँ पर थे। वे लोग दो दिन तक वहां पर रहे। सब ने मिल कर प्रस्ताव पास किया था कि उनकी दो तहसीलों को मिर्जापुर में मिला दिया जाय। विन्ध्य प्रदेश वाले अलग चिल्ला रहे हैं कि हमको भी मिला लीजिये। हमारे यहां वहां के हजारों मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं। वे कहते हैं कि उनके यहां पर कुछ काम नहीं हो रहा है, तो उनको भी मिला लिया जाय। आपके यहां काम ज्यादा हो रहा है इसी कारण से वे लोग कह रहे हैं कि उनको यू० पी० में मिलाया जाय।

मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहना चाहता हूं कि रिहेंड डैम नाम बड़ा कर्ण कटु मालूम होता है। वह कानों को अच्छा नहीं लगता और अशुद्ध भी है। कहा जाता है कि रिहंड नदी पर यह है इसलिये रिहेंड डैम का नाम दिया गया है। जहां से वह नदी सी० पी० में निकलती है उसे रेणुका कहते हैं और शायद परशुराम जी की माता का उससे कुछ सम्बन्ध बतलाया जाता है। आगे चलकर उसका नाम रिहंड हो गया और डैमफूल उसमें लगा दिया गया। मैं देखता हूं कि बजट में नानकसागर और शारदा सागर जैसे नये शब्द आपने बनाये हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि रिहंड डैम का नाम भी रेणुकासागर रख दिया जाय क्योंकि यह बहुत बड़ा और कल्याणकारी सागर होगा। उपाध्याय जी ने भी कहा है और मैं भी कहता हूं कि वहां जो काम मिल रहा है उससे परवरिश हो रही है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां ज्यों ज्यों धीरे-धीरे हमारी सभ्यता घुसती जा रही है वहां मजदूरों में शराब का प्रचार हो रहा है। चौपन की भट्ठी जो पहले १२ हजार में बिका करती थी अब इस साल इसका ठेका ४८ हजार रुपये में हुआ है और वहाँ से शराब ट्रकों में मजदूरों के लिये भेजी जाती है और वे चौपट हो रहे हैं। इससे हमारा काम बन्द हो जायगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की कड़ी निगाह उधर हो। एक और बात यह है कि मजदूरों की मजदूरी वहां बहुत मारी जाती है। ठेकेदार मजदूरों का पैसा मार लेते हैं। कहा जाता है कि रेणुका सरोवर में रेट्स बहुत कम हैं और ठेकेदार का मुनाफा मजदूरों की मजदूरी मारने में ही है। तभी उसका काम चल सकता है। मैं नहीं कह सकता कि यह कहां तक सही है लेकिन रेट की बात तो इंजीनियर लोग जानें। तीसरे, वहां स्त्रियों के साथ में अनाचार का भी ख्याल करना चाहिये।

*श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)—अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो हमारे जिले में सैलाबी इलाके के किसानों को बचाने के लिये बहुत बड़ा बांध

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनाया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। नानपारा और कैसरगंज तहसीलें बरबाद हो जाया करती थीं। वहां बड़ा बांध बनाया गया है और वहां के सरकारी कर्मचारियों ने इस प्रकार से काम किया है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई और बांध भी गांव के बाहर बाहर निकला। मगर एक मौज़ा सरायअली पड़ता है और उसके थोड़े से हिस्से पर उन्होंने अपना निशाना लगाया, लेकिन गांव वालों को पहले से इसकी सूचना नहीं दी। उनको कोई मौका नहीं मिला कि वह अपनी शिकायत गवर्नमेंट से कर सकते। ऐन मौके पर उस बांध को बना कर वहां ला कर डाल दिया है और उनका यह कहना है कि इस गांव के बीच से बांध निकालेगा। वहां रास्ता बहुत तंग है। उसके दोनों तरफ पटरियां छोड़ी जाती हैं जहां आने जाने के लिये रास्ता होता है। ऐसा करने से वहां के किसान बरबाद हो जावेंगे। इसलिये मेरा माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन है कि वहां के कर्मचारियों को ऐसा आदेश दें कि जिससे हमारे जिले में कोई गांव बांध उसके रास्ते में न पड़े, इस प्रकार से वे अक़्लमन्दी से काम लें और उसे थोड़ा मोड़ कर बना दें तो वह गांव बच सकता है। हमारे जिले में कुछ नलकूप बनाये गये, और भी आवश्यकता है। वहां केवल ३, ४ सड़कें हैं और उनके किनारे नलकूप बनाये जा रहे हैं। बहुत सा इलाका सिंचाई का जो उपरहर में पड़ता है वहां केवल २ सड़कें हैं, एक नानपारा की तरफ और दूसरी भिनगा की तरफ जाती है। इन सड़कों के किनारे नलकूप बने हैं और बीच में लाखों बीघा जमीन पड़ी है। इस बारे में जब कर्मचारियों से कहा जाता है कि जहां सिंचाई की अधिक जरूरत हो वहां नलकूप बनाओ तो वे कहते हैं कि सड़कों के किनारे बिजली ले जाने में सुविधा होती है इसलिये वे उसी जगह बनाने के लिये मजबूर हैं। सड़कों के सहारे नलकूप बनने में बहुत सी ज़मीन में सिंचाई न हो सकेगी। मैं सिंचाई मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे नलकूप उन स्थानों में बनवाने का प्रबन्ध करें जहां उनकी अधिक आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त सिंचाई मंत्री जी के पास एक बात और पहुंचाना चाहता हूं कि जो गांव ऊंचे किये जा रहे हैं वहां पर बहुत से ठेकेदार अपने स्वार्थ के लिये बहुत गहरे गड्ढे बना रहे हैं। गो विभाग से ऐसे आदेश हैं कि १ फीट से ज्यादा नीचे गड्ढे न खोदे जायं लेकिन एक दो गांवों में आपस की दलबन्दी की वजह से तीन तीन फीट गहरी मिट्टी निकाल ली गई है और एक खेत बहुत दिनों के अन्दर भर पायेगा और फसल पैदा करने के योग्य होगा।

**श्री शिवस्वरूप सिंह** (जिला मुरादाबाद)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना का यह अन्तिम वर्ष है। इन पांच सालों के बीच में मैं बराबर इस बात के चाव में रहा कि इस सदन में किसी न किसी मंत्री को अपना मुबारकबाद या धन्यवाद पेश कर दूं लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि ऐसा अवसर आज तक न मिल सका। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वह क्षेत्र चारों तरफ से दो बड़े दरियाओं से घिरा हुआ है। उस क्षेत्र में आज तक जो भी हमारे प्रान्त में योजनायें चल रही हैं, जितने भी विकास हो रहे हैं उसमें से एक आना भर भी इन दो दरियाओं को पार कर के नहीं किया है। जब कि सारे प्रान्त में विकास हो रहा है उस क्षेत्र में रेल, तार, बिजली आदि कोई भी विकास की चीज़ नहीं पायी जाती चूंकि हमारा क्षेत्र दो बड़े दरियाओं से घिरा हुआ है। इसलिये सबसे पहले आज मौका मिलने पर मैं उस मंत्री जी को धन्यवाद पेश कर रहा हूं जो पानी पर क़ब्ज़ा रखते हैं और उन्होंने ही इस बात का साहस किया कि उस इलाके में हिम्मत करके, दो दरियाओं को पार कर के वहां पहुंचे। उस इलाके में डुमरिया रिजरवायर की योजना बनी है। मैं उस क्षेत्र की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। यह रिजरवायर नैनीताल इलाके में बना है उस इलाके के थोड़े से हिस्से को इसके जरिये सिंचित करने की योजना है। इसके मानी हैं माननीय सिंचाई मंत्री भी वहां घुस कर लौट आये और आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई और उस इलाके का तीन-चौथाई भाग इस योजना के बावजूद भी शून्य रह जाता है। यह भाग जिला मुरादाबाद में आता है, तहसील ठाकुरद्वारा है। इसी हिस्से के बारे में

[श्री शिवस्वरूप सिंह]

मैं अर्ज कर रहा था। तो, श्रीमन्, आपके द्वारा मेरा सिंचाई मंत्री जी से यह निवेदन है कि वह जितने हिस्से में घुसे हैं कुछ और आगे को चलें और इस योजना द्वारा बाकी हिस्से को उसमें और ले लें तो अच्छा है। क्योंकि जैसा मुझे मालूम हुआ है कि वहां के रिजरवायर से इतना पानी न मिलेगा कि वह इतना फैलाव कर सकें तो जो बाकी हिस्सा रह जाता है उसको ट्यूबवेलों के जरिये पूरा किया जा सकता है ताकि वह जो पिछड़ा हुआ इलाका अपने प्रदेश का है अपनी सरकार द्वारा वह खुशहाली को प्राप्त हो और कुछ उसका हौसला बढ़े और उसको इस बात का भी सौभाग्य प्राप्त हो। सबसे बड़ी दिक्कत उनकी यह है कि एक तरफ तो रामगंगा के उस पार बिजनौर है वहां पर बिजली और सारी चीजें हैं और दूसरी तरफ काशीपुर का इलाका है उधर भी सारी चीजें हैं लेकिन बीच का इलाका सब चीजों से शून्य है और वे अंधकार में रहते हैं। इसलिये एक बार मैं फिर आप को हृदय से धन्यवाद दे कर उस हिस्से की तरफ ध्यान दिलाता हूं कि आपकी जो डुमरिया रिजरवायर है उससे जो बाक़ी हिस्सा रहता है उसको भी सिंचित करने का उपाय करें।

*श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जब जब सिंचाई संबंधी योजना के बारे में कहने का मौका मिला है तो मैंने बुन्देलखंड में निर्मित हुई कंटूर बंधियों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है और आज भी जब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रथम बजट हमारे सामने प्रस्तुत है तब मैं पुनः बुन्देलखंड में निर्मित किये जाने वाली उन कंटूर बंधियों की ओर उनका ध्यान फिर आकर्षित करना चाहता हूं।

कदाचित उन्हें मेरे बारे में कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं नहीं जानता कि मेरी भूल के कारण या मेरे किसी ढंग से कुछ कहने पर ऐसा हुआ हो। बहरहाल, मैं इस वर्ष भी जो यह नीली पुस्तिका हम लोगों को मिली है जिसमें आगामी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा रखी गयी है उसमें करीब साढ़े ३७ लाख हमीरपुर जिले में ही कंटूर बंधियों के मद में खर्च किया जाने वाला है। बांदा, जालौन, हमीरपुर और झांसी में करीब ५० लाख रुपया अगली पंचवर्षीय योजना में खर्च किया जाने वाला है। उसमें से साढ़े ३७ लाख केवल हमीरपुर में खर्च किया जायगा। बड़ी कृपा है मंत्री जी की कि साढ़े ३७ लाख केवल एक अकिंचन जिले में वे खर्च करने जा रहे हैं लेकिन मैंने हमेशा समालोचना करते हुये कहा है कि वह कंटूर बंधियां किसी प्रकार भी लाभकारी प्रतीत नहीं होती हैं। जब भी मैंने उन्हें देखा है, क्योंकि सिंचाई तो लम्बी है लेकिन उनमें पानी नहीं आता है। इसलिये मैं यह प्रार्थना उनसे जरूर करना चाहूंगा कि कंटूर बंधियों के मद से यह रुपया माइनर डैम्स और बंधीज में ट्रांसफर करके इस रुपये द्वारा वहां कुछ माइनर इर्रीगेशन स्कीम्स में हमीरपुर में रुपया खर्च करें। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि उर्मल नदी पर बांध बनाया जा सकता है। उसकी स्कीम इंजीनियर्स ने तैयार कर दी है। उसको अगर बना सकते हैं तो हमारे हमीरपुर जिले में सफल योजना बन सकती है और नहरें निकल सकती हैं। और कंटूर बंधियों पर रुपया न खर्च कर के इसमें धन लगाया जा सकता है। इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमीरपुर जिले में केवल २० मील नहरें निकालने की योजना है। मैं देखता हूं कि और जिलों में कुछ अधिक हैं। हमारे यहां केवल कंटूर बंधियों से सिंचाई का प्रबन्ध किया जा रहा है और उन्हीं पर यह रुपया खर्च किया जाने वाला है। मैं चाहता हूं कि माताटीला बांध से जो नहर में आने वाला था वह समझ में नहीं आता कि वह किस स्थान से आता होगा। धसान और बेतवा नदियां हैं और उनसे लाभ उठाया जा सकता है। तो मेरा विचार है कि उर्मल प्राजेक्ट को जरूर शामिल कर लेना चाहिये। दूसरी चीज अनुदान संख्या १० पर जब विचार हो रहा था तब मैं अपना सुझाव रखना चाहता था। उस समय यद्यपि मौका नहीं मिला इस समय आपकी आज्ञा से रख

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देना चाहता हूं। सन् १९५२ में महोबा इर्रीगेशन डिवीजन कायम हुआ बड़ा अच्छा काम किया और धसान की जो नहरें निकली हैं वे हमीरपुर जिले का सिंचन करती हैं, लेकिन उनको झांसी डिवीजन में रक्खा गया है। बजाय उसके इनको महोबा इर्रीगेशन डिवीजन में सम्मिलित कर दिया जाय ताकि किसानों को सुविधा हो सके।

**श्री मदनमोहन उपाध्याय**—मुझे बड़ी खुशी है कि आखिर इर्रीगेशन का काम हमारे प्रदेश में हुआ ही है। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं और हम जो अच्छा काम करते हैं जब तक अपने अफसरान का उत्साह न बढ़ायें तो उनका भी यह ख्याल होगा कि अच्छा काम करने पर भी बुरा ही कहते हैं तो फिर बुरा ही काम करो। इसका भी असर बुरा पड़ता है। इसलिये हम सबका फर्ज है कि जहां अच्छा काम हो उसे अच्छा कहना चाहिये और जहां बुराइयां हों उसे जरूर बतलाना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस रवैये से देश का काम आगे बढ़ सकता है पीछे नहीं हटेगा और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस काम को और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे।

**श्री राममूर्ति**—अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक नहीं कहना चाहता। विस्तार से इसके पूर्व मंत्री जी कह चुके हैं। मैं तो अपने मित्र उपाध्याय जी से दरख्वास्त करूंगा कि कटमोशन को वापस लें और इस सदन के सारे सदस्य इस अनुदान को एक मत से पास करें।

एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने एतराज किया कि यह जो रुड़की रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके लिये कैपिटल एक्सपेंडिचर में रुपया क्यों रखा गया। तो इसके लिये हमारे यहां फाइनेंस डिपार्टमेंट को आडिटर जनरल से हिदायत हुई है कि जो इनको रुपया मिलता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखा जाय। आपको यह भी भ्रम नहीं होना चाहिये कि पहाड़ों में पैसा खर्च होता है लेकिन काम नहीं होता है। मैं आश्वासन देता हूं कि जो उपयोगी स्कीमें होंगी उनको लिया जायगा और जो सुझाव आये हैं उनको नोट कर लिया है। मैं एक बार फिर अपने भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे दल के साथ सहयोग किया है और उपाध्याय जी से फिर दरख्वास्त करता हूं कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें।

**श्री अध्यक्ष**—(श्री मदनमोहन उपाध्याय से) आप वापस ले रहे हैं?

**श्री मदनमोहन उपाध्याय**—वापस इसलिये नहीं ले रहा हूं कि बाढ़ की योजनायें जो बड़ी योजनायें हैं उन्हें गवर्नमेंट आफ इंडिया ने रोक रखा है।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान ४३ के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३—राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का संपादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है) (लेखा शीर्षक ६८—सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण) के अन्तर्गत १३,२७,६०,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बज कर १३ मिनट पर सोमवार, ५ मार्च, १९५६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२ मार्च, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

## नत्थी

(देखिये तारांकित प्रश्न १-२ के उत्तर पीछे पृष्ठ २३१ पर ।)

| क्रम-संख्या | विद्यालय का नाम | विद्यालय की मांग |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | रु० |
| १ | विन्देश्वरी हायर सेकेन्डरी स्कूल, तुलसीनगर .. .. | २५० |
| २ | गांधी विद्यालय हायर सेकेन्डरी स्कूल, मारूफपुर .. .. | ५०० |
| ३ | स्मिथ हायर सेकेन्डरी स्कूल, अजम गढ़ .. .. | ६,५०० |
| ४ | महाराजगंज हायर सेकेन्डरी स्कूल, महाराजगंज .. .. | ११,५०० |
| ५ | मुस्लिम हायर सेकेन्डरी स्कूल, मऊ .. .. | ९,२०० |
| ६ | डी० ए० वी० हायर सेकेन्डरी स्कूल, मऊ .. .. | २,००० |
| ७ | जी० जी० हायर सेकेन्डरी स्कूल, भंवरनाथ .. .. | १,५०० |
| ८ | हायर सेकेन्डरी स्कूल, सर्वोदय नगर .. .. | १,९०० |
| ९ | जी० एस० हायर सेकेन्डरी स्कूल, जिगनी .. .. | ८०० |
| १० | जी० जे० हायर सेकेन्डरी स्कूल, खुरासन .. .. | ५०० |
| ११ | श्री कृष्ण गीता हायर सेकेन्डरी स्कूल, लालगंज .. .. | ८,१५० |
| १२ | बापू हायर सेकेन्डरी स्कूल, कोपागंज .. .. | ७,००० |
| १३ | टाउन हायर सेकेन्डरी स्कूल, मोहम्मदाबाद .. .. | ५,००० |
| १४ | डी० ए० वी० हायर सेकेन्डरी स्कूल, आजमगढ़ .. .. | ८,१५८ |
| १५ | जीवन राम हायर सेकेन्डरी स्कूल, मऊ .. .. | २,७०० |
| १६ | हायर सेकेन्डरी स्कूल, गौरामेहनगर .. .. | १,७९५ |
| १७ | हायर सेकेन्डरी स्कूल, तैरही .. .. | १,५०० |
| १८ | गांधी हायर सेकेन्डरी स्कूल, मलतारी .. .. | १,७०० |
| १९ | शिबली नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल, आजमगढ़ .. .. | १,५०० |
| २० | हायर सेकेन्डरी स्कूल मोहम्मदपुर, मथ .. .. | ५०० |
| २१ | श्री दुर्गा जी हायर सेकेन्डरी स्कूल चन्देसर .. .. | ८०० |
| २२ | जनता हायर सेकेन्डरी स्कूल, रानीपुर .. .. | १,२०० |
| २३ | चौरा बेलहा हायर सेकेन्डरी स्कूल, तरवा .. .. | १,००० |
| २४ | पटेल हायर सेकेन्डरी स्कूल, अतरौलिया .. .. | १,००० |
| २५ | हायर सेकेन्डरी स्कूल, डोहा .. .. .. | १,००० |
| | योग .. | ७७,६५३ |

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २४९ एल० ए०—१९५६—७९६ ।